महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 19 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

मध्यस्थता प्रक्रिया के नतीजों पर मांगी रिपोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में गुरुवार को मध्यस्थता प्रक्रिया की अनुमति देते हुए उसके नतीजों पर एक अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि मध्यस्थता समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह दो अगस्त को फैसला लेगी कि क्या मामले में सुनवाई की जरूरत है।

अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर विचार करने करते हुए पीठ ने कहा

एक अगस्त को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, इसे देखने के बाद दो अगस्त को आगे की कार्यवाही पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

अयोध्या मामला

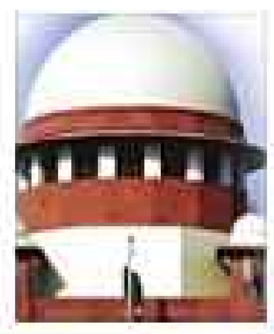

कि उसके पूर्व के आदेश के अनुसार रिपोर्ट की बातें गोपनीय रहेंगी। पीठ में न्यायमूर्ति एसके बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर शामिल हैं। पीठ ने कहा- उक्त रिपोर्ट में जो बातें हमारे संज्ञान में लाई गई हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हम मामले की सुनवाई जरूरत पड़ने पर दो अगस्त को या उसके बाद से तय करते हैं। शीर्ष अदालत ने समिति से उसे 31 जुलाई तक हुई कार्यवाही के नतीजों के बारे में एक अगस्त तक सूचित करने को कहा।

पीठ ने अयोध्या विवाद से जुड़े दस्तावेजों के अनुवाद में कथित विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली अर्जी का भी गुरुवार को संज्ञान लिया। इस विवाद में मूल वादियों में एम सिदीक (अब दिवंगत) के प्रतिनिधियों ने अंतिम सुनवाई के दौरान इन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने की अनुमति चाही।

लीक हुए थे बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े : सरकार

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में बेरोजगारी के सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़ों को आधिकारिक तौर पर जारी किए जाने से पहले इसके कुछ आंकड़े लीक हुए थे।

राज्यसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में बताया, 'सर्वेक्षण का परिणाम लीक हुआ था, यह बात दुरुस्त है।

सर्वेक्षण का परिणाम 30 मई, 2019 में सार्वजनिक होना था मगर इसके पहले इसका डाटा लीक हुआ था।' सिंह ने इसे गंभीर मामला बताते हुए बाकी पेज 8 पर

शाह होंगे एअर इंडिया के विनिवेश पर पुनर्गठित मंत्री समूह के प्रमुख

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

गृह मंत्री अमित शाह एअर इंडिया विनिवेश पर पुनर्गठित मंत्री समूह की अगुआई करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मंत्री समूह से हटा दिया गया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह मंत्री समूह एअर इंडिया की बिक्री के तौरतरीके तय करेगा। इसमें अब चार केंद्रीय मंत्री- शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल होंगे।

एअर इंडिया की बिक्री पर मंत्री समूह का पहली बार गठन जून, 2017 में किया गया था। इस समूह को एअर इंडिया विशेष वैकल्पिक व्यवस्था (एआइएसएएम) का नाम दिया गया था। उस समय इस समूह की अगुवाई तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे थे और इसमें पांच सदस्य थे। अन्य चार सदस्य नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू, बिजली एवं कोयला

अब गडकरी इस समूह का हिस्सा नहीं, सदस्यों की संख्या भी पांच से चार हुई

मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री सुरेश प्रभु व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे।

सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद समूह का पुनर्गठन किया गया है और गडकरी अब इस समूह का हिस्सा नहीं हैं। अब इसमें पांच के बजाय चार सदस्य हैं। अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने 2018 में एअर इंडिया की 76 फीसद हिस्सेदारी बिक्री व एअरलाइन के प्रबंधन नियंत्रण के लिए निवेशकों से बाकी पेज 8 पर

कर्नाटक विस में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा

दोपहर तक बहुमत साबित करें मुख्यमंत्री : राज्यपाल

बंगलुरु, 18 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव पर बहस शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल वजुभाई वाला ने विधानसभा अध्यक्ष से एचडी कुमारस्वामी द्वारा पेश विश्वास मत प्रस्ताव की प्रक्रिया गुरुवार को ही पूरी करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल के संदेश पर सत्ताधारी पक्ष ने आपत्ति जताई।

बाद में विधानसभा स्थगित हो जाने के बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे से पहले सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 15 सत्तारूढ़ विधायकों के इस्तीफे और दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से 'प्रथमदृष्ट्या' लगता है कि सदन में कुमारस्वामी ने विश्वास खो दिया है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन में कल (शुक्रवार) अपराह्न डेढ़ बजे तक या इससे पहले बहुमत साबित करें।

भाजपा नेताओं ने कहा कि गुरुवार को हुए घटनाक्रम के संबंध में वे सर्वोच्च न्यायालय जाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी के सदस्य गुरुवार को रातभर सदन में ही रहेंगे और विश्वास प्रस्ताव पर फैसला हो जाने तक सदन में ही डटे रहेंगे।

सरगर्मी भरे माहौल में गुरुवार को शुरू हुई सदन की कार्यवाही में 20 विधायक नहीं पहुंचे। इनमें 17 सत्तारूढ़ गठबंधन के हैं। बागी विधायकों में से 12 फिलहाल मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए हैं। सदन की कार्यवाही को गतिरोध के कारण दो बार थोड़ी-थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा और बाद में हंगामे के कारण कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस-जद (सेकु) सरकार को समर्थन दे रहे बसपा बाकी पेज 8 पर

सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा सदस्यों के रातभर सदन में ही रहने और विश्वास प्रस्ताव पर फैसला हो जाने तक सदन में ही डटे रहने का एलान किया।

राज्यपाल वजुभाई वाला ने कहा, 15 सत्तारूढ़ विधायकों के इस्तीफे और दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से 'प्रथमदृष्ट्या' लगता है कि सदन में कुमारस्वामी ने विश्वास खो दिया है।

कांग्रेस ने लगाया विधायक को अगवा करने का आरोप

बंगलुरु, 18 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा में आरोप लगाया कि उसके विधायक श्रीमंत पाटील को गठबंधन सरकार गिराने के प्रयासों के तहत अगवा कर लिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी विधायकों के साथ एक रिजॉर्ट में होने के बाद पाटील अचानक गायब हो गए और उसके बाद से वह किसी से संपर्क में नहीं हैं।

विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि पाटील को अगवा कर मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया बाकी पेज 8 पर

400 करोड़ का मायावती के भाई और भाभी का बेनामी भूखंड जब्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई और भाभी का नोएडा में स्थित चार सौ करोड़ रुपए का 'बेनामी' व्यावसायिक भूखंड जब्त कर लिया है। आयकर विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है। बेनामी संपत्तियां वे हैं, जिन्हें वास्तविक लाभार्थी के बजाय किसी अन्य के नाम पर खरीदा गया।

आनंद कुमार

नोएडा में जब्त किए गए व्यावसायिक भूखंड पर पांच सितारा होटल व अन्य आलीशान निर्माण की योजना थी

दिल्ली स्थित बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने 16 जुलाई को नोएडा की इस सात एकड़ की व्यावसायिक संपत्ति को जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया था। इस भूखंड का लाभप्रद मालिकाना हक बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता के पास है। मायावती ने हाल ही में अपने भाई आनंद कुमार को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था।

जब्त किया गया व्यावसायिक भूखंड नोएडा के सेक्टर 94 में संख्या 2 ए पर पंजीकृत है। उस पर पांच सितारा होटल के निर्माण और अन्य आलीशान बाकी पेज 8 पर

'चंद्रयान 2' का प्रक्षेपण 22 जुलाई को

बंगलुरु, 18 जुलाई (भाषा)।

भारत का चांद पर दूसरा महत्वाकांक्षी मिशन 'चंद्रयान-2' अब 22 जुलाई को अपराह्न दो बजकर 43 मिनट पर रवाना होगा। अंतरिक्ष एजंसी इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) ने यह जानकारी दी। तीन दिन पहले जीएसएलवी-एमके-थ्री रॉकेट में तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण रोक दिया गया था।

इसरो ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 15 जुलाई 2019 को तकनीकी गड़बड़ी के चलते रोक दिया गया था। अब उसका प्रक्षेपण सोमवार 22 जुलाई, 2019 को अपराह्न दो बाकी पेज 8 पर

दाऊद का भतीजा गिरफ्तार

मुंबई, 18 जुलाई (भाषा)।

मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के भतीजे रिजवान कासकर को रंगदारी वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दाऊद के भाई इकबाल कासकर के बेटे रिजवान कासकर को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया, जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था। इकबाल कासकर पहले से ही रंगदारी वसूली के एक मामले में ठाणे की जेल में बंद है।

अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो दिन पहले मुंबई पुलिस के रंगदारी वसूली निरोधी बाकी पेज 8 पर

करतारपुर सड़क का निर्माण सितंबर तक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

पंजाब के गुरुदासपुर से पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारे को जोड़ने वाली चार लेन की सड़क का काम जोर-शोर से जारी है और इसका आधा काम पूरा हो चुका है। 'शांति का गलियारा' कही जा रही इस सड़क का निर्माण सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 4.19 किलोमीटर लंबी यह सड़क 120 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल में इस सड़क के कामकाज में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस सड़क मार्ग में पुल उप ढांचा और इसकी पाइलिंग का बाकी पेज 8 पर

सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जेल में | **कानूनी मदद** | नेपाल में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बंदी

विदेश में आठ हजार से ज्यादा भारतीय कैदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

दुनिया के विभिन्न देशों की जेलों में आठ हजार से ज्यादा भारतीय कैद हैं। इनमें अधिकांश विचाराधीन कैदी हैं। विदेश मंत्रालय ने विभिन्न दूतावासों और उच्चायोगों के जरिए ऐसे भारतीयों के बारे में जानकारी जुटाई है। इन लोगों को समुचित कानूनी मदद मुहैया कराई जा रही है।

विदेश मंत्रालय ने ऐसे भारतीयों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक, सऊदी अरब की जेलों में सबसे अधिक 1811 भारतीय कैद हैं। इसके बाद नंबर संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल का है। संयुक्त अरब अमीरात में 1392 और नेपाल में 1160 भारतीय

विदेश मंत्रालय ने ऐसे भारतीयों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक, सऊदी अरब की जेलों में सबसे अधिक 1811 भारतीय कैद हैं। इसके बाद नंबर संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल का है। संयुक्त अरब अमीरात में 1392 और नेपाल में 1160 भारतीय जेलों में कैद हैं। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन के मुताबिक, हमारे पास 31 मई तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक दुनिया भर में ऐसे भारतीयों की संख्या कुल 8,189 है।

जेलों में कैद हैं। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन के मुताबिक, हमारे पास 31 मई तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक दुनिया भर में ऐसे भारतीयों की संख्या कुल 8,189 है।

मुरलीधरन के मुताबिक, ऐसे भारतीय को विभिन्न देशों के कानूनों के अनुसार भारतीय राजनयिक मिशनों से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कई देशों में ऐसे कानून हैं कि स्थानीय अधिकारी कैदी के बारे में समुचित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराते। कई देशों में कड़े निजता कानूनों के कारण स्थानीय अधिकारी कैदियों के बारे में बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Shankar Kumar Pandit S/o Ashok Pandit R/o B-409, Indra Kalyan Vihar, Okhla Industrial Area Phase-1, Delhi-110020, declare that name of my father has been wrongly written as Hareram Pandit in my Driving License No. DL-0320170579110 and PAN No. CONPP0876A. The actual name of my father is Ashok Pandit, which may be amended accordingly 0070665415-1

I, Vishvapreet Saggu D/o Gurparkash Singh R/o-2/8 Indra-Vikas Colony Delhi-110009. Changed My Name To Vishvapreet Kaur. 0040503791-2

I, Varuna Mahendru D/O Suresh Chand R/O.DN-358 Ward-14 Shyam-Nagar Colony-Palwal, Haryana,have changed my name to Varuna.,for all future purposes. I will be known as Varuna D/o Suresh chand from here after. 0040503771-2

I, Tomy TC/Tomy Chacko S/o. Chacko R/o.A-10-D, Vishal Kunj, Vishal-Enclave, tagore Garden, N.D-27 have changed my name to Tomy Tharayil Chacko. 0040503744-4

I, Swinder Kaur Sethi W/o Gursharan Singh Sethi R/o-3B/15, F/F, N.E.A., Old Rajinder-Nagar, N. Delhi-110060,have changed my name to Surinder Kaur Sethi. 0040503771-4

I, Swaran Kumar S/o Ram Ji Lal R/o 5126/1, Harphool Singh Building, Clock-Tower, Subzi-Mandi, Delhi-110007, have changed name to Sharwan. 0040503744-10

I, Sunita W/o Sh. Rajender Singh R/o C-102, Sarve Satyam C.G.H.S Ltd. Dwarka, Plot No. 12, Sector-4, New Delhi-110075, have changed my name from Sunita Solanki to Sunita for all future purposes. 0040503726-1

I, Sunil Singhal S/O Prakash Nand Singhal R/O-DU-138, Pitampura, Delhi-34. Changed My Name To Sunil Dutt Singhal 0040503798-3

I, Sumit Kumar Aggarwal S/o Sh. Subhash Chand Aggarwal, R/o 26, 2nd Floor, Harsh Vihar, have changed my name to Sumit Aggarwal for all purposes. Both are same person. 0040503716-1

I, Sukhviri W/o Sandeep Kumar D/o Vijay Pal R/o-3244 Gali Buddha wali Aryapura Subzi Mandi Ghantaghar Delhi-110007. changed my name to Preeti 0040503782-9

I, Sukhbir Singh Oberoi S/o Manohor Singh R/o-222, 2nd-Floor, kalyan-Vihar Delhi-110009. have changed my name.,Sukhbir Singh to Sukhbir Singh Oberoi. 0040503771-10

I, Suchetana Sengupta W/o Himanshu Sharma R/o-Z-99-A, Second-Floor, Dayal-Sar Road, Uttam-Nagar West, Delhi-110059. have changed my minor son name.from Samyak Saha aged 6-years to Samyak Sharma.,for all purposes. 0040503730-7

I, Subhash Rai S/o Roshan Lal, R/o-G-1/233, Indira-Enclave, Sector-21-D, Faridabad have changed my name to Subhash Bhardwaj. 0040503730-8

I, Sonica Gupta D/o Girish Negi R/oH.No.G-104, Nand-Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name to Sonica Negi. 0040503744-6

I, Simran Kamra D/o Rajesh Kamra R/o-878 FF, sector-12 sonipat, have changed my name to Simran for all purposes. 0040503771-6

I, Shri.Krishan S/O Raghu Veer Singh R/O-Old-Kasna Road, Oppostie-DubeyKirana Store, Surajpur, GautamBudh-Nagar, U.P-201305, Changed My Name To Shri Krishan Jatela. 0040503782-6

I, Sheela Devi Ahlawat W/o Kirpal Singh Ahlawat R/o-Village-Dhandlan, Beri, Jhajjar(Rohtak), Haryana-124107,have changed my name from Sheela Devi Ahlawat to Sheela Ahlawat vide affidavit dated-18/07/2019 before Notary Public,Delhi. 0040503782-8

I, Savita Gupta W/o Shobhit Gupta residing at H-33, Naveen Shahdara, Delhi-110032, declare that name of mine has been wrongly written as Srishti Gupta in the educational documents of minor son Garv Gupta aged 14 years. The actual name of mine is Savita Gupta, which may be amended accordingly. 0070665412-1

I Mohd Asif S/o Mohd Yusuf R/o A-2/9-B, DDA Flats, Inderlok, Delhi-35 mention that my Mother's name spelling wrongly mentioned as Avida Begum in my birth certificate instead of her correct name spelling Abida Begum. 0040503694-2

I, Mahesh Agarwal S/o Chatarbhuj Agarwal R/o-402 Village-Chattarpur New Delhi-110074. have changed my name to Mahesh Aggarwal. 0040503782-2

व्यक्तिगत

I, Sanjay Sharma S/o Sh.Parmanand Sharma R/o H.No.77, Ganpati Enclave, Paprawat Road, Najafgarh, New Delhi-110043, have changed the name of my minor son from Anuj to Anuj Kaushik for all purposes. 0040503682-5

I, SHASHIKANT S/o Rohtash Kumar R/o 10A/10792, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110005 inform that my name and my wife name has been wrongly mentioned in my daughter 10th and 12th Class Marksheet and Certificate as SHASHIKANT SOOD AND SANGEETA SOOD whereas our correct names are SHASHIKANT and SANGEETA respectively. 0040503685-1

I, Roma Munjal D/O Mohan Chand Munjal R/O-Ao-81, Kalakunj, Shalimar Bagh, Delhi-88, Changed My Name To Romaa Munjal. 0040503730-3

I, Rizwana Khatoon Mushtaque Ahmad W/o Mohammed Waseem R/o-F-24/13, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Rizwana Khatoon. 0040503744-8

I, Riya d/o Rakesh Saluja r/o Hno-98, Second Floor, Raja Garden, Delhi-110015, have changed my name to RIYA SALUJA permanently. 0040503728-1

I, Rita Rani W/o Shriram R/o-H.No.1470, Palam Vihar, Choma(62), Gurgaon, Haryana-122017. have changed my name to Rita Dandona. 0040503771-3

I, Rakesh Kumar Saluja s/o Ram Parkash r/o Hno-98, Second Floor,Raja Garden Delhi-110015 have changed my name to RAKESH SALUJA permanently. 0040503732-1

I, Rajesh Sachan S/o Sh. Lala Ram Sachan R/o C-123/ SU-19, Sector-71, Noida(U.P.). Inform That in my son's School record my name is mentioned as Rajesh . Rajesh and Rajesh Sachan both are one and same person. 0040503783-1

I, Rajesh Kumar S/o Ram Lal R/o. A-254/1, SF, Hari Nagar, Clock Tower, Delhi-110064, have changed my name to Rajesh Kumar Babbar. 0040503729-1

I, Rajender Singh S/o Sh. Sarup Singh R/o C-102, Sarve Satyam C.G.H.S Ltd. Dwarka, Plot No. 12, Sector-4, New Delhi-110075, have changed my name from Rajendra Singh Solanki to Rajender Singh for all future purposes. 0040503721-1

I, Rajeev Chandra Jha S/O Pramod Jha R/O-Bs-87-C, Shalimar Bagh, Delhi-88, Changed My Name To Rajeev Jha 0040503798-4

I, Rahul S/o Anand Singh R/o-916, Chabbu Pana Poorthkhurd, Delhi-110039 that my father's name has been wrongly-written as Anand in my School certificates. But my father actual name is Anand Singh. 0040503782-10

I, Priyanshi S/o, Pintu Tyagi R/o, 251, Holambi Kalan, Delhi-110082 have changed my name to Priyanshi Tyagi For All Purposes. 0040503727-3

I, Prithviraj Amol Mahalle S/o Amol Mahalle R/o.D-202, Amrapali Platinum Sector-119, Noida, U.P,have changed my name to Prithviraj Mahalle. 0040503723-1

I, Vikram S/o Sh. Purshottam R/o P-39A, Chanakya Place, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Vikram Kashyap for all purposes. 0040503682-2

I, Parvinder Bhatti D/o Rakesh Kumar R/o #2, 4th Floor Block-D, Dwarka-8, ND-77, have changed my name to Parvinder Kaur for all purposes. 0040503774-1

I, Nobila Rehman D/o Hafizur Rehman R/o Plat-494, Shahzada Bagh, Phase-1, Inder Lok, Inder Lok Metro Station, Inder Lok, Onkar Nagar, North West Delhi, Delhi-110035, have changed my name to Nabila Rehman for all purposes. 0040503682-4

I, Nidhi Mathur R/o 1001, Urvashi-2, Amarpali Royal, 2B Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad, UP. Have changed my minor son's name from Aayan Mathur to Ayan Mathur. 0040503706-1

I, Neelam Rani @ Neelam Sharma D/o Ramesh Kumar W/o Rakesh Kumar Sharma R/o F-Block, Second Floor Nain Singh Apartments, Near Govt. Sr. Sec school, Sarai khwaja, Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003 have changed my Name to Neelam Sharma for all Purposes 0040503796-4

I, Naveen Sethi S/o Mulkh Raj Sethi R/o 5287, Shora Kothi, Bharat Nagar, Basant Road, Pahar Ganj, New Delhi-110055 have changed my name to Navin Sethi S/o Mulakh Raj Sethi, for all purposes. 0040503687-1

I Shailender kaur w/o Avtar singh r/o-1C/167 Namdhari colony Ramesh Nagar Delhi. have changed my name to Shilender kaur. 0040503744-2

I Mohd Qasim S/o Mohd Yusuf R/o A-2/9-B, DDA Flats, Inderlok, Delhi-35 have Changed my Son Name From Abuzar to Mohd Adeeb for All Future Purposes. 0040503694-3

I, Narinder Rawal W/o Bhupinder Singh R/o A-16, 3rd Floor, DDA-Flats, New Ranjeet-Nagar, New Delhi-110008.have changed my name to Narinder Kaur. 0040503771-8

I, Monika W/O Naveen Kumar Vashisht R/O JL, 21 Roshan Garden Najafgarh, New Delhi-43, have changed my name to Monika Vashisht for all purposes. 0040503769-1

I, Mohan S/o Om Prakash Bansal R/o-IX/5049 Street No.1, Kaushikpuri East Old-Seelampur Delhi-110031, have changed my name to Mohan Bansal for all purposes. 0040503744-1

I, Mahesh Kumar Chandna S/O JAI GOPAL CHANDNA, H.NO.G-22, Adhyapak-Nagar, Nangloi, DELHI-110041. have changed my name to Mahesh Chandna. 0040503730-10

I, Laxmi Sharma W/o Ram Kumar Sharma, R/o-C-15, Gali No.9, Dayalpur-Extn., Karawal-Nagar, Delhi-110094,have changed my name from Luxmi Sharma to Laxmi Sharma for all future purposes. 0040503730-5

I, Laxmi Kumari W/o Manoj Singh R/o.D-59, Gali.No.2, East Vinod Nagar, Delhi-110091, have changed my name from Laxmi Kumari to Laxmi Raghav. 0040503796-1

I, Krishan Kumar S/o Late Ram Swaroop R/o-H.No.20-21, Gali-No.1, Samalka, New Delhi-110037- have changed my name to Krishan Kartik. 0040503771-5

I, Km.Suman Bala W/O Jagdish Chander Suri R/O B-50, Main-Gali, Kishan-Kunj Extn, Laxmi Nagar, Delhi-110092,Changed My Name To Suman Suri. 0040503791-3

I, Kishan Kharbanda S/o Amar Nath Kharbanda R/o-A-42 UGF, Rishi-Nagar Rani-Bagh Delhi-110034, changed my name to Kishal Lal Kharbanda. 0040503782-5

I, Khirendra Kumar Tripathy s/o Narendra Nath Tripathy r/o-K-93-B, ground-floor, Kalkaji new Delhi-110019, inform that name of mine has been wrongly-mentioned as Kshirendra Kumar Tripathy in my passport-document.The actual name mine is Khirendra Kumar Tripathy.,for all the future purposes. 0040503798-1

I, Mehnaj Praveen W/O Jawed Akhtar R/O-K-1539, Gali No.19, Sangam Vihar, Delhi-62, Changed My Name To Mehnaz Ansari 0040503798-2

I, Pintu S/o, Dev Dutt Tyagi R/o, 251, Holambi Kalan, Delhi-110082 have changed my name to Pintu Tyagi For All Purposes. 0040503727-4

I, Kanchan/Kanchan Negi W/o Amit Patwal R/o-2nd-D/10-B, Kamna, Vaishali, Ghaziabad. have changed my name to Kanchan Amit Patwal for all purposes. 0040503730-6

I, Jawed Akhatar S/O Sabir Ali R/O K-1539, Gali No.19, Sangam Vihar, Delhi-62, Changed My Name To Jawed Akhtar 0040503791-1

I, Jagmohan Singh Nandha S/o Ajeet Singh Nandha R/o-BG-6/112-C, Paschim-Vihar, Delhi-110063, have changed name to Jagmohan Singh S/o Ajeet Singh. 0040503744-9

I, Hemant@ Hemant Kumar Maurya, S/o Late-Jawahar Lal R/o-D-229 Phase-2 Opp. Lokesh Cinema Hall Nangloi Tikti Kalan West Delhi-110041. have changed my name to Hemant. 0040503791-7

I, Hemant Sharma S/o Sh.Ved Prakash Sharma R/o H.No.50, Jain Colony Part-1, Matiyala, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed the name of my minor daughter from Lavika Sharma to Anaya Sharma for all purposes. 0040503682-1

I, Hemant Grover S/o Ved Parkash Grover R/o 336 Dhakka Zohre Extn Mukherjee Nagar Delhi-110009 have changed my minor daughter's name from Lavanaya Grover to Lavanya Grover. 0040503782-4

I, Gurudev Singh S/O Kartar Singh R/O-215, Block-N, Uday-Vihar Part-3, Nilothi-Ext., Nangloi, Delhi-41, Changed My Name To Gurdev Singh. 0040503730-4

I, Garima Gupta W/o Amit Gupta R/o-C-II, H.No-54, Aashirwad Colony, Sector-2, Ghaziabad, have changed my name to Garima Narang Gupta. 0040503771-1

I, Dinesh Chand S/o Narayan Dutt Pathak R/o Khasra-No.38/10, G-7, Block-A, Amrit-Vihar, Burari, Delhi-110084 have changed my name to Dinesh Chand Pathak. 0040503782-3

I, Daljeet Singh Talwar S/O Inder Singh Talwar R/O-69, Shayam-Nagar Old, Gobind pura, Krishna-Nagar, Delhi-110051, Changed My Name To Daljeet Singh. 0040503791-4

I Jabir Hussian S/o Abdul Hussain R/o A-8/50, Gali No.01, Near Fatima Masjid Kabir Nagar, Delhi-94 have Changed my Daughter Name From Mariya Zarnain to Mariya for All Future Purposes. 0040503694-1

I Hazi Gulzar S/O Haji Islamuddin,35, Kureshiyan Dhaulana Hapur U.P-245301. Have Changed My Name To Gulzar Ahmed Permanently. 0040503730-2

व्यक्तिगत

सूचनार्थ मैंने अपने पुत्र अशर उस्मानी का नाम परिवर्तित कर अब फ़वाज उस्मानी रख दिया है। उसे इसी नाम से जाना-पहचाना जायेगा। श्रीमती इरम उस्मानी पत्नी स्व. तौकीरखान 314/1 सी मिर्जामण्डी चौक लखनऊ

मैं डॉली गुप्ता, पत्नी वरुण चंद्र गुप्ता, निवासी 409, गली माता वाली तेलीवाड़ा, आजाद मार्किट, बाराटूटी, दिल्ली, ने सभी कार्यों हेतु अपना नाम बदलकर दिव्या गुप्ता रखा लिया है।

मैं वरुण गुप्ता, पुत्र श्री वेद प्रकाश, निवासी म.नं. 409, गली पनिहारी माता वाली तेलीवाड़ा, सदर बाजार, दिल्ली, ने सभी कार्यों हेतु अपना नाम बदलकर वरुण चंद्र गुप्ता रखा लिया है।

मैं, मीनाक्षी कत्याल, पत्नी श्री महिंदर पाल कत्याल, मकान WZ-189, पहली मंजिल, गली नंबर 11, शिव नगर, नई दिल्ली- 110058, भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम मीनू कत्याल रख रही हूं।

मेरे सेना सर्विस रिकार्ड में छोटे भाई का नाम SHAILENDAR CHAURASIYA गलती से लिख गया है। मार्कशीट आदि में SAILENDRA CHAURASIYA है जो सही है। आर्मी नं.- 14872329x सिपाही- एम-एमटी- मुकेश कुमार चौरसिया, पुत्र- गया प्रसाद चौरसिया, ग्राम- करमपुर परवरभार, पोस्ट- धम्मौर, जिला- सुल्तानपुर।

I, Chandra Lata @ Lata Chariya @ Lata Charya D/o Late Sh.Jai Dev Sehgal W/o Late Sh.L K Chariya R/o 3/53, First Floor, Geeta Colony, Gandhi Nagar, S.O., East Delhi, Delhi-110031, have changed my name to Lata Chariya for all purposes. 0040503682-3

I, Bindiya W/o. Rajesh Kumar Babbar R/o. A-254/1, SF, Hari Nagar, Clock Tower, Delhi-110064 have changed my name to Bindiya Babbar. 0040503729-2

I, Bhupinder Kumar S/O Puran Lal Kalra R/O-105, Indra Vihar, Near B.B.M. Depot, Delhi-110009.Changed My Name To Bhupinder Kumar Kalra. 0040503791-5

I, Bhag Singh S/o Shri Ranbir Singh Negi R/o Flat No. 14, Plot No. 4, Harshuk Apts. Sec-7, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name from Bhag Singh Negi (B.S. Negi) to Bhag Singh for all future purposes. 0040503724-1

I, Ashwani S/O Dayaram Chauhan R/O-C-72, West Jyoti Nagar Enclave, Gokulpuri, Delhi-110094. Have Changed My Name To Ashwani Chauhan Permanently. 0040503730-1

I, Ashu S/o Jaivir R/o B-267, Sector-26, Noida U.P. have changed my name to Aashu Kumar Jaivir for all future purposes. 0040503725-1

I, Amir Chander, S/o Tej Ram, R/o-6568, Gali Pradhan-Chowk, Nabi Karim, Paharganj, delhi-55, have changed my name to Amir Chand. 0040503771-7

I, Aman dhaiya S/o mahavir Singh R/o-B-55a, New Gupta colony Delhi-110009. have changed my name to Aman Dhahiya. 0040503744-5

I, Alok Kumar Goel S/o Jagdish Prasad Goel R/o-496, Heera-Colony, Chaudhary-Wara, Sikandrabad, Bulandshahr have changed my name to Alok Goyal. 0040503744-7

I, Albil T Tomy S/o Tomy Tharayil Chacko R/o.A-10-D, Vishal Kunj, Vishal Enclave, tagore Garden, N.D-27 have changed my name to Albil Tharayil. 0040503744-3

I, Akshath Bansal s/o Dinesh Kumar Bansal R/o B-2/24A Yamuna Vihar Delhi-53, informs that Akshath Bansal and ILU Bansal, both are the same person for all future purposes. 0040503755-1

I, Aditya Kumar Jain S/o Pawan Kumar Jain R/o-528/1A, Bara-Bazar, Shahdara, Delhi-110032.have changed my name to Aditya Jain. 0040503771-9

I, Aashi D/O Naveen Kumar Vashisht R/O JL, 21 Roshan Garden, Najafgarh, New Delhi-43, have changed my name to Aashi Vashisht for all purposes. 0040503772-1

I, Aakish Saifi S/o Yusuf Khan, R/o 1-J/35, NIT, Faridabad have changed my name to Akish Saifi. 0040503730-9

I Vikas S/o Shiv Ram R/o H.No.9/157, Barh Mohalla, Old Faridabad inform that i have added my surname Parashar with my name as Vikas Parashar for all purposes. 0040503727-2

I Rachna Bhardwaj W/o Alok Bhardwaj R/o H.No. 3C/20B NIT Faridabad have inform that I known two type of names Rachna Bhardwaj & Mamta Rani. My real name is Rachna Bhardwaj, in future know me as Rachna Bhardwaj. 0040503727-1

I Sarita Agarwal W/o Mahesh Aggarwal R/o-402 Village-Chattarpur New Delhi-110074. have changed my name to Sarita Aggarwal. 0040503782-1

I, S.Jaspal Sing F/o Taran Pal Singh R/o-S2/15, Old-Mahavir-Nagar, New Delhi-110018, inform that Taranpal Singh Dhodi & Taran Pal Singh both are same person. 0040503614-2

खोया+पाया

मैं संदीप पुंढीर S/o अनिल कुमार, गांव व पोस्ट- सुजावलपुर, जिला- हाथरस। मेरा इंटरमीडिएट उ.प्र. बोर्ड का प्रमाण पत्र जिसका रोल नंबर- 0403004 है। वो कहीं खो गया है। जिसकी मैंने पुलिस शिकायत भी कर दी है।
50151756

I, KHUSHI Bansal D/o Sanjay bansal R/o-G-29/113-114 sec-3 Rohini Delhi. Have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8189579 C.B.S.E. Delhi 0040503798-6

It is notified for the information that my Original Qualification Examination Marks Statement of Main, Senior Secondary Examination of Year 1995 and Roll No.6204768 issued by CBSE has been actually lost. Name of Candidate ANKUR SHARMA Full Address 58-A, OLD ARJUN NAGAR, STREET NO.4&5 NEAR CELEBERATE HONDA, DELHI-110051/ Tel 9810606606. 0040503753-1

I, ANJESH KUMAR Gond S/o Harikesh gond R/o-pandit mohalla-rangpuri Delhi-37. Have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8738274 C.B.S.E. Delhi 0040503798-7

I, HARISH Dabas S/o Mahavir singh R/o.h.no-606 vpo-ladpur Delhi-110081. have lost my original certificate class-12th year-2015 Rollno-9142079 CBSE, Delhi 0040503798-5

LOST & FOUND

I, Mrs. Sapna Aggarwal W/o Mr. Vipin Aggarwal R/o E-353, Mayur Vihar, Phase-2 hereby state that I have lost/ misplaced my original Flat Buyer Agreement of Flat No. 906, Tower-C, Saviour Greenarc Location, Tech Zone IV, Greater Noida, Uttar Pradesh-201009 and the same has not been misused by me and neither I have taken finance from any bank on the said property. I have already lodged an FIR bearing LR No. 1280152 /2019 with Delhi Police. If anyone found my flat buyer agreement kindly send it on above-mentioned address.

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Sh Chaman Lal S/o Late Devi Sahai R/o RZ-26P/191C, Indra Park, Gali No. 2, D N Sharma Marg, Palam Colony, Delhi, has severed all his relations with his Daughter in law namely Nisha W/o Lt Praveen Kumar, granddaughter namely Yakshi D/o Lt Praveen Kumar and grandson namely Dhruv S/o Lt Praveen Kumar. My client has also debarred and disowned them from all his moveable & immovable properties. Hence forth, if any person deals with them in any manner shall be doing at his own risk & consequences and my client shall not be responsible for any act(s) or deed (s) committed by them.

HEM SINGH (Advocate)
Ch. No. 125A, New Delhi Courts
Patiala House, New Delhi-01

PUBLIC NOTICE

Be it known that my clients **(1) SH. JEEWAN MAL SETHIA S/O LATE SH. GHEWAR CHAND SETHIA (2) SMT. BEBI SETHIA W/O SH. JEEWAN MAL SETHIA BOTH RESIDENT OF HOUSE NO. 240-241, THIRD FLOOR, POCKET-4, SECTOR-25, ROHINI, DELHI-110085** have disowned and severed all their relation with their son namely **GAUTAM SETHIA AND HIS WIFE KHUSHBU SETHIA** and debarred them from their movable and immovable properties/assets due to their mis-behaviour. Any body dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

SURENDER KUMAR (ADVOCATE)
Enrl. No. D/152/88

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Sh. Ashok Kumar, S/o Sh. Ram Chander & Smt. Laxmi Devi, W/o Sh. Ashok Kumar, both R/o H. No. B-776, Gali No. 10, 2-Pusta, B-Block, Sonia Vihar, Delhi-110094 do hereby with the present notice, has debarred from all their movable and immovable properties and has severed all the relationship with their son namely Jai Prakash and his wife Smt. Malti, D/o Sh. Jatan along with their legal heirs living at unknown addresses, due to their unlawful acts, misconduct, disobedience and misbehavior attitude. Any person dealing with them shall be doing so at his/her own risk and my clients shall not be responsible for the same.

Sd/-
NAVED AZAM
Advocate
Ch. No. K-131, Tis Hazari Courts,
Delhi-110054
M. 9968363291

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Mr. Satya Narayan Yadav S/o Sh. [illegible] Prasad Yadav & Mrs. Kaushal Yadav W/o Mr. Satya Narayan Yadav both R/o H.234, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi have disinherited / disowned all their relations & responsibilities in all manner with their daughter Ms. Shweta Yadav. She has left the company of my clients many times without intimation & my clients have no control over her. My clients have severed all their relations with her and debarred her from all their movable & immovable properties/assets from March 2019 as well as the day of present publication & my clients will not be responsible for any act or omission done by her. Anybody dealing with Ms. Shweta Yadav would be responsible himself and will do so at his / her own risk.

Pratima Sharma (Advocate)
Ch. No. 436, Patiala House Court, New Delhi

PUBLIC NOTICE

Public Notice is given to the general public that my client namely Smt. Bilkis Fatma W/o Late Sher Ali R/o H.No.3867, Khidki Taffazul Husain, Kala Mahal, Darya Ganj, Delhi-110002 has disowned and disinterited her son namely Naushad Ali S/o Late Sher Ali and his wife namely Heena Parveen W/o Naushad Ali D/o Khailat Mehdi, from all her moveable and immoveable properties and have also directed them not to enter her house bearing No.3867, Khidki Taffazul Husain, Kala Mahal, Darya Ganj, Delhi-110002. If they try to illegally trespass the above property necessary police action as per law shall be taken against them.

M.N. Khan (Advocate)
Ch.No.618, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

My client JAGDISH KUMAR SHARMA S/O LATE SH. HARI SHANKAR R/O 213/A, GALI NO. 3, SADATPUR EXTENSION, KARAWAL NAGAR, DELHI-110094 has debar his son DHEERAJ SHARMA his wife AVANTIKA, ROHIT SHARMA his wife SONIA and daughter POONAM SHARMA from his all movable-immovable properties due to their disobedient and cruel behavior. Anybody dealing with them shall to do so at his own cost & risk.

Sd/-
R.L. PRASAD (ADVOCATE)
CH. NO. 337, 3RD FLOOR, MEETING ROOM LAWYERS CHAMBERS
ROHINI COURTS, DELHI

PUBLIC NOTICE

My clients SHRIRAM S/O SH. CHAMAN LAL R/O PLOT NO. A-30, SAI VATIKA APARTMENT, FLAT NO. 201, 2ND FLOOR, CHANDRA PARK, N.S.I.T., DWARKA, DELHI -110078, DO hereby disown/debar his son MANISH KUMAR KATARIA AND his daughter GEETA SIDHU and has severe all relations from MANISH AND GEETA and debar them from all his movable/immovable properties to due misconduct/ misbehavior and their hostile behaviour. My client will not be responsible for their acts & Deed in future in any respect.

Sd/-
SANDEEP KUMAR (ADVOCATE)
CHAMBER NO. 164, CIVIL WING TIS HAZARI COURT, DELHI-54

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल, श्री [illegible] पुत्र श्री प्रह्लाद सिंह निवासी मकान नं. 11/1, प्रथम विहार-1, [illegible] नई दिल्ली-110017 ने अपने पुत्र श्री तरुण कुमार एवं पुत्रवधू श्रीमती पूनम पत्नी श्री तरुण कुमार को उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। इनसे किसी कार्य, लेन-देन व व्यवहार के लिए मेरे मुवक्किल या उनका परिवार जिम्मेदार नहीं होंगे।

हेमलता शर्मा (अधिवक्ता)
चै.न. 15, साकेत कोर्ट, दिल्ली-17

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुव्वकिल श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मुन्नी लाल एवं श्रीमति पूनम पत्नी श्री मनोज कुमार, निवासीगण 801, थर्ड फ्लोर, राजरानी बिल्डिंग, गली दाईवाड़ा, कुण्डेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली-110006 ने अपनी पुत्री जानवी को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिए हैं क्योंकि वह मेरे मुव्वकिल की आज्ञाकारी नहीं रही है और उसने मेरे मुव्वकिल की मर्जी व अनुमति के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अतः भविष्य में जानवी अपने समस्त कार्यों व लेन-देन तथा अपने जीवन के हर पहलू के स्वयं जिम्मेवार होगी, मेरे मुव्वकिल व उसके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।

हस्ता./-
जी.एल. गोस्वामी (एडवोकेट)
3530, कुतुब रोड, दिल्ली-06

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल, श्री [illegible] सिंह उम्र 88 वर्ष सुपुत्र श्री राम सिंह निवासी मकान नं. 120, [illegible] पुत्र के पीछे, [illegible] नई दिल्ली-110030 ने अपने पुत्र [illegible] एवं पुत्रवधू श्रीमती [illegible] को उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। इनके किसी कार्य, लेन-देन व व्यवहार के लिए मेरे मुवक्किल या उनके परिवार जिम्मेदार नहीं होंगे।

हेमलता शर्मा (अधिवक्ता)
चै.न. 15, साकेत कोर्ट, दिल्ली-17

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that my client Mr Saud Ahmad Khan R/o House No. 112 Anand Nagar, Delhi 110035, has disowned and dis-inherited his son Abdul Mabood Khan and his wife Sadiya Alina, from all his movable and immovable properties of my above client. My client shall not be liable for any act of the said person.

Sd/-
(AKSHAY KUMAR) ADVOCATE
75, Anand Nagar, Near Inderlok
Delhi-35

PUBLIC NOTICE

My client TAJENDER PAL S/o Late Shri TAHLA RAM and his wife Smt. SHANTA RANI Both R/o C-87, First Floor, Kirti Nagar, Delhi 110015. has severed, disowned and dissolved all relations with his son HIMANSHU ARORA and her daughter in law SRISHTI ARORA and has debarred/ disowned them from his all movable and immovable properties due to their mis-behaviour & mis-conduct. My client shall not be responsible in any manner from any acts and deed of his son and daughter in-law.

Sd/-
Dr. Vijay Kumar Sharma
Advocate
Ch. No. 607, W. Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified to all the general public on behalf of My Client **SHRI PREM KUMAR SON OF SHRI JOGINDER PAL** R/O D-8A, MUKHRAM GARDEN, NEW DELHI-18, has debarred his Son of namely **KAPIL MARWAH** from all his movable and immovable properties and have also severed all relations with him due to his misbehavior and cruelty. My Client will not responsible for any type of his activites and his dealing with any other person in future. It is own risk and responsibility.

Sd/-
S.K. SHRIVASTVA
(Advocate)
D/73-IB/1991

PUBLIC NOTICE

It is for general information I **ANUP YADAV S/O SANDEEP YADAV** Residing at B-676, Gali No-8, Sonia Vihar, Delhi-110094, declare that name of my father has been wrongly written as **SANDEEP KUMAR YADAV** in my Cast certificate No-90509489460092. The actual name of my father is SANDEEP YADAV, Respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client **MR. SURENDER SINGH S/O KESAR SINGH & SMT. RAJ KAUR W/O SH. SURENDER SINGH BOTH R/O C-79, JAIN COLONY, BARWALA, DELHI-110039**, have been left/debar all relations from their son namely **MANJEET SINGH** & daughter-in-law **SMT. PREETI**, and their children's, due to their misbehavior, from their all movable and immovable properties. Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

SURENDER KUMAR (ADVOCATE)
Enrl. No. D/152/88

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instruction from & on behalf my client **Smt. Nirmala** W/o Baldev Singh R/o C-115, Front Side, New Ranjit Nagar, Patel Nagar, New Delhi-08, has disowned her son **Deepak** S/o Baldev Singh & her daughter-in-law **Poonam** W/o Deepak R/o C-115, Back Side, New Ranjit Nagar, Patel Nagar, New Delhi-08, from all her movable, immovable assets & ceased all relations with them. Anybody dealing with them will do so at his/her/their own risks. My client will not be responsible for their any act, transaction in any manner. **R.B. Singh** (Advocate)
Ch.75, W.W., Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

The Public at large are informed about sale-purchase of property bearing: Plot No. 173, Pocket 4 & 5, Sector 23, Rohini, Delhi-110085. And if anyone have objection towards that sale-purchase, he/she/they should inform me with their objection at S-48B, School Block, Shakarpur, Delhi- 110092 or lodge complain informing me to the SHO, P.S. Begampur, Rohini, Delhi-110086.

Sd/-
RAJEEV RANJAN KUMAR
(Advocate)
S-48B, School Block,
Shakarpur, Delhi-92

PUBLIC NOTICE

This is for the information of the general public at large that my client Shri Deepak Kumar Saigal S/o Shri R.N. Saigal R/o H. No. H2/124, Top Floor, Sector-16, Rohini, New Delhi-110089 has severed his relations and have disowned his son, Vikram Saigal from all his movable and immovable properties due to his misbehavior, disobedience and hostile attitude towards my client. My client shall not be held responsible for any act or deed of said Vikram Saigal and also Vikram Saigal shall not be held responsible for any act or deed of his father, Deepak Kumar Saigal. Anybody dealing with him shall do so at his/her/their own risks and consequences.

Sarika Jetley Kochar (Advocate)
Ch. 703, Lawyers Block, Saket Court Complex, New Delhi-17

भीड़ हत्या : अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या (लिंचिंग) की घटनाओं पर लगाम लगाने में कथित रूप से विफल रहे कुछ राज्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने कहा कि अवमानना की याचिका पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।

पीठ ने वकील को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी कि शीर्ष अदालत के फैसलों पर कई राज्य सरकारों ने अमल नहीं किया है और ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन फैसलों में अदालत ने देश में भीड़ हिंसा एवं गो रक्षा के नाम पर होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए थे। पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामलों पर तत्काल सुनवाई के संबंध के बारे में वकीलों के 50 फीसद बयान गलत पाए जाते हैं।

पिछले साल 17 जुलाई को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा था कि भीड़तंत्र को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और और उसने भीड़ के हाथों हत्या एवं गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। पीठ ने यह भी कहा था कि केंद्र को ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए नया कानून लाने पर विचार करना चाहिए।

रेलवे अस्पतालों में भरेंगे पैरा मेडिकल के खाली पड़े पद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

रेल मंत्रालय के अस्पतालों के लिए स्टाफ नर्स और आचार विशेषज्ञों (पैरा मेडिकल) सहित अन्य श्रेणियों में भर्ती की जाएगी। इसके लिए रेल मंत्रालय विशेष भर्ती अभियान चलाएगा। मंत्रालय के मुताबिक यह अभियान 19 से 21 जुलाई के बीच चलेगा और इसमें 1923 पदों पर भर्ती परीक्षा होगी। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी और हर दिन तीन पालियों में परीक्षा होगी। भर्ती के लिए देशभर से 4.39 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में बैठेंगे।

परीक्षा देशभर के 107 शहरों-कस्बों के 345 परीक्षा केंद्रों पर होगी। भर्ती के प्रक्रिया में रेलवे ने आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के तहत आरक्षण उपलब्ध कराएगा। इस परीक्षा में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कुल पदों की दस फीसद सीट आरक्षित की गई है। परीक्षा में 4654 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients, (i) Mr. Hari Krishan Malhotra, Son of Late Shri Mahabir Prasad, and (ii) Mrs. Aruna Malhotra, Resident of C-34, Sector-2 Ashirwad Colony Vaishali Ghaziabad- 201010 (U.P.) have dis-owned/ discarded their son, namely. Mr. Amit Malhotra who was residing at C-34, Sector-2 Ashirwad Colony Vaishali Ghaziabad- 201010 (U.P.) since 15th June, 1996 and is presently residing at R/o 6/269; Doonger Maholla Vishwas Nagar Shahdara Delhi since 17-07-2019. Neither, the said Mr. Amit Malhotra nor his wife, Mrs. Neha Malhotra, shall henceforth have any right, title or interest in any of my properties, either movable or immovable, whatsoever and wheresoever, including House C-34, Sector-2 Ashirwad Colony Vaishali Ghaziabad-201010 (U.P.). My clients have/shall have absolutely no liability/responsibility for any act, deed or things done or committed by Mr. Amit Malhotra and his wife Mrs. Neha Malhotra on any account whatsoever and any person dealing with them shall be doing so at his own risk, cost and responsibility.

Sd/-
(Ashok K. Raizada)
Advocate
Chamber No. 69, Civil Side,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सार्वजनिक सूचना

बिफोर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली एनसीटी ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, २००८ की धारा १३ (३)
और
EMPOWER SCHOOL OF HEALTH LLP (AAD-3138) जिसका पंजीकृत कार्यालय WZ-६१८, ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट नंबर २०, शिव नगर एक्सटेंशन, जनकपुरी, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, ११००६५ स्थित है, के मामले में

....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह एलएलपी दिल्ली और हरियाणा की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों, दिल्ली एनसीटी के समक्ष ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, २००८ की धारा १३ (३) के साथ पढ़ा गया एलएलपी नियम, २००९ के नियम १७ के आधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमे एलएलपी का पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरण करने के लिए तारीख ०५ जुलाई २०१९ को आयोजित पदनामित साझेदारों की बैठक में प्रस्ताव पारित के संदर्भ में पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए पुष्टि प्राप्त की।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण का हित प्रस्तावित होता है तो वह व्यक्ति शपथ पात्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारन उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के २१ दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, फोर्थ फ्लोर, एफसी टावर, ६१, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ११००१९ पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी को उनके ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेंगे।

कृते एवं हित
EMPOWER SCHOOL OF HEALTH LLP
ह/-
स्वरनिन्दर सुख
डिन:- ०५२६६६२५

दिनांक : 18 जुलाई 2019
स्थानः दिल्ली

The Indian EXPRESS Classifieds

EXPRESS EDUCATION

ANTHRO
Test Series
& TAP
For details pl visit
www.vaidsics.com
How to Crack IAS?
Must Watch
for all Aspirants
youtube.com\c
\vaidsicsdelhi

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

काशीपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश बर्खास्त

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 18 जुलाई।

नैनीताल हाई कोर्ट की सिफारिश और राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल जिले के काशीपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश अनुराधा गर्ग को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया है।

उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने हाई कोर्ट की सिफारिश के बाद न्यायाधीश अनुराधा गर्ग की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। बर्खास्त की गईं न्यायाधीश अनुराधा गर्ग 2015 से निलंबित चल ही थी। इस मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे।

मुंबई-गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस पटरी से उतरी

मुंबई, 18 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र में मुंबई-गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस का एक डिब्बा गुरुवार सुबह पश्चिमी घाट में पटरी से उतर गया, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा तड़के करीब तीन बजकर 50 मिनट पर कसारा और इगतपुरी के बीच हुआ, जब ट्रेन का पीछे से दूसरा डिब्बा पटरी से उतर गया। ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चली थी और उसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जाना था। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण ट्रेन पहाड़ी पर बने एक पुल पर रुकी हुई थी, जिसके नीचे गहरी खाई थी, जिससे यात्री तनाव में आ गए, हालांकि यात्रियों को बाद में वहां से निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि पुल पर फंसे सभी यात्रियों को 'वेस्टब्यूल' के जरिए बाहर निकाला गया, जो अन्य डिब्बों से जुड़ा और बाद में उन्हें बचाव ट्रेन में भेजा गया।

कच्ची कॉलोनियों को मिल सकता है पक्का हक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

- 1797 कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मिलेगा लाभ
- नवंबर 2015 के मसविदे पर अब आया केंद्र सरकार का जवाब

दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जल्द उनके मकान का मालिकाना हक मिल सकता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत सूचना दी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को मसौदा भेजा था जिसपर केंद्र सरकार ने सहमति जताई है। केंद्र सरकार की पूर्ण मंजूरी के बाद इन कॉलोनियों को नियमित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को 2 नवंबर 2015 को इस मामले से जुड़ा प्रस्ताव भेजा था। बुधवार को केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया है। साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी मांगे हैं। जल्द ही दिल्ली सरकार इन सवालों का जवाब केंद्र सरकार को भेजेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र को जल्द जवाब भेजने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने पर कुल 1,797 कच्ची कॉलोनियों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कॉलोनियों के विकास पर अब तक 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पहली बार इन कॉलोनियों के लिए 6 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वहीं कॉलोनियों में सीवर से जुड़ी समस्या पर भी 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास तभी होगा जब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करे। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली वालों के लिए जश्न मनाने का वक्त है।

केंद्र सरकार का श्रेय लेने की कोशिश : गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

भाजपा ने आरोप लगाया कि कच्ची कॉलोनियों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पलटी खाई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर इन कॉलोनियों को ध्वस्त करने और उन्हें बिल्डरों को बेचने के आरोप लगाए थे।

उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को पक्का करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, तो अब वे बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कार्य का श्रेय लेने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार के 100 दिन के एजंडे के तहत किए जाने वाले कामों में इन कॉलोनियों को नियमित करना भी शामिल किया गया है। इसकी मदद से कॉलोनियों में रह रहे परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल श्रेय लेने के लिए केंद्र सरकार का गुणगान शुरू कर दिया है।

'कॉलोनियों की सीमा का निर्धारण जल्द करे दिल्ली सरकार'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

भाजपा नेता मनोज तिवारी ने गुरुवार को कहा कि कच्ची कॉलोनियों की सीमा निर्धारण का काम दिल्ली सरकार को जल्द शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दो साल का समय मांगा था। इसके बाद फिर दो साल का समय मांगा, लेकिन चार साल पूरा हो जाने के बाद भी दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सीमा निर्धारण का काम दिल्ली सरकार को ही करना है और उसे जल्द यह काम पूरा करना चाहिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस काम के लिए 2021 तक का समय मांगा है। तिवारी ने कहा कि भाजपा का निवेदन है कि कम से कम कॉलोनियों की सीमा का निर्धारण जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने में दिल्ली सरकार के फेल होने पर केंद्र ने एक विशेष समिति गठित की थी और इस काम को पूरा करने का जिम्मा लिया था।

सुनंदा पुष्कर हत्या मामला

थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 20 अगस्त से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई 20 अगस्त से शुरू होगी। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इस बाबत आदेश जारी किए। अदालत ने अभियोजन पक्ष को इस मामले में जमा दस्तावेजों पर विशेषज्ञों की राय लेने के लिए स्वतंत्र बताया। अगर दलीलें 20 अगस्त को पूरी नहीं हो पाईं तो सुनवाई 22 अगस्त को भी चलेगी। बकौल अदालत आरोप तय करने की सुनवाई दो दिनों में पूरी होनी है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले में आरोपपत्र से जुड़े दस्तावेजों पर वैज्ञानिक, कानूनी, फोरेंसिक सहित अन्य विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इनमें से किसी भी दस्तावेज को अनधिकृत तौर पर किसी भी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपराध प्रक्रिया संहिता सहित संबंधित नियमों का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष को कड़ी हिदायत दी है। जज ने कहा कि गोपनीयता का ध्यान रखा जाए।

डीयू की एसी बैठक में एबीवीपी के हमले की माकपा ने की निंदा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की दिल्ली राज्य समिति ने डीयू की विद्वत परिषद (एसी) बैठक में एबीवीपी के हमले की निंदा की है। 16 जुलाई को एसी बैठक में जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कुलपति कार्यालय में घुसने दिया गया, वह सरकार और डीयू प्रशासन की मिलीभगत का नमूना है। डीयू कुलपति कार्यालय में घुसकर न केवल नारेबाजी की गई, बल्कि अंग्रेजी और इतिहास विभाग के विभागाध्यक्षों के अलावा एसी सदस्य सैकत घोष को भी निशाना बनाया गया।

CITY ACADEMY DEGREE COLLEGE
Tiwariganj, Chinhat, Lucknow
REQUIRED PRINCIPAL
Qualification, Experience & Percentage as per State Govt. & Lucknow University Norms. Applicants should apply within 15 day to Manager, City Academy Degree College, Tiwariganj, Chinhat, Lucknow.
E-mail :info@cgclko.com

पंजाबी बाग में कारोबारी की गोली मार कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

पंजाबी बाग में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मीट कारोबारी सलीम कुरैशी की गोली मार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस आपसी रंजिश की आशंका जता रही है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है।

सलीम की मादीपुर गांव में मीट की दुकान है। दुकान पर सलीम, भाई रहीस, शकील और नदीम बैठते हैं। बुधवार शाम को दुकान से सलीम पश्चिम विहार एक्सटेंशन स्थित हाथी रेस्तरां के सामने जिम करके कार में बैठकर घर के लिए निकले थे। मादीपुर लाल बत्ती पर मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया। छह राउंड गोली सलीम पर चलाई। उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस उसे पास के अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सार्वजनिक सूचना
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के निगम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार (शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित) उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
तथा
मामले में
विंग्स एंड वेव्स लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एच.नं. 819, सेक्टर 21डी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में है .... आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए आवेदक कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 13 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी निगमन (नियमावली) 2013 के आर/30 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
कृत्ते एवं के लिये
विंग्स एंड वेव्स लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
ओप्पथ कारुमठिल सुधीर
निदेशक
DIN:08361958
पताः कारुमठिल थ्रिकलूर पोट्टासरी मन्नरक्काड 678593
तिथिः 13.7.2019
स्थानः दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक – भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank – the name you can BANK upon!
बीओः एआरएमबी, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091, ई-मेलः bo8075@pnb.co.in, फोनः 011-22852897

निविदा सूचना

नीचे वर्णित ऋणधारकों ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण प्राप्त किया था। यह ऋण खाता 31.8.2014 को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति बन चुका है। अतएव, बैंक ने सार्वजनिक निविदा के माध्यम से आयशर ट्रक की बिक्री करने का फैसला किया है। जमा की गई मुहरबंद निविदायें 16.8.2019 को 5.00 बजे अप. में पजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी मयूर विहार फेज-II, पॉकेट ई, दिल्ली-110091 में हमारी शाखा कार्यालय में खोली जायेगी। बिक्री के नियम एवं शर्तें नीचे दिये गये हैं:

ऋणधारक का नाम एवं पता	शाखा का पता	परिसम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रुपये में)
मै. भूमिका इस्पात उद्योग प्रा.लि., नं. 157, 3रा तल, हर्ष विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी मयूर विहार-II, पॉकेट-ई, दिल्ली-110091	आयशर 30.25 एसपी, मैन्यु. का वर्ष 2010, पंजीकरण सं. HR46C2571, पंजीकरण तिथिः 14 मई, 2010	रु. 1,30,000.00 (रुपये एक लाख तीस हजार मात्र)	रु. 13,000.00 (रुपये तेरह हजार मात्र)

परिसम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी के विवरणों के लिए बोलीदाता **www.pnbindia.co.in** पर लॉग ऑन करें अथवा शाखा में सम्पर्क करें।

नियम एवं शर्तें:
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री "जैसा है जहां है" तथा "उपचार रहित आधार" पर की जायेगी।
2. सम्पत्ति का निरीक्षण 12.8.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक किया जायेगा। बाद में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं होगा।
3. निविदा मूल्य से शामिल बोली "पंजाब नेशनल बैंक, बीओः एआरएमबी, मयूर विहार-II, दिल्ली-110091 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि (ईएमडी) के साथ "आयशर ट्रक की खरीद के लिये निविदा" के रूप में शीर्षांकित केवल मुहरबंद लिफाफे में ही की जायेगी।
4. इच्छुक बोलीदाता पंजाब नेशनल बैंक, बीओः एआरएमबी, मयूर विहार-II, दिल्ली-110091 में 14.8.2019 के 4.00 बजे अप. या उससे पूर्व केवाईसी दस्तावेजों के साथ बोली जमा कर सकते हैं जिसके बाद "पंजाब नेशनल बैंक, बीओः एआरएमबी, मयूर विहार, पॉकेट-ई, मयूर विहार, दिल्ली-110091" में 16.8.2019 को 5.00 बजे अप. में निविदा को संबंधित भागीदारों के समक्ष में खोला जायेगा।
5. बिक्री की पुष्टि उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की जायेगी। सफल बोलीदाता को बोली के परिणामों की घोषणा के 24 घंटे के भीतर धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोली राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को उनके पक्ष में बिक्री की पुष्टि के दिन ही सम्पत्तियों को हटाना होगा अन्यथा पार्किंग शुल्कों/अन्य लागू होने वाले शुल्कों की वसूली की जायेगी।
7. इस प्रकाशन द्वारा संबंधित ऋणधारकों एवं गारंटरों की सूचना देते हुए अनुरोध की जाती है कि ऊपर निर्दिष्ट तिथि एवं समय में वे भी प्रस्तावित निविदा में शामिल हो सकते हैं।
8. बैंक को उसका कोई भी कारण बताये बिना निविदा को निलम्बित/रद्द अथवा उसके नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है।
9. अधिक विवरणों के लिये "पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालयः एआरएमबी, मयूर विहार, फेज-II, पॉकेट-ई, मयूर विहार, दिल्ली-110091", टेली. नं. 011-22852897, सहायक महा प्रबंधक श्री शिवानंद भांजा, फोनः 7044070801 से सम्पर्क करें।

तिथिः 18.7.2019
स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

KVB Karur Vysya Bank
कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट, गायत्री निलायम, 2रा तल, 38-8-46, एआईआर के सामने लब्बीपेट, एमजी रोड, विजयवाड़ा-520010
फोन नं. 0866-2484705, सेल नं. 9100486893
ई-मेलः kvbl4898@kvbmail.com

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

ऋणधारकः 01) मै. सुब्राहमनीश्वरा ट्रेडर्स, प्रति. द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री परिमी वेंकटा सतीश कुमार, पुत्र परिमी अप्पाराव, डी. नं. 36-4-22, टेम्पल स्ट्रीट, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आन्ध्रा प्रदेश, पिन 533001. गारन्टर्सः 02) श्रीमती परिमी विजया लक्ष्मी, पत्नी श्री परिमी अप्पाराव, डी. नं. 48-2-25/1, श्री नगर, काकीनाडा, ई.जी. जिला, आन्ध्र प्रदेश, 03) श्री परिमी रमेश कुमार, पुत्र श्री परिमी वेंकट राव, वीएसके 7 मैन, 4था क्रॉस, गणेश निवास, 615, बैंग्लोर, कर्णाटका राज्य, 04) श्री परिमी हरि नारायण, पुत्र श्री परिमी वेंकट राव, डी. नं. 3-20-4/10, राममोहन राजा नगर, रोड नं. 7, काकीनाडा, 05) श्री परिमी श्रीधर, पुत्र श्री परिमी अप्पा राव, सी-ब्लॉक, 14/2, मैग्नीफाइका फेज नं. 8, जेपी नगर, कैपिटल स्कूल के निकट, ब्रिगाडी गार्डिनिया, ब्लॉक सी-14/2, बैंग्लोर-560078, कर्णाटका राज्य, 06) श्री परिमी वाम्सी कृष्णा, पुत्र श्री परिमी राम गोपाल, डी. नं. 19-1-111, सिनेमा रोड, काकीनाडा, ईजी जिला, आन्ध्र प्रदेश 07) सुश्री परिमी श्रृजणी, पुत्री श्री परिमी वेंकटा सतीश कुमार, डी. नं. 19-1-111, सिनेमा रोड, काकीनाडा, ईजी जिला, आन्ध्र प्रदेश 08) सुश्री परिमी मौनिका, पुत्री श्री परिमी वेंकटा सतीश कुमार, डी. नं. 19-1-111, सिनेमा रोड, काकीनाडा, ईजी जिला, आन्ध्र प्रदेश 09) श्री केसारापु सत्यनारायणा, पुत्र चन्द्र भाष्कर राव, सी-01, बीटीपीएस कॉलोनी, डी-2, बादलपुर, नई दिल्ली, 10. श्री परिमी अप्पा राव, पुत्र श्री परिमी टाटा राव, डी. नं. 19-1-111, सिनेमा रोड, काकीनाडा, ईजी जिला, आन्ध्र प्रदेश 11. श्री परिमी वेंकटा राव, पुत्र श्री परिमी टाटा राव, डी. नं. 19-1-111, सिनेमा रोड, काकीनाडा, ईजी जिला, आन्ध्र प्रदेश 12. श्री परिमी सत्यनारायण मूर्ति, पुत्र श्री परिमी अप्पा राव, डी. नं. 19-1-111, सिनेमा रोड, काकीनाडा, ईजी जिला, आन्ध्र प्रदेश

आप ने हमारे बैंक से अधोलिखित साख सुविधाऐं प्राप्त की हैं जिसका विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	साख का प्रकार	स्वीकृति की तिथि	राशि रु. में
1.	ओसीसी	29.01.2018	7,00,00,000
2.	ओसीसी-तदुर्थ	14.6.2018	2,00,00,000
3.	वेअर हाउस ऋण	29.01.2018	15,00,00,000
	कुल राशि		रु. 24,00,00,000

जैसा कि आपने प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक को उपरोक्त ऋण खाता में ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है। चूंकि यह खाता 30.5.2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंक ने 24.6.2019 को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपको रु. 21,42,07,040.93 (रुपये इक्कीस करोड़ बयालिस लाख सात हजार चालिस एवं पैसे तिरानवे मात्र) की बकाया राशि के पुनर्भुगतान का निर्देश दिया था।

जैसा कि पंजी. डाक/ कूरियर से हमारे द्वारा भेजी गई सूचना सर्व नहीं हो सकी। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि बैंक में आऐं तथा बकाया ऋणों, बैंक के पास चार्ज्ड प्रतिभूतियों आदि का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिये अपने हित में सूचना की प्रति प्राप्त करें।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.06.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ऊपर दर्शाई गई राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक के पास नीचे वर्णित हाइपोथेकेट/ गिरवी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा।

अनुसूची- एः निल
अनुसूची- बी 1ः श्री वाक्सी कृष्णा परिमी, सुश्री श्रृजणी परिमी, सुश्री मौनिका परिमी, श्री सत्यनारायण केसारापु, श्री श्रीधर परिमी, श्री हरिनारायण परिमी, श्री रमेश कुमार पी, श्रीमती विजया लक्ष्मी परिमी एवं श्री परिमी वैंकटा सतीश कुमार के नाम में राइस मिल की भूमि (1096 वर्ग यार्ड्स) में औद्योगिक भूमि तथा भवन एवं भवन (निर्मित एरिया 715.99 वर्ग मी.) तथा डोर नं. 36-4-21, 36-422, ब्लॉक नं. 36, टेम्पल स्ट्रीट, काकीनाडा में प्लान्ट एवं मशीनरी आइटम नं. 1-630 वर्ग यार्ड्स का विस्तार, आइटम नं. 2- 266 वर्ग यार्ड्स के विस्तार के लिये तथा आइटम नं. 3- कुल 300 वर्ग यार्ड्स के विस्तार में 100 वर्ग यार्ड्स के साइट में बच्चू नरसिम्हा मूर्ति के 1/3 रे शेयर को घटाने के बाद 200 वर्ग यार्ड्स के विस्तार में वेण्डर का 2/3रा शेयर।
अनुसूची-बी 2ः श्री अप्पा राव परिमी के नाम में प्लॉट नं. 160, एलपी नं. 230/62, डी. नं. 70-14-11/3 के निकट, आर एस नं. 127, ब्लॉक नं. 30, रमणयापेटा, काकीनाडा में 300 वर्ग यार्ड्स माप में स्थित आवासीय खाली भूमि (गैर कृषि) का सभी भाग
अनुसूची-बी 3ः श्री अप्पा राव परिमी के नाम में प्लॉट नं. 160, एलपी नं. 230/62, डी. नं. 70-14-11/3 के निकट, आर एस नं. 127, ब्लॉक नं. 30, रमणयापेटा, काकीनाडा में 193.33 वर्ग यार्ड्स माप में आवासीय खाली भूमि (गैर-कृषि) का सभी भाग।
अनुसूची-बी 4ः श्री अप्पा राव परिमी के नाम में प्लॉट नं. 160, एलपी नं. 230/62, डी. नं. 70-14-11/3 के निकट, आर एस नं. 127, ब्लॉक नं. 30, रमणयापेटा, काकीनाडा में 173.33 वर्ग यार्ड्स माप में आवासीय खाली भूमि (गैर-कृषि) का सभी भाग।
अनुसूची-बी 5ः प्लॉट नं. 59, आर एस नं. 2/1ए पार्ट, टी.एस. नं. 33/1192, डोर नं. 13-1-1/ए (पुराना नं.) जिसका विस्तार 207.66 वर्ग यार्ड है, रामा गली, सूर्या राव पेटा, काकीनाडा में स्थित सम्पूर्ण व्यावसायिक खाली भूमि (गैर-कृषि)-आइटम नं. 1, 203 वर्ग यार्ड्स के विस्तार के लिये, आइटम नं. 2-पैसेज जिसका विस्तार साईट का 4.66 वर्ग यार्ड्स है, पैसेज के रूप में-सुश्री मौनिका परिमी के नाम में।
अनुसूची-बी 6ः प्लॉट नं. 59, आर एस नं. 2/1ए पार्ट, टी.एस. नं. 33/1192, डोर नं. 13-1-1/ए (पुराना नं.) तथा 13-1-64 (नया नं.) जिसका विस्तार 201.66 वर्ग यार्ड्स है, रामा गली, सूर्याराव पेटा, काकीनाडा में स्थित-आइटम नं. 1 का विस्तार 197 वर्ग यार्ड्स तथा आईटम नं. 2- साइट का 4.66 वर्ग यार्ड्स है, के रूप में-सुश्री श्रृजणी परिमी के नाम में।
अनुसूची-सीः ओसीसीः स्टॉक्स तथा बुक डेब्ट्स सहित फर्म की सम्पूर्ण चालू परिसम्पत्तियों का हाइपोथेकेशन।
डब्ल्यूएचआरएलः माल गोदाम में रखी गई स्टॉक्स कवर करते हुए मै. एनसीएमएल/स्टार एग्री वेअरहाउसिंग एंड कोल्लेटरल मैनेजमेन्ट सर्विसेस द्वारा जारी प्रत्यायित बांड्स/रिसीप्ट्स की गिरवी।

तिथिः 17.07.2019
स्थानः विजयवाड़ा
प्राधिकृत अधिकारी
द करुर वैस्य बैंक लि.

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्योजित अधिकार) उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
सैलिएन्ट फाइनेंशियल सोल्यूसन्स लिमिटेड
(सीआईएनः U67190DL2007PLC157850) जिसका पंजीकृत कार्यालय 124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 स्थित है, आवेदक, के मामले में
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 28 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
श्री संजय कुमार
निदेशक
सैलिएन्ट फाइनेंशियल सोल्यूसन्स लिमिटेड
124, थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001
ईमेल आईडी: sect.sfsl@avanthaholdings.com
कृते एवं हेतु सैलिएन्ट फाइनेंशियल सोल्यूसन्स लिमिटेड
हस्ता/-
संजय कुमार
निदेशक
डीआईएन: 02687490
दिनांक: 18.07.2019
स्थान: नई दिल्ली
नोट: जो भी लागू होने योग्य नहीं है उसे काट दें।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

[illegible]

क्र सं	शाखा एवं ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति/सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
1.	शाखा : लाल तप्पर श्रीमती पूजा कोहली पत्नी राजीव सक्सेना (ऋणी/बंधककर्ता), पताः 50 कश्मीरी कॉलोनी गुरुद्वारा के पीछे देहरादून, पता 2: भवानी काम्प्लेक्स प्रथम फ्लोर, 37, मोती बाजार, देहरादून। श्री राजीव सक्सेना पुत्र श्री [illegible] सक्सेना (ऋणी) पताः 50 कश्मीरी कॉलोनी गुरुद्वारा के पीछे देहरादून श्री नवनीत कुमार शर्मा पुत्र श्री अनित कुमार शर्मा, पताः [illegible] सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, पताः 145/1, [illegible] उधमसिंह नगर-244713	बंधक सम्पत्ति निहित भूमि खाता संख्या 428 (फसली 1416 से 1421) खसरा नं0 650 (पुराना नं0 489/1) क्षेत्रफल माप 41.68 वर्ग मीटर, जिसके भूतल पर निर्माण क्षेत्रफल माप 30.35 वर्ग मीटर एवं प्रथम तल क्षेत्रफल माप 32.34 वर्ग मीटर एवं द्वितीय तल क्षेत्रफल माप 9.77 वर्ग मीटर, कुल कवर्ड क्षेत्रफल माप 72.46 वर्ग मीटर, स्थित मौजा निरंजनपुर (कश्मीरी पलायनी सह-कर्मचारी हाउसिंग सोसायटी) परगना परवादून जिला देहरादून। सीमायें-पूर्वः श्रीमती सुनीता आनन्द की सम्पत्ति, साइड माप 34 फीट 6 इंच, पश्चिमः श्री जी एस नेगी की सम्पत्ति, साइड माप 27 फीट 6 इंच, उत्तरः 10 फीट चौड़ा रोड का भाग एवं श्री प्रदीप आनन्द की सम्पत्ति का भाग, साइड माप 13 फीट, दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति, साइड माप 13 फीट सम्पत्ति स्वामीः श्रीमती पूजा कोहली पत्नी राजीव सक्सेना (ऋणी/बंधककर्ता), पताः 50 कश्मीरी कॉलोनी गुरुद्वारा के पीछे देहरादून, पता 2: भवानी कॉम्प्लेक्स प्रथम फ्लोर, 37, मोती बाजार, देहरादून।	आपको दिनांक 08.07.2019 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रु0 17,24,801.70/- + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्राप्त वापस आ गया एनपीए की तिथि 30.06.2019	30.06.2019 को रु0 17,24,801.70/- + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2019 से
2.	शाखा : नयागांव श्री तौकीर हसन पुत्र श्री मकबूल अली (ऋणी/बंधककर्ता), ग्राम बुड्डी पो0ऑ0 बाड़वाला देहरादून, उत्तराखंड श्री आरिफ पुत्र श्री मकबूल अली (गारन्टर), ग्राम बुड्डी पो0ऑ0 बाड़वाला देहरादून, उत्तराखंड श्री शाहबान अली पुत्र श्री अब्बास अली (गारन्टर), ग्राम बुड्डी पो0ऑ0 बाड़वाला देहरादून, उत्तराखंड	बंधक सम्पत्ति खसरा नं0 2255 मिन क्षेत्रफल माप 0.081 हेक्टेयर खसरा नं0 2256 मिन, क्षेत्रफल माप 0.008 हेक्टेयर, खसरा नं0 2082 क्षेत्रफल माप 0.012 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.101 हेक्टेयर, स्थित मौजा ईस्ट होप टाउन परगना पछवा दून देहरादून। सीमायें-उत्तरः आरिफ अली व अन्य की सम्पत्ति, दक्षिणः श्री [illegible] की भूमि, पूर्वः श्री आरिफ अली व अन्य की भूमि, पश्चिमः मकबूल की भूमि का भाग एवं 18 फीट चौड़ा रोड	आपको दिनांक 08.07.2019 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रु0 7,61,253.24 + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्राप्त वापस आ गया एनपीए की तिथि 30.06.2019	30.06.2019 को रु0 7,61,253.24 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2019 से
3.	शाखा : सेलाकुई मैसर्स राज इंटरप्राइजेज (ऋणी/दृष्टिबंधककर्ता), पताः सी-32 यूएसआईडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया सेलाकुई देहरादून, पताः लक्ष्मीपुर धनयक सहसपुर रकनपुर रोड, देहरादून-248197 श्री सतीश राम पुत्र श्री [illegible] सिंह (पार्टनर) ग्राम लक्ष्मीपुर पो0ऑ0 सहसपुर तहसील विकासनगर, देहरादून श्री इसरार पुत्र श्री इकबाल (पार्टनर) ग्राम [illegible] गुज्जर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार मौहम्मद परवेज मीर पुत्र श्री अनवर अली (पार्टनर/बंधककर्ता) 132 श्री दादूपुर गोविन्दपुर हरिद्वार श्रीमती इशरत पत्नी मौहम्मद परवेज (पार्टनर/बंधककर्ता) 132 श्री दादूपुर गोविन्दपुर हरिद्वार मौहम्मद आसिफ पुत्र नसीम अहमद (गारन्टर/बंधककर्ता) 287/8, लालबाग गली पुरानी तहसील रुड़की हरिद्वार श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री राम सिंह (गारन्टर), ग्राम लक्ष्मीपुर धनयक सहसपुर तहसील विकासनगर, देहरादून श्री इकलेन पुत्र श्री इशाक (गारन्टर) ग्राम [illegible] पो0ऑ0 मनसूरपुर तहसील मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर।	सम्पत्ति नं0 1:- बंधक आवासीय सम्पत्ति खतौनी नं0 159, खसरा नं0 50 (नया खसरा नं0 50/1) क्षेत्रफल माप 1500 वर्ग फीट, स्थित ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर, परगना रुड़की तहसील जिला हरिद्वार नगरनिगम हरिद्वार की सीमा के अंदर। सीमायें-पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः इमरान की भूमि, उत्तरः 16 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण : मुस्तफा की सम्पत्ति। सम्पत्ति स्वामीः मौहम्मद आसिफ पुत्र नसीम अहमद, निवासी मकान नं0 287/8, पुरानी तहसील रुड़की हरिद्वार। सम्पत्ति नं0 2:- बंधक आवासीय सम्पत्ति खतौनी नं0 159, खसरा नं0 50 (नया खसरा नं0 50/1) क्षेत्रफल माप 2135 वर्ग फीट, स्थित ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर, परगना रुड़की तहसील जिला हरिद्वार सीमायें-पूर्वः 16 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः मौहम्मद आसिफ की भूमि, उत्तरः 16 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः मुस्तफा की सम्पत्ति सम्पत्ति स्वामीः मौहम्मद परवेज मीर पुत्र श्री अनवर अली (पार्टनर) 132 श्री दादूपुर गोविन्दपुर हरिद्वार। सम्पत्ति नं0 3:- बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 50 नया खसरा नं0 50/1 क्षेत्रफल माप 2501 वर्ग फीट अर्थात 232.42 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम दादूपुर गोविन्दपुर, परगना रुड़की तहसील जिला हरिद्वार सीमायें-पूर्वः विक्रेता की भूमि, साइड माप 61 फीट, पश्चिमः अन्य की भूमि, साइड माप 61 फीट, उत्तरः 16 फीट चौड़ा रोड, साइड माप 41 फीट, दक्षिणः मुस्तफा की भूमि, साइड माप 41 फीट सम्पत्ति स्वामीः श्रीमती इशरत पत्नी मौहम्मद परवेज (गारन्टर/बंधककर्ता), 132 श्री दादूपुर गोविन्दपुर हरिद्वार।	आपको दिनांक 08.07.2019 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रु0 31,14,683.54/- + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्राप्त वापस आ गया एनपीए की तिथि 30.06.2019	30.06.2019 को रु0 31,14,683.54/- + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2019 से
4.	शाखा : कांवली रोड मैसर्स कुमार टेलीकॉम (ऋणी) श्रीमती कविता गर्ग पत्नी श्री आदेश (प्रोपराइटर) पताः कुमार निवास नेहरू मार्केट डाकपत्थर देहरादून, पताः नई सब्जी मंडी के पीछे, बाबा कम्पाउंड रोड निरंजनपुर देहरादून श्रीमती कविता गर्ग पत्नी श्री आदेश गर्ग (प्रोपराइटर/ऋणी) पताः मकान नं0 105, गली नं0 1, [illegible] रोड, देहरादून, पताः 24-ए, [illegible] एन्क्लेव जीएमएस रोड, देहरादून श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री काली राम (गारन्टर/बंधककर्ता), 61/13, लक्ष्मण विहार जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर 3090 श्री मुकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री काली राम गर्ग, (गारन्टर/बंधककर्ता), 61/13, लक्ष्मण विहार जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर 3090	सम्पत्ति नं0 1:- बंधक सम्पत्ति खसरा नं0 796/1, क्षेत्रफल माप 0.432 हेक्टेयर में से 1450 वर्ग फीट अर्थात 134.7 वर्ग मीटर, स्थित मौजा [illegible] परगना पछवादून देहरादून। सीमायें-पूर्वः कविता एवं मुकेश की सम्पत्ति, साइड माप 58 फीट, पश्चिमः [illegible] की सम्पत्ति, साइड माप 58 फीट, उत्तरः 15 फीट चौड़ा रोड, साइड माप 25 फीट, दक्षिणः [illegible] की सम्पत्ति, साइड माप 25 फीट सम्पत्ति स्वामीः श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री काली राम गर्ग, निवासी 61/13, लक्ष्मण विहार जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर 3090 सम्पत्ति नं0 2:- बंधक सम्पत्ति खसरा नं0 2436 क्षेत्रफल माप 15.05 वर्ग मीटर स्थित [illegible] तहसील विकासनगर, परगना पछवादून जिला देहरादून। सीमायें-पूर्वः अन्य की भूमि, साइड माप 9 फीट, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, साइड माप 9 फीट, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, साइड माप 18 फीट, दक्षिणः आम रास्ता, 10 फीट, साइड माप 18 फीट। सम्पत्ति स्वामीः श्री मुकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री काली राम गर्ग, निवासी 61/13, लक्ष्मण विहार जानसठ रोड, मुजफ्फर नगर 3090 सम्पत्ति नं0 3:- बंधक सम्पत्ति खसरा नं0 82/2, क्षेत्रफल माप 1120 वर्ग फीट स्थित मौजा डाकपत्थर परगना पछवादून तहसील विकासनगर, देहरादून। सीमायें-पूर्वः मैन रोड डाकपत्थर, साइड माप 14 फीट, पश्चिमः 8 फीट चौड़ी गली, साइड माप 14 फीट, उत्तरः [illegible] की सम्पत्ति, साइड माप 80 फीट, दक्षिणः आम रास्ता 4 फीट, साइड माप 80 फीट सम्पत्ति स्वामीः श्री मुकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री काली राम गर्ग, निवासी 61/13, लक्ष्मण विहार जानसठ रोड, मुजफ्फर नगर 3090	आपको दिनांक 08.07.2019 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रु0 93,80,042.04 + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्राप्त वापस आ गया एनपीए की तिथि 30.06.2019	30.06.2019 को रु0 93,80,042.04 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2019 से

दिनांक-18.07.2019 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी

खबरों में शहर

आइएएस पद्मिनी सिंघला बनीं ऊर्जा सचिव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

आइएएस अधिकारी पद्मिनी सिंघला को दिल्ली के ऊर्जा सचिव और ट्रांसको में अध्यक्ष व मैनेजिंग डायरेक्टर(एमडी) के पद पर तैनात किया गया है। सिंघला 2002 बैच की आइएएस अधिकारी हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा रही हैं। इनके पास दिल्ली, अंडमान, चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी कार्य करने का अनुभव है। इन्होंने दिल्ली में शिक्षा विभाग और एमसीडी में उपायुक्त के पद पर भी सेवाएं दी हैं। सिंघला के पास सीएमडी इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, प्रगति पावर कोऑपरेशन और दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड का भी कार्यभार रहेगा।

सिख कीर्तन यात्रा की शुरुआत 13 अक्तूबर को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

दिल्ली से चलकर पाकिस्तान तक जाने वाली सिख कीर्तन यात्रा की शुरुआत 13 अक्तूबर को दिल्ली के बंगला साहिब गुरूद्वारा से होगी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केअध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन 28 अक्तूबर से होना था लेकिन शिरोमणी अकाली दल के नेता परमजीत सिंह सरना की आपत्ति के बाद 13 अक्तूबर का दिन निर्धारित किया गया। सिरसा ने कहा कि यह सिख समाज का बड़ा कार्यक्रम है। लिहाजा सभी सिख संगठनों की चिंताओं को दूर किया जाना जरूरी था। गुरुनानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर यह यात्रा दिल्ली के बंगला साहिब गुरूद्वारा से चलकर पाकिस्तान के ननकाना साहिब तक जाएगी।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष से मिला प्रतिनिधिमंडल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर पत्रकार संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने मिला। उन्होंने दावा किया कि कई सरकारी प्रतिष्ठानों में मीडियाकर्मियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया), दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (डीजेए) और दिल्ली फेडरेशन ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे) के प्रतिनिधि शामिल थे। एनयूजे के अध्यक्ष अशोक मलिक, डीजेए अध्यक्ष मनोहर सिंह, डीजेए के महासचिव प्रमोद कुमार आइएफडब्लूजे के राजीव रंजन नाग ने एक साझा बयान में यह जानकारी दी।

डेटिंग ऐप से दोस्ती कर लाखों की ठगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

उत्तम नगर की रहने वाली एक महिला को सोशल मीडिया डेटिंग ऐप 'टैन टैन' पर एक विदेशी से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। दोस्ती कर विदेशी ने महंगा गिफ्ट भेजने का झांसा देकर लाखों की ठगी कर ली। विदेशी ने यह रुपए कस्टम क्लियरेंस के नाम पर मांगे थे। जब पीड़िता को ठगे जाने का एहसास हुआ तो इसकी जानकारी बिंदापुर थाना पुलिस को दी।
तीस साल की पीड़िता उत्तम नगर में परिवार के साथ रहती है। कुछ माह पहले उसकी 'टैन टैन' नामक डेटिंग ऐप पर विदेशी युवक से दोस्ती हुई थी। युवक ने अपना नाम लुइस और लंदन का रहने वाला बताया था। करीब एक माह तक चैटिंग पर बात होने के बाद दोनों ने फोन से बात शुरू की।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : रियल स्टेट पर चर्चा, सभागार 2, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (ऐनेक्स), 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : बनारस का ठग, सीडी जेशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

'निजी बिजली कंपनियों ने वसूले 20 हजार करोड़'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली , 18 जुलाई

- सत्ता में आने के बाद हर साल दिल्ली सरकार ने कंपनियों का पैसा बढ़ाया
- फिक्स चार्ज व पीपीएसी से बिजली कंपनियों को मिला पैसा वसूलने का मौका

स्कूल निर्माण में घोटाले के आरोप के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर बिजली कंपनियों से मेलजोल कर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि 4 साल में निजी बिजली कंपनियों ने 20,308 करोड़ रुपए वसूले हैं। यह पैसा हर साल बिजली कंपनियों को फिक्स चार्ज व बिजली खरीद समझौता शुल्क (पीपीएसी) के नाम पर दिया गया है। भाजपा ने इस वसूली को 'केजरीवाल कट' बताया है और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कंपनियों के 621 करोड़ रुपए वसूलने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों से 621 करोड़ वापस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जबकि राष्ट्रपति शासन में निजी कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी 621 करोड़ से घटाकर 301 करोड़ रुपए की गई थी। इसके बाद भी इस राशि में दिल्ली सरकार लगातार इजाफा कर रही है।

पहले ही साल में इस राशि में 300 करोड़ बढ़ाए गए थे। मनोज तिवारी ने बताया कि ये आंकड़े भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आए हैं। 'आप' सरकार के कार्यकाल में 6389 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों के खजाने में गए हैं। दिल्ली सरकार को इस मामले में श्वेतपत्र जारी करना चाहिए और जनता को बिजली की स्थिति की विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से लूटी गई इस धनराशि को दिल्ली सरकार से वापस लाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी और जनता को उनका हक दिलाएगी।

उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बताया गया है कि अब तक 11,429 करोड़ रुपए फिक्स चार्ज और 2500 करोड़ रुपए सरचार्ज के नाम पर वसूले गए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने इन कंपनियों को 6378 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी जारी की है। भाजपा ने इसे जनता की गाढ़ी कमाई की लूट बताई है। बीते सालों के रिकार्ड बताते हैं कि हर साल इस धनराशि में इजाफा हो रहा है।

दीक्षित के खिलाफ कार्यकारी अध्यक्षों ने की बगावत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

दिल्ली कांग्रेस में पिछले करीब एक महीने से पर्दे के पीछे से जारी घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी में अब पूरी तरह सिरफुटौव्वल की नौबत है। सूबे के दो कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्षों हारून युसूफ व देवेंद्र यादव ने प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के पिछले कुछ दिनों में लिए तमाम फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। दोनों कार्यकारी अध्यक्षों की दलील है कि दीक्षित कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकतीं, तीनों कार्यकारी अध्यक्षों की सहमति के बाद ही उनका फैसला मान्य होगा। लिहाजा, चाहे 280 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को हटाने का मामला हो अथवा जिला व ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का फैसला हो, बिल्कुल नहीं माना जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित द्वारा बुधवार को दोनों कार्यकारी अध्यक्षों, हारुन युसूफ व देवेंद्र यादव की जिम्मेदारियों में बदलाव कर उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव व एनएसयूआइ तक सीमित किए जाने के बाद गुरुवार को दोनों कार्यकारी अध्यक्ष दोपहर बाद अपने समर्थकों की भीड़ और उनकी जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। तब तक वहां के सारे हॉल में ताले लटका दिए गए थे। बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव की किसी पदाधिकारी के साथ हुई बातचीत के बाद ताले खुल गए और कार्यकर्ता कुर्सियों पर डट गए। दीक्षित के कमरे में पहुंचे दोनों कार्यकारी अध्यक्षों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस समिति में चार पदाधिकारी नियुक्त किए। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीक्षित की नियुक्ति हुई जबकि तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। यह तय किया गया कि सभी फैसले आपसी सहमति से होंगे लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दीक्षित के नाम पर कुछ शरारती तत्त्व मनमर्जी फैसले ले रहे हैं जो गलत है। जब तक तीनों प्रदेश अध्यक्ष, दीक्षित व तीनों कार्यकारी अध्यक्षों की सहमति नहीं होगी, तब तक किसी फैसले का कोई मतलब नहीं है। हारून युसूफ व देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उनका मकसद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को मजबूत और एकजुट करना है।

तीन नए प्रवक्ता नियुक्त

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने रोहित मनचंदा, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और प्रोफेसर रतन जैन को तत्काल प्रभाव से प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता नियुक्त किया है।

बरखा दत्त के आरोप पर आयोग ने प्रोमिला सिब्बल से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

- दत्त ने चैनल से 200 से अधिक कर्मचारियों को निकालने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की पत्नी प्रोमिला सिब्बल से नोएडा स्थित उनके न्यूज चैनल की महिलाकर्मियों के खिलाफ कथित तौर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में जवाब मांगा है।

पत्रकार बरखा दत्त ने सोमवार को अनेक ट्वीट करके सिब्बल और उनकी पत्नी को चैनल से 200 से अधिक कर्मचारियों को निकालने पर जम कर आड़े हाथ लिया था। दोनों 'तिरंगा टीवी' के प्रमोटर्स हैं। दत्त की शिकायत पर आयोग की सदस्य प्रीति कुमार ने प्रोमिला सिब्बल को पत्र लिख कर कहा कि आयोग कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैए की कड़ी आलोचना करता है। कुमार ने कहा, 'आरोप हैं कि महिला कर्मचारियों के खिलाफ लगातार असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैए की कड़ी निंदा करता है। यह महिला की गरिमा के खिलाफ है। इसलिए आप से पत्र मिलने के सात दिन के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण/ लिखित जवाब देने का अनुरोध किया जाता है'। बरखा ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि चैनल के 200 से अधिक कर्मचारियों के उपकरण भी छीन लिए गए।

वहीं प्रोमिला सिब्बल ने दत्त के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार 23 मई से चैनल के दफ्तर नहीं आए। उन्होंने अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप से भी इनकार किया और कहा कि उन्होंने दत्त से अथवा किसी अन्य कर्मचारी से बातचीत में ऐसा नहीं किया।

उत्सव रोहिणी के सेक्टर आठ स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में लवली वुमनिया ग्रुप की महिलाओं ने तीज उत्सव का आयोजन किया। प्रीत सोनकर, शालू शर्मा और उषा तायल सहित 150 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया।

रोहित शेखर हत्या मामले में पुलिस ने आरोपपत्र दायर किए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

दिवंगत नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उसने 518 पेज का आरोप पत्र साकेत अदालत में दायर किया है। इसमें रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी समेत 56 लोगों के नाम गवाह के तौर पर दर्ज किए गए हैं। आरोप पत्र के अनुसार अपूर्वा के खिलाफ धारा 302 के तहत आरोप तय किए हैं। दोषी पाए जाने पर फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अपूर्वा को इस बात का संदेह था कि रोहित का उनकी भाभी से एक बेटा है और उसे इस बात का डर था कि संपत्ति उस बेटे के पास जा सकती है। भाभी के साथ शराब पीने को लेकर रोहित का अपूर्वा के साथ झगड़ा हुआ था। अपूर्वा रोहित की भाभी को पसंद नहीं करती थी। इस झगड़े के बाद अपूर्वा ने रोहित की कथित रूप से गला घोंट कर हत्या कर दी।

आनंद ने 1996 में प्राधिकरण के सहायक के रूप में शुरू की थी नौकरी

700 रुपए तनख्वाह से की थी शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 18 जुलाई।

बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद की करीब 400 करोड़ रुपए की एक ही संपत्ति को जब्त करने को लेकर नोएडा में दिन भर चर्चा होती रही। इस कार्रवाई ने 1996 में प्राधिकरण में सहायक के रूप में तैनात हुए आनंद की याद ताजा कर दी है। तब महज 700 रुपए का मासिक वेतन आनंद को मिलता था। सेक्टर-44 में 450 वर्गमीटर के एक भूखंड को खरीदने पर आयकर विभाग ने पहली बार आनंद पर उंगली उठाई थी। आनंद को इस भूखंड को वापस करना पड़ा। 2003 में, कुल सात साल बाद ही आनंद को प्राधिकरण से हटा दिया गया। नौकरी में रहने और उसके बाद आनंद ने खूब संपत्ति बनाई। आयकर विभाग की जांच में यह बात सामने आ रही है कि आनंद के अलावा उनकी पत्नी की नोएडा में कई बेनामी संपत्तियां हैं। इन्हीं में से एक 400 करोड़ रुपए की संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया है।

700 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत करने वाला कर्मचारी कैसे करोड़ों-अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया, इसका यहां के लोगों को पता है। सूत्रों के मुताबिक कागजी दस्तावेजों को खंगालने में नित नई जानकारी मिल रही है। नोएडा की हर बड़ी संपत्ति से आनंद या उनके नजदीकियों का संबंध मिलने से जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जिन संपत्तियों से आनंद का संपर्क मिल रहा है, उनमें ज्यादातर का आबंटन बसपा शासनकाल में किया गया था। आरोप लगते रहे हैं कि बसपा शासनकाल में बिल्डरों को आबंटित किए जाने वाले भूखंडों के नियमों में बदलाव कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। भू आबंटन से पहले बिल्डरों को कुल कीमत की 30 फीसद धनराशि जमा करनी होती थी, जिसे बसपा शासनकाल में घटा कर 10 फीसद कर दिया गया था। इसका फायदा आनंद समेत अन्य नजदीकियों ने उठाया। जांच और आयकर से बचने के लिए फर्जी नामों से कंपनियां व संपत्तियां भी बनाई।

सोमैया ने उठाया था मामला

2011-12 में भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने आयकर विभाग से नोएडा में हजारों करोड़ रुपए के भूमि आबंटन घोटाले की शिकायत की थी। उन दिनों केंद्र में कांग्रेस और राज्य में समाजवादी सरकार थी। केंद्र की सरकार को सपा व बसपा का सहयोग था। लिहाजा शिकायत की फाइल को केंद्र व राज्य सरकार ने दबा दिया था। इस शिकायत में 13 लोगों की सूची भी उपलब्ध कराई गई थी जो घोटाले के सूत्रधार और रकम खपाने की जिम्मेदारी थी।

हवाला के इस्तेमाल का आरोप

सेक्टर-94 में आनंद की पत्नी विचित्र लता की जिस बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है, उस भूखंड का आबंटन बीपीटीपी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किया गया था। 20 फरवरी 2009 को प्राधिकरण ने कंपनी को भूखंड पर कब्जा दिया था। भूखंड करीब 35 हजार वर्गमीटर का है। इससे जुड़े कई अन्य भूखंड हैं, जिनका क्षेत्रफल करीब 14.2 एकड़ है। यहां पर कैपिटल सिटी नाम से परियोजना बनाई जा रही है। आरोप है कि हवाला के जरिए रुपए मंगाकर इस संपत्ति को खरीदा गया है।

दक्षिणी दिल्ली को मिलेगा महिला कॉलेज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 18 जुलाई।

दक्षिणी दिल्ली के भाटी बांस गांव में लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज खुलेगा। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि इस कॉलेज के अतिरिक्त छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल, बारातघर और पार्क के लिए जमीन आबंटित की गई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी सांसद ने इसकी घोषणा की थी।

यह कार्य सांसद आदर्श गांव योजना के तहत पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते 40 वर्ष से एक भी नया कॉलेज नहीं बना है। इस वजह से गांव के बच्चों को कक्षा 12 के बाद आगे की पढ़ाई के लिए करीब 10-15 किलोमीटर दूर जाना होता था। इस कारण कुछ परिवारों में बच्चियों को आगे की पढ़ाई का मौका भी नहीं मिल पाता था। इसलिए इस गांव के लिए कॉलेज जरूरी था। इसके लिए स्थानीय सरकार व संबंधित अधिकारियों से इन योजनाओं के लिए कई बार लागू करवाने की पहल की गई थी लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली थी।

अंडरपास में भरा पानी, पार करवाने के वसूले 10 रुपए

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

गुरुवार सुबह राजधानी दिल्ली के कई स्थानों पर बारिश के कारण जलजमाव हो गया। इसी क्रम में प्रहलादपुर अंडरपास में भी पानी भर गया। मौके का फायदा उठाते हुए एक ट्रैक्टर चालक लोगों को एक पार से दूसरे पार ले जाने लगा और इसके लिए ट्रैक्टर चालक ने लोगों से पैसे भी वसूले। ट्रैक्टर चालक ने 10 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से शुल्क लिया। जो लोग मोटरसाइकिल पर थे उनसे मोटी रकम वसूली गई। सुबह के समय लोगों को दफ्तर जाना था। इस कारण मजबूरन लोगों ने ट्रैक्टर वाले को रुपए दिए।

स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रहलादपुर अंडरपास में पानी भरा हो। हर साल बारिश के बाद अंडरपास में पानी भरता है और इलाके के निवासियों को दिक्कत होती है। पैदल पार करने वालों को और अधिक परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बीते साल

पानी भरने पर बुग्गी की मदद से लोगों ने अंडरपास को पार किया था। वहीं ट्रैक्टर चालक अबरार ने बताया कि बीते साल उसका ट्रैक्टर अंडरपास में फंस गया था। उसने क्रेन वाले को 30 हजार रुपए दिया, जिसके बाद उसका ट्रैक्टर पानी से बाहर निकाला गया।

उसने बताया कि पार कराने के लिए लोगों से 10 रुपए लिए जा रहे हैं। साथ ही मोटरसाइकिल के अलग रुपए लिए जा रहे हैं। बीते साल एक कल्स्टर बस बीच अंडरपास में फंस गई थी, जिसके बाद सवारियों ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी।

कोई और रास्ता नहीं

बदरपुर निवासी उमेश ने बताया कि पार कराने के लिए ट्रैक्टर वाले को रुपए देने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक बार पानी भर जाए तो कई घंटे इंतजार के बाद ही पानी कम होता है। पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं लेकिन ये पंप कारगर साबित नहीं हो रहे। सरकारी विभाग भी इस समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस पहल नहीं कर रहा है। यही कारण है कि हर साल बारिश के मौसम में बदरपुर से पुल प्रहलादपुर की ओर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत होती है।

बसें भी बंद हो जाती हैं

बारिश होने के बाद अंडरपास में पानी भर जाता है, जिसके बाद बसों की आवाजाही बंद हो जाती है। बदरपुर निवासी खुशी ने बताया कि सुबह दफ्तर जाना होता है। यही कारण है कि मजबूरन लोगों को अंडरपास पार करने के लिए वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है।

यह है कारण

महरोली बदरपुर (एमबी) रोड पर स्थित पुल प्रहलादपुर अंडरपास दक्षिणी दिल्ली को दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है। बदरपुर से महरोली की ओर जाने वाला यह एकमात्र रास्ता है। संबंधित विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि अंडरपास से पानी निकालने के लिए लगाए गए मोटर की क्षमता से कहीं अधिक पानी भर जाता है। इसके अलावा जिस स्थान पर यह अंडरपास स्थित है वह आसपास के इलाकों से काफी नीचे है। साथ ही सीवर लाइन भी नीचे है। यही कारण है कि आधे घंटे की बारिश के बाद ही अंडरपास में जलजमाव हो जाता है।

सीआरडब्लूसी ने अपना 19वां आरडब्लूसी पहलेजा में शुरू किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी (सीआरडब्लूसी) ने अपना 19वां रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्पलेक्स (आरडब्लूसी) पहलेजा में शुरू किया है। सीआरडब्लूसी ने रेलवे के साथ एक समझौते के तहत देशभर में इस प्रकार के ढांचे तैयार कर रही है। डीएफसी की रेललाइन निर्माण के कारण आरडब्लूसी, देहरी-ऑन-सोन बंद हो गया था लेकिन सीआरडब्लूसी ने पहलेजा गुडशेड में आरडब्लूसी टर्मिनल निर्मित करके क्षेत्र के व्यापार विकास के लिए प्रमुख आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया है, जिसमें 13,800/- मीट्रिक टन छतदार गोदाम हैं और रेल से जुड़ा है।

आरडब्लूसी, पहलेजा में सीमेंट की पहली रेक 15 जुलाई को लगी। भारी बारिश होने के बावजूद सीमेंट का एक भी बैग भीगा और न ही किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ।

हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने पर धमकाया : इशरत जहां

जान का खतरा बताते हुए पुलिस से मांगी सुरक्षा

कोलकाता, 18 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले की याचिकाकर्ता इशरत जहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसे हिजाब पहनकर हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने के लिए धमकाया गया और उसके साथ मौखिक तौर पर गाली गलौज की गई।

हावड़ा में गोलाबाड़ी पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक पर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर उसे धमकी देने और उसके साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया। जहां ने दावा किया कि वह बुधवार को अपने बेटे के स्कूल से घर लौट रही थी, तभी गोलाबाड़ी इलाके के सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने हिजाब पहनकर पाठ में भाग लेने के लिए उसे घेरा और धमकाया। गोलाबाड़ी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने शिकायत की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।' अधिकारी ने कहा, जहां ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी।

जहां ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, 'मैं यह कहना चाहती हूं कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश में रह रहे हैं और किसी भी पवित्र उत्सव में भाग लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।' उन्होंने कहा, 'मैंने अपने देश के अच्छे नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है। मैं एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक हूं। हालांकि इसके कारण मुझे अपने परिवार के सदस्यों से जान का खतरा है।' जहां ने यह भी दावा किया कि उसके करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक ने उसे घर से बाहर करने की धमकी दी है।

शिकायत में कहा गया है, 'मेरे रिश्तेदार और मकान मालिक ने मुझे घर से निकालने की धमकी देना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुझे गंभीर धमकी दी और मुझे मारने की धमकी दी।' जहां एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ मामले की पांच याचिकाकर्ताओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त, 2017 को फौरी तीन तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। जहां के पति ने 2014 में दुबई से फोन पर लगातार तीन बार 'तलाक' कहकर उनके साथ रिश्ता खत्म कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

अतिक्रमण की सूचना देरी से देने पर अधिकारी को फटकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सदर्न रिज इलाके में अतिक्रमणों के संबंध में सूचना सौंपने में देरी करने पर एक अधिकारी को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट के तर्क को खारिज कर दिया जिन्होंने और समय मांगा था।

एनजीटी ने गौर किया कि उसके 26 जून के आदेश के मुताबिक दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अतिक्रमण के कुल इलाकों और पहचाने गए अवैध निर्माणों के बारे में हलफनामे दायर किए गए हैं।

एनजीटी ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि क्यों नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने हलफनामा दायर नहीं किया जबकि अन्य दो डीएम ने ऐसा किया। पीठ ने कहा कि ऐसा इस तरीके के कारण है जिसमें अधिकारी मामले में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि दक्षिण पूर्व दिल्ली के रिज का सीमांकन व बाड़ लगाने का काम अब तक नहीं किया गया था जबकि मौजूदा कार्रवाई 2013-14 से जारी है। आज भी अधिकारी यही बहाना बनाते हैं कि उसने हाल ही में ज्वाइन किया है।

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट को हलफनामा दायर नहीं करने पर फटकार लगाई

अधिकरण ने जिला मजिस्ट्रेट को हलफनामा दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है और आवेदक के वकीलों से जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा दायर हलफनामे पर जवाब देने को कहा है। साथ ही इसने अगली सुनवाई यानि नौ अगस्त को अधिकारियों को अधिकरण के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया।

नलिनी की वक्त से पहले रिहाई की मांग अदालत ने ठुकराई

चेन्नई, 18 जुलाई (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरण की एक याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। याचिका में नलिनी ने वक्त से पहले अपनी रिहाई को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और न्यायमूर्ति सी सर्वणन की पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष जवाबदेह नहीं है या उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि यह कानून राज्यपाल को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर पूरी छूट एवं विशेषाधिकार देता है। पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यों पर सवाल उठाना या उसके संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं लाया जा सकता।

इस मामले में यह तर्क कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं माना, याचिकाकर्ता के लिए अदालत का रुख करने का आधार नहीं माना जा सकता। मंत्रिपरिषद ने नौ सितंबर, 2018 को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पूर्व प्रधानमंत्री के हत्याकांड में शामिल नलिनी और छह अन्य को रिहा करने की सलाह दी थी।

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 ("EXIT CIRCULAR") FOR THE ATTENTION OF THE REMAINING PUBLIC SHAREHOLDERS OF

SWASTIK SPINTEX LIMITED
(Corporate Identification Number: L17124MP1994PLC008721)
Registered Office: 20th Km. Sanwer Road, Village Rajoda, Post Solsinda, Indore 453562, Madhya Pradesh, India.
Corporate Office: 318, Orbit Mall, AB Road, Indore 452 010, Madhya Pradesh, India.
Tel. No. +91-7321-2551741; **Email:** swastik@bsnl.in

This public announcement ("PA") is being issued by Mr. Ghanshyam Das Rathi ("**Offering Promoter**") residing at 48, Manishpuri Colony, Saket, Indore – 452001, Madhya Pradesh, India, one of members of the Promoter Group of Swastik Spintex Limited ("**the Company**") having its registered office at 20th Km. Sanwer Road, Village Rajoda, Post Solsinda, Indore -453562, Madhya Pradesh, India ("**SSL**" or "**the Company**" or "ELC"), on behalf of Promoter Group of SSL to provide Exit Opportunity to the Remaining Public Shareholders (defined below) of SSL in terms of Exit Circular.

SSL was listed on Calcutta Stock Exchange Limited ("**CSE**"). The Company was transferred to the dissemination board ("**DB**") of National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") vide their letter dated NSE/LISCO/2019/78482/10 dated April 08, 2019 ("**NSE Letter**") in furtherance to the Exit Circular.

As on the date of this PA, the paid up share capital of the Company is Rs. 5,11,46,000 consisting of 51,14,600 fully paid-up equity share of Rs. 10 each. Out of these, the Promoter Group jointly holds 23,07,300 Equity Share representing 45.11% of the Paid-up Equity Share Capital and balance 28,07,300 Equity Share representing 54.89% of the Paid-up Equity Share Capital are held by the public shareholders.

In terms of clarification on Exit Offer, the Promoters of the Company have approached some of the major shareholders of the Company and had given them an option to continue as shareholders of the Company instead of opting for Exit Offer. Certain shareholders have availed the option to continue as shareholders instead exit by providing an irrevocable affidavit to this effect by the closure of business hours of July 17, 2019, details of which are as follows:

Category	No. of Shareholders	No. of shares held	% of paid-up share capital
Public shareholders as on date of submission of Plan of Action to NSE	260	28,07,300	54.89%
Public shareholders who have opted to continue as public shareholders	16	14,88,800	29.11%
Remaining Public Shareholders who are eligible for the Exit (hereinafter referred to as "**Remaining Public Shareholders**")	**244**	**13,18,500**	**25.78%**

SEBI vide Exit Circular has stipulated the procedure of exit of Exclusively Listed Companies ("**ELCs**") from the DB. In terms of clause (i) of Annexure A of Exit Circular, the Offering Promoter has appointed Systematix Corporate Services Limited, a Category-I Merchant Banker registered with SEBI and empanelled as Expert Valuer on the panel of NSE and BSE Limited ("**Independent Valuer**") for valuation of equity shares of the Company and related services. The Independent Valuer in its valuation report dated July 09, 2019 ("**Valuation Report**") has determined the fair value of each equity share of SSL at Rs. 12.20 (Rupees Twelve and Paisa Twenty only).

In the view of the above, the Offering Promoter has decided to make an Exit Offer to the Remaining Public Shareholders of the Company at a price of Rs. 12.20 (Rupees Twelve and Paisa Twenty only) per equity share ("**Offer Price**") and Remaining Public Shareholders are invited to tender their Equity Shares of the Company in in accordance with the below mentioned details:

Exit Offer Window/ Period	
Exit Offer Opens on	Monday, September 16, 2019
Exit Offer Closes on	Friday, September 20, 2019

Offering Promoter has appointed **Ankit Consultancy Pvt. Ltd.**, as the Registrar to the Exit Offer ("**RTA**"). The Remaining Public Shareholders are requested to send their 'Form of Acceptance' along with all applicable documents (as specifically provided in the exit offer letter to be dispatched to Remaining Public Shareholders separately), clearly marking the "SWASTIK SPINTEX LIMITED- EXIT OFFER" either by Registered Post/Speed Post/Courier, at your own risk or by hand delivery to the appointed RTA at 60, Electronic Complex, Pardesipura, Indore 452010, Madhya Pradesh, India. Tel No: +91-0731-4065799/797, E-mail: ankit_4321@yahoo.com, Contact Person: Mr. Saurabh Maheshwari, on or before the closure of business hours on Friday, September 20, 2019.

In accordance with the Exit Circular, the Promoter and Independent Valuer is in process of entering into an Escrow Agreement with Corporation Bank Limited having its branch office at Main Branch Mahavir Empire, Near Regal Square, Indore 452 007, Madhya Pradesh, India. ("**Escrow Bank**") in terms of which the Offering Promoter will open an Escrow Account with the Escrow Bank. Further, the Escrow Bank has agreed to issue a bank guarantee ("**Bank Guarantee**") in favour of NSE for an aggregate amount of Rs. 1,61,00,000 (Rupees One Crore and Sixty One Lakh only) being more than 100% of the Total Consideration payable under the Exit Offer. The said Bank Guarantee shall be valid upto December 31, 2020 i.e. more than (a) date of closing of Exit Offer Period and/or (b) Exit Window Period.

Upon receipt of the complete documents, the Offering Promoter shall acquire offered/tendered equity shares at the Offer Price of Rs. 12.20 per equity share and the payment shall be made within maximum 15 working days of the closing of Exit Offer Period.

The Remaining Public Shareholders may note that, those who could not tender their Equity Shares during the Exit Offer Period may do so during the period between Saturday, September 21, 2019 to Saturday, September 20, 2020, being a period of one year from the closure of Exit Offer Period at the same price of Rs. 12.20 per Equity Share ("**Exit Window Period**"). The procedure for tendering the shares during Exit Window Period shall be same except the payment of consideration, which shall be released on a monthly basis i.e. within maximum 15 working days of the end of the relevant calendar month in which Shares have been validly tendered by the Remaining Public Shareholders ("**Monthly Payment Cycle**").

This PA is expected to be available at the website of NSE at www.nseindia.com and at the website of Independent Valuer at www.systematixgroup.in.

For and on behalf of the Promoter Group of Swastik Spintex Limited
Sd/-
Ghanshyam Das Rathi
Offering Promoter

Date: July 18, 2019
Place: Indore.

कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर और जाला भाजपा में शामिल

गांधीनगर, 18 जुलाई (भाषा)।

गुजरात में कांग्रेस के पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह जाला गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। दोनों यहां भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम में पार्टी में शामिल हुए।

LML

एलएमएल लिमिटेड (समापनाधीन)
LML Limited (In Liquidation)

कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारियों / श्रमिकों के द्वारा बैंक विवरण प्रस्तुत करने हेतु सूचना

एलएमएल लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों / श्रमिकों के स्वीकृत दावों (www.lmlworld.in वेबसाइट पर सूची उपलब्ध है) के संदर्भ में जिन लोगों ने अपना बैंक खाता विवरण अभी तक नहीं दिया है उनसे अनुरोध है कि वह उसे इस नोटिस के प्रकाशित होने के 10 दिनों की अवधि के अंदर परिसमापक को प्रस्तुत करें।

हस्ता. / –
अरुण गुप्ता, परिसमापक
पंजीकृत पता: ए–57, सेक्टर 30, नोएडा–201301, उ.प्र. (भारत)
संचार हेतु ईमेल : lml.liquidator@gmail.com
पंजीकृत ईमेल : arungupta2211@gmail.com

दिनांक: 19.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

PTC India Financial Services Limited
(CIN: L65999DL2006PLC153373)
Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, India
Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374
Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of PTC India Financial Services Limited ("the Company") to be held on Thursday, 1st August, 2019, inter-alia, to consider, approve and take on record the un-audited financial results along with the limited review report of the statutory auditors for the quarter ended on 30th June, 2019 for FY 2019-20 amongst other items mentioned in the agenda.

The information is also available on the Company's website at www.ptcfinancial.com and on the recognized stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com)

By order of the Board
For PTC India Financial Services Limited
Sd/-
(Vishal Goyal)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 18th July, 2019

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्योजित अधिकार) उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

सोलारिस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड

(सीआईएन: U24119DL2003PLC122993) जिसका पंजीकृत कार्यालय 124, जापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 स्थित है, आवेदक, के मामले में

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 15 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

श्री रघुबीर कुमार शर्मा
निदेशक
सोलारिस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड
124, जापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली – 110001
ईमेल आईडी: sect.sicl@avanthaholdings.com

कृते एवं हेतु सोलारिस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड
हस्ता./–
रघुबीर कुमार शर्मा
निदेशक
डीआईएन: 02055341

दिनांक: 18.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

नोट: जो भी लागू होने योग्य नहीं है उसे काट दें।

NIIT

एनआईआईटी लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली 110019
फोन: 91 (11) 41675000, फैक्स: 91 (11) 41407120
CIN: L74899DL1981PLC015865
वेबसाइट: http://www.niit.com; ई–मेल: investors@niit.com

36वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

[illegible]

[illegible]

उपरोक्त वर्णित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.niit.com पर उपलब्ध है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] https://www.evoting.nsdl.com [illegible] investors@niit.com [illegible]

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लिमिटेड
हस्ता./–
दीपक बंसल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 18 जुलाई, 2019

GEECEE VENTURES LIMITED

GEECEE

CIN: L24249MH1984PLC032170
Registered Office: 209-210, Arcadia Building, 2nd Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India.
Telephone: + 91 22 4019 8600; Facsimile: +91 22 4019 8650
Contact Person: Ms. Dipyanti Kanojia, Company Secretary & Compliance Officer
E-mail: geecee.investor@gcvl.in; Website: www.geeceeventures.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF GEECEE VENTURES LIMITED

This Post Buyback Public Announcement (the "**Post Buyback Public Announcement**") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "**Buyback Regulations**") for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time.

This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated May 23, 2019 and published on May 24, 2019 ("**Public Announcement**") and the Letter of Offer dated June 18, 2019 ("**Letter of Offer**"), issued in connection with the Buyback. Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1 THE BUYBACK

1.1 GeeCee Ventures Limited (the "**Company**") had announced the Buyback of up to 8,14,815 (Eight Lakhs Fourteen Thousand Eight Hundred and Fifteen only) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 (Rupees Ten) each ("**Shares**" or "**Equity Shares**") of the Company as on June 7, 2019 ("**Record Date**"), on a proportionate basis, through tender offer route using the stock exchange mechanism (the "**Buyback**"/"**Buyback Offer**") at a price of ₹ 135/- per Equity Share ("**Buyback Price**"/"**Buyback Offer Price**") payable in cash, for an aggregate maximum consideration not exceeding ₹ 1,100 lakhs (the "**Buyback Offer Size**") excluding the Transaction Costs. The Buyback Offer Size represents 2.68% of the total fully paid-up equity share capital and free reserves as per the standalone audited accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2019.

1.2 The Company had adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented by the Company using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the Securities and Exchange Board of India (**SEBI**) vide circular no CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular no CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, including any amendments thereof, issued by SEBI.

1.3 The Buyback Opening Date was Wednesday, June 26, 2019 and the Buyback Closing Date was Tuesday, July 9, 2019.

2 DETAILS OF THE BUYBACK

2.1 The Company bought back an aggregate of 8,14,814 (Eight Lakh Fourteen Thousand Eight Hundred and Fourteen) Equity Shares, at the price of ₹ 135/- per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback was ₹ 10,99,99,890 (Rupees Ten Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Eight Hundred and Ninety only), excluding Transaction costs.

2.3 The Registrar to the Buyback, Link Intime India Private Limited ("**Registrar**"), considered a total of 1,145 valid bids for 1,80,82,717 Equity Shares in response to the Buyback, resulting in tender of approximately 22.19 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category	No. of Equity Shares reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Tendered	Response %
Reserved category for Small Shareholders	1,22,223	1,001	2,79,845	228.96
General Category for all other Eligible Shareholders	6,92,592	144	1,78,02,872	2,570.47
Total	**8,14,815**	**1,145**	**1,80,82,717**	**2,219.24**

2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection have been dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on Wednesday, July 17, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("ICCL") on Wednesday, July 17, 2019. ICCL has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Seller Member/ Broker for onward transfer to such shareholders.

2.6 Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on Wednesday, July 17, 2019. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders/ custodians by ICCL on Wednesday, July 17, 2019.

2.7 The extinguishment of 8,14,814 Equity Shares accepted under the Buyback, shall be completed by Wednesday, July 24, 2019.

3 CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1 The capital structure of the Company pre and post Buyback is as set forth below:

Particulars	Pre-Buyback		Post-Buyback	
	Number of Shares	Amount (₹ in Lakhs)	Number of Shares	Amount (₹ in Lakhs)
Authorised Equity Share Capital	5,05,00,000	5,050.00	5,05,00,000	5,050.00
Issued, subscribed and Paid-up Equity Share Capital	2,17,26,543	2,172.65	2,09,11,729*	2,091.17

**Subject to extinguishment of 8,14,814 Equity Shares.*

3.2 Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been accepted under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name	No. of Equity Shares accepted under the Buyback Offer	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Capital
1	Saraswati Commercial (India) Ltd	94,924	11.65%	0.45%
2	Arti Shyamsukha	92,096	11.30%	0.44%
3	Rohit Kothari	89,944	11.04%	0.43%
4	Tejal R Kothari	77,045	9.46%	0.37%
5	New Age Energy India Pvt Ltd	50,149	6.15%	0.24%
6	Nidhi Shyamsukha	36,465	4.48%	0.17%
7	Rakhee Dyechem LLP	31,766	3.90%	0.15%
8	Harisingh Shyamsukha	30,546	3.75%	0.15%
9	Minix Holdings Pvt Ltd	29,734	3.65%	0.14%
10	Gaurav Shyamsukha	24,724	3.03%	0.12%
11	Bhanshali Manek HUF	24,461	3.00%	0.12%
12	Ashok Kumar Jain	15,558	1.91%	0.07%
13	Ashwin Kumar Kothari	13,090	1.61%	0.06%
14	Alka Jain	11,657	1.43%	0.06%
15	Marco Private Limited	9,683	1.19%	0.05%
16	Harisingh Shyamsukha HUF	9,404	1.15%	0.04%

3.3 The Shareholding Pattern of the Company Pre and Post Buyback is set forth below:

Particulars	Pre-Buyback		Post-Buyback	
	Number of Shares	Percentage (%) holding	Number of Shares#	Percentage (%) holding
Promoter and Promoter group	1,47,10,372	67.71	1,41,59,942	67.71
Foreign Investors (including Non-Resident Indians/FIIs/FPIs/Foreign Nationals/OCBs)	62,163	0.29	67,51,787	32.29
Indian Financial Institutions/Banks/NBFCs and Mutual Funds/ Insurance Companies	1,100	0.00		
Others (Public, Public Bodies Corporate, Clearing Members, Trust and HUF)	69,52,908	32.00		
Total	**2,17,26,543**	**100.00**	**2,09,11,729**	**100.00**

 # Subject to extinguishment of 8,14,814 Equity Shares.

4 MANAGER TO THE BUYBACK

KJMC
ADVICE MATTERS

KJMC CORPORATE ADVISORS (INDIA) LIMITED
162, Atlanta, 16th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Telephone: +91 22 4094 5500; **Facsimile:** +91 22 2285 2892
Contact Person: Mr. Kaushal Patwa/Mr. Ghanshyam Kapadia
Email: gcvl.buyback@kjmc.com
SEBI Registration Number: INM000002509
Validity Period: Permanent
CIN: L67120MH1998PLC113888

5 DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that the information included herein contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of GeeCee Ventures Limited

Sd/- Vazhathara Vasudevan Sureshkumar Whole Time Director DIN: 00053859	Sd/- Gaurav Shyamsukha Whole Time Director DIN: 01646181	Sd/- Dipyanti Kanojia Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A41024

Date : July 18, 2019
Place : Mumbai

PRESSMAN

सच का साथ

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में आखिरकार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारतीय पक्ष को सही करार देते हुए पाकिस्तान को जाधव के मामले में फिर से विचार करने को कहा है। निस्संदेह यह भारत की एक बड़ी कामयाबी है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी खुफिया एजंसी ने जासूसी और आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी सैन्य अदालत में उन पर मुकदमा चला और उसने खुफिया एजंसी के आरोपों को सही ठहराते हुए जाधव को फांसी की सजा सुना दी। भारत ने बहुत प्रयास किया कि इस मामले में उसका भी पक्ष सुना जाए, जाधव को कानूनी सलाहकार उपलब्ध कराया जाए और इस प्रकरण में भारतीय राजनयिक से जाधव की मुलाकात कराई जाए। मगर पाकिस्तान ने इन मांगों को ठुकरा दिया। जबकि वियना संधि के अनुसार ऐसे मामलों में दूसरे देशों के बंदियों को उनके देश के राजनयिकों से मुलाकात और कानूनी सलाह की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में गुहार लगाई कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने पक्षपातपूर्ण तरीके से जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने अपने पक्ष में दलीलें रखीं, पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ने उसकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। इस तरह सोलह में से पंद्रह न्यायाधीशों ने भारत के पक्ष को सही माना।

कुलभूषण जाधव से पहले भी अनेक मामलों में पाकिस्तानी सैन्य अदालत कई भारतीय नागरिकों को जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बता कर दंड सुना चुकी है। इस तरह पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा है कि भारत उसकी सीमा में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियां संचालित करता है। जब भी भारत, पाकिस्तान पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है, पाकिस्तान उन मामलों के जरिए साबित करने की कोशिश करता रहा है कि दरअसल, भारत खुद ऐसी गतिविधियां उसके विरुद्ध संचालित करता है। ऐसे ही आरोप में सरबजीत सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। पंजाब के सीमावर्ती गांवों से कई बार लोग गफलत में पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और जब वहां के सुरक्षाबलों की गिरफ्त में आते हैं, तो वे उन्हें भी ऐसे ही आरोपों में फंसा देते हैं। कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले से पाकिस्तान के झूठ पर से परदा उठ गया है। यह भी साबित हुआ कि वहां की सैन्य अदालतें किस तरह दुर्भावनापूर्ण और मनमाने तरीके से काम करती हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनों तक की परवाह नहीं है।

छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान अपने यहां चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और वहां पनाह पाए आतंकी सरगना की करतूतों पर परदा डालने की गरज से उल्टा भारत के खिलाफ ऐसे सबूत जुटाने का प्रयास करता रहा है, जिनसे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने साबित कर सके कि आतंकवाद के मामले में असल दोषी भारत है। इसी मंशा से वह आतंकवादी घटनाओं से जुड़े भारत की तरफ से पेश सबूतों को लगातार खारिज करता रहा है। कुलभूषण जाधव मामले में एक बार फिर उसकी कलई खुली है। निस्संदेह इसमें भारतीय राजनयिक प्रयास भी सराहनीय रहे। सरबजीत मामले में जो कमजोरियां रह गई थीं, उनसे सबक लेते हुए भारत ने हर तरह से अपने सबूत और तर्क पुख्ता रखे। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय फैसला इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इससे आतंकवाद से निपटने के मामले में पाकिस्तान के झूठ पर से परदा उठाने में भी मदद मिलेगी और पाकिस्तान शायद भारत के खिलाफ ऐसे फर्जी मामले जुटाने से भी हिचके।

अराजकता की हिंसा

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बुधवार को जो हुआ, उससे एक बार फिर यह सवाल उठा है कि क्या राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है और क्या अपराधियों को बेलगाम होकर मार-काट मचाने से रोकने वाला कोई नहीं है! घोरावल इलाके के उंभा गांव में दर्जनों ट्रैक्टरों पर सवार खतरनाक हथियारों से लैस कई सौ लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और जब गांव वालों ने विरोध जताया तो निहत्थे ग्रामीणों पर हथियारबंद लोगों ने खौफनाक तरीके से हमला कर दिया। धारदार हथियारों और असलहों से किए गए इस हमले में नौ लोगों की हत्या कर दी गई और दो दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश करने का दावा किया है, गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन सरकारों और पुलिस की नींद तभी क्यों खुलती है जब मामला तूल पकड़ लेता है। सवाल है कि क्या यह समूचा मामला इतना गोपनीय था कि पुलिस को कोई पूर्व तैयारी करने का मौका नहीं मिला? क्या राज्य का पुलिस और खुफिया तंत्र इस तरह लाचार हालत में है कि इसके बारे में उसे कोई भनक नहीं लगी?

गौरतलब है कि उस इलाके में बसे आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से सरकारी जमीन पर खेती करते आ रहे थे। यहां की ज्यादातर जमीन वनभूमि है और इस पर कब्जे को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं। जमीन के जिस मामले में ताजा कत्लेआम को अंजाम दिया गया, उस पर भी काफी समय से विवाद चल रहा था। गांव के प्रधान और आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच किस तरह के टकराव की स्थिति बनी हुई थी, यह भी कोई गोपनीय जानकारी नहीं थी। बल्कि खबरें यहां तक आई हैं कि इस कत्लेआम को जमीन विवाद का नतीजा बता कर असली बात से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है और यह भूदान की जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने का मामला है। फिर इन विवादों को किन वजहों से इस हद तक पहुंचने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसमें किसी एक पक्ष को सैकड़ों लोगों के साथ गांव पर हमला और लोगों की हत्या कर देने का मौका मिला? खतरनाक हथियारों से लैस इतनी बड़ी तादाद में लोगों के भीतर वहां बिना किसी बाधा के पहुंचने और कत्लेआम करने की हिम्मत कहां से आई? उनके भीतर इस भरोसे का क्या आधार था कि ऐसी हिंसा और अराजकता फैलाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता?

पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने राज्य में अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ही मुख्य मुद्दा बनाया था और जनता से वादा किया था कि उसके सत्ता में आते ही सब दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन हालत यह है कि पुलिसकर्मियों तक की हत्याएं हो रही हैं। राज्य में मौजूदा भाजपा राज में कानून-व्यवस्था की स्थिति और अपराधों की तस्वीर क्या रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। मुठभेड़ों में अपराधियों को मार गिराने का दावा जरूर किया गया, लेकिन उन पर तीखे सवाल उठे। सच यह है कि राज्य में पिछले काफी समय से अपराधों की तस्वीर में कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। ऐसा लगता है कि अपराधी तत्त्वों के बीच कानून का खौफ नहीं रह गया है। जिस दौर में अपराधों पर काबू पा लेने का दावा किया जा रहा है, उसमें इस तरह का मध्ययुगीन हमला अकल्पनीय लगता है।

कल्पमेधा

इस विश्व में स्वर्ण, गाय और पृथ्वी का दान देने वाले सुलभ हैं लेकिन प्राणियों को अभय दान देने वाले इंसान दुर्लभ हैं।

-भर्तृहरि

गांधी, पर्यावरण और विकास

सतीश कुमार

गांधीजी के शब्दकोश में विकास के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी के अनुसार विकास के बिना भी सामाजिक परिवर्तन संभव है। सामान्यत: विकास शब्द ही विनाश का कारण है। हम विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को स्थापित करने की बात करते हैं, नदियों का रास्ता मोड़ देना चाहते हैं। नतीजा 2013 में उत्तराखंड में आई जल प्रलय के रूप में सामने है।

पिछले दिनों जापान के शहर ओसाका में संपन्न जी-20 की बैठक में अमेरिका के विरोध के बावजूद पेरिस समझौते को लागू करने की बात हुई। अमेरिका और पश्चिमी देशों की हठधर्मिता की वजह से मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। फ्रांस में इस बार तापमान पैंतालीस डिग्री के पार चला गया। अगर दुनिया के ताकतवर देश अपने स्वार्थों पर अड़े रहे तो मानव सभ्यता को विनाश का विकराल दृश्य झेलना पड़ेगा। भारत की स्थिति तो और बदतर है। चेन्नई का जल संकट बता रहा है कि आने वाले वर्षों में देश को किस भीषण जल संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विकास की अवधारणा की अबूझ पहेली भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। सवाल तो यह है कि यह विकास आखिर है किसके लिए, क्या सिर्फ शहरों के वीआइपी इलाकों को हर तरह की सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए?

गांधी विकास की अवधारणा को ही नकराते थे। उनकी नजर में आधुनिक विकास की शैली और परिभाषा दोनों ही दूषित हैं। गांधीजी शहरों के नेटवर्क से भी क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा था- कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के जाल भारत के गले की फांस बन जाएंगे। गांधीजी ने अपने जीवन में ही नेहरू की विकासवादी अवधारणा से मुंह मोड़ लिया था। बाद में स्थिति बदतर होती चली गई। पर्यावरण को लेकर कोई बुनियादी सोच विकसित नहीं हो पाई है। हम राष्ट्र को सैन्य और आर्थिक रूप से तो मजबूत बना देंगे, लेकिन उसका आधार पोलियो ग्रस्त रहेगा जो अपने शरीर का भार भी उठाने में सक्षम नहीं होगा।

वर्ष 2019 की गर्मी यादगार रहेगी। गर्मी के कारण किसी शहर में धारा 144 अभी तक नहीं लगी थी। बिहार सहित पूरे उत्तरी हिस्सों में तापमान पचास के करीब पहुंच गया था। यहां तक कि कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस गर्मी का असर दिखा। वातावरण में इस तरह के आकस्मिक परिवर्तन के कारण क्या हैं? क्यों असंतुलित मौसम मानव सभ्यता के लिए मुसीबत बनता जा रहा है? अगर इसकी विवेचना गांधी के नजरिए से की जाए तो कारण स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। गांधी कोई पर्यावरण के पुरोधा या विशेषज्ञ नहीं थे, न ही उन्हें पर्यावरण की कोई डिग्री हासिल थी। लेकिन दुनिया में उनसे बेहतर पर्यावरण का हितैषी कोई भी नहीं हुआ। उनकी सोच और सिद्धांत बिल्कुल व्यावहारिक सच्चाइयों पर टिकी हुई थी, जिसको एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है और अनुकरण कर सकता है। गांधीजी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आजादी के बाद क्या आप भारत की प्रगति अंग्रेजों के नक्शे कदम पर करना पसंद करेंगे, तो उनका जवाब था, 'बिल्कुल नहीं'। गांधीजी ने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी विलासिता की भूख मिटाने के लिए तकरीबन दुनिया के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया, इसके बाद भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। अगर इसी नक्शे-कदम पर भारत चलता है तो पृथ्वी जैसे कई ग्रहों की जरूरत पड़ेगी।

आज दुनिया के सामने खतरे की घंटी बज चुकी है। दुनिया जलवायु संकट को लेकर परेशान है। ओजोन परत का छेद बड़ा होता जा रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और तटीय शहरों के डूबने की स्थिति बनती जा रही है। यह सब कुछ मानव जगत की जीवनशैली की वजह से हुआ है। गांधीजी ने कहा था कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो अपनी जरूरतों को सीमित करना होगा। उनके इस सिद्धांत के तीन शब्द हैं- साधारण जीवन, धीमी गति और छोटे कदम। तीनों शब्द गांधी के पर्यावरण चिंतन का सार हैं। अर्थात, जीवन विलासिता पूर्ण नहीं हो, अकूत संपति अर्जित करने की बेचैनी नहीं हो और छोटी-छोटी खुशियों को अर्जित कर उसे बेहतर और व्यापक बनाने की कोशिश होनी चाहिए। भौतिक सुख का कोई अंत नहीं है। गांधीजी ने पश्चिमी सभ्यता को कोसते हुए यह चेतावनी दी थी कि विश्व उनके विलासिता के दर्द से पीड़ित होगा। आज गांधीजी के शब्द सटीक और सही निकल रहे हैं।

भारत की स्थिति सांप-छछूंदर वाली है। हम न पश्चिम के बन पाए और न अपने वजूद पर टिक पाए। आजादी के बाद विकास की नई परिभाषा रची गई। गांधीजी के शब्दकोश में विकास के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी के अनुसार विकास के बिना भी सामाजिक परिवर्तन संभव है। सामान्यतः विकास शब्द ही विनाश का कारण है। हम विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को स्थापित करने की बात करते हैं, नदियों का रास्ता मोड़ देना चाहते हैं। नतीजा 2013 में उत्तराखंड में आई जल प्रलय के रूप में सामने है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद हजारों लोग पानी की धार में बह गए, करीब तीन सौ पुल टूट कर बह गए, सड़कें टूट गईं। यह मनुष्य के लोभ और विलासिता के कारण ही हुआ है। 1929 में उत्तराखंड की यात्रा के दौरान गांधीजी ने कहा था कि पूरे उत्तर भारत की हरियाली हिमालय के पर्वतों पर टिकी है, अगर हिमालय की छाया नहीं होती तो पूरा उत्तर भारत सहारा के रेगिस्तान की तरह होता। उत्तराखंड की विभीषिका प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा थी। नदियां अपने तटों को तोड़ती हुई प्रचंड रूप धारण कर चुकी थीं। गोरी गंगा, काली गंगा और मंदाकिनी जैसी नदियों ने विकराल रूप दिखाया था। जो पानी जीवनदायी होता है, उसका कहर जीवन भी ले सकता है। लेकिन आज भी हमने कोई सबक नहीं सीखा है।

भारत महामारियों से त्रस्त है। बिहार में दिमागी बुखार से बच्चे मर रहे हैं। बीकानेर जाने वाली एक ट्रेन का नाम तो कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया है। इस ट्रेन में हर दिन दो सौ से ज्यादा मरीज होते हैं जो कैंसर के सस्ते सुलभ इलाज के लिए बीकानेर जाते हैं। आखिर मालवा का यह क्षेत्र कैंसर से पीड़ित क्यों हुआ? इसके पीछे भी जो कारण है वह लालच और लोभ ही है। ज्यादा फसल उपजाने के लिए भारी मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाने लगा है जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन गए हैं। ज्यादा फसल का मतलब ज्यादा पैसा, जिसका उपयोग भौतिक सुख-सुविधा के लिए किया जाएगा। आज हमारे देश में कैंसर रोगियों की जो तादाद बढ़ रही है, उसका कारण भी जीवन शैली ही है।

गांधीजी के समय पर्यावरण की बड़ी त्रासदी नहीं आई थी। लेकिन गांधीजी चेता दिया था कि अगर बड़े-बड़े उद्योग लगेंगे, शहरीकरण बढ़ेगा, झुग्गी बस्तियां फैलेंगी तो पर्यावरण की समस्या निश्चित रूप से मानव सभ्यता के लिए मुसीबत बनेगी। गांधीजी बड़े शहरों के विरोधी थे। वे कहते थे कि बड़े शहर का मतलब बड़ी मुसीबत। गांधीजी का ग्राम स्वराज सिद्धांत इस मुसीबत से उबरने की रह दीखता है। आत्म संयम और अहिंसा भी पर्यावरण को अक्षुण्ण रखने में सार्थक साबित होगी। गांधीजी की पर्यावरण सोच जैन सिद्धांत और हिंदू धर्म से प्रभावित थी। सारे जीवों को इस धरती पर रहने का अधिकार एकसमान है। यह बात उन्होंने भाषण के द्वारा नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली के द्वारा दुनिया को बताई थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी का आश्रम उसी अनुरूप बना हुआ था, जिससे पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। साबरमती आश्रम में भी यही व्यवस्था थी। यहां तक कि टैगोर का आश्रम भी पर्यावरण के स्वाभाविक नियमों के तहत ही बना था। आज अगर भारत की अस्मिता को सुरक्षित रखना है तो पश्चिमी सोच और भौतिक सुखों को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो समस्या विकराल होती जाएगी और विकास विनाश का कारण बनता चला जाएगा।

बस्ते का बोझ

अनूप कुमार बडोला

यह सिलसिला हर साल चलता रहता है। मौजूदा ढांचे में इससे अलग और होगा भी क्या! रिजल्ट के बाद नंबर के हिसाब से स्कूल, प्रवेश के लिए कई कॉलेजों की विवरणिका फीस, दाखिले के लिए भी प्रवेश परीक्षा, नाम निकल जाने पर स्कूल के हिसाब से किताबों की लंबी-चौड़ी सूची। एक खेल, जो सालों से सरकारों की नाक के नीचे खेला जा रहा है निजी स्कूलों द्वारा तथाकथित गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा के नाम पर। इस पूरी प्रक्रिया में वह बच्चा मूकदर्शक बना रह जाता है, जिसे शिक्षा प्राप्त करनी है। वह दब जाता है स्कूल, अभिभावक और समाज की अपेक्षाओं के तले।

जो खुद को सबसे अलग दिखाने की कोशिश में वह सब कर डालते हैं जो शिक्षा की कसौटी पर कहीं खरा नहीं उतरता है। ठीक वैसे ही जैसे आजकल के टीवी समाचार चैनल सबसे तेज, सबसे पहले के चक्कर में सभी मर्यादाएं भूल जाते हैं। उन्हीं की तरह इस देश में शिक्षा के भी कुछ गिने-चुने चैनल चलते हैं। सबसे अच्छा कौन है- इसके लिए अच्छे भवन, अच्छी सुविधाएं, अच्छी गाड़ियों के साथ-साथ अच्छी किताबों को भी प्रतिस्पर्धा की कसौटी बना लिया गया है। किताबों की इस होड़ में किसकी किताबों का वजन, रंग, पेपर, लेखक कितना वजनदार होगा, यह तय करता है कि कौन-सा स्कूल कितना अच्छा है।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों में किताबों का चयन स्कूलों के हिसाब से होता है, जो नियमानुसार उस स्कूल के शिक्षक तय करते हैं। लेकिन किताबों के मुद्रक स्कूलों को प्रोत्साहन राशि, मूल्य में हिस्सा, कुल किताबों की कीमत का प्रतिशत और स्कूलों में शिक्षकों के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना आदि से किताबों के निर्णय में महत्त्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं।

दुनिया मेरे आगे

यों केंद्र सरकार ने अदालत के हस्तक्षेप के बाद एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें बच्चों के बस्तों का बोझ निर्धारित किया गया है और राज्य सरकारों से इस पर दिशा-निर्देश तय करने को कहा गया है। इस निर्णय के जहां स्वास्थ्य संबंधी संदर्भ हैं, वहीं शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकें और उनका शिक्षार्थी से संबंध भी एक संदर्भ है। इसे शिक्षा तंत्र से जुड़े लोगों और कुछ हद तक अभिभावकों को भी समझने की आवश्यकता है। बच्चों के बस्तों के वजन का सवाल केवल वजन नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों को समझने का है। अफसोस है कि खासतौर पर निजी स्कूल इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं।

उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के वर्तमान निर्देशों को कक्षावार प्रतिदिन की समय-सारिणी में सुधार के साथ बस्ते का वजन हल्का करने की जरूरत को समझना भी आवश्यक है। 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट में मूलतः बच्चे के सायास शिक्षण के लिए आयु, बस्ते का वजन, परीक्षा प्रणाली, आनंददायक शिक्षा, पाठ्यक्रम और उस पर आधारित पाठ्य-पुस्तकों को समग्र रूप में देखने की बात कही गई थी। यशपाल समिति ने अपने विश्लेषण में माना कि अगर पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें ठीक से और ज्ञान सृजन योग्य न बनाई जाएं तो बच्चों के ऊपर अनावश्यक भार बढ़ता है। आमतौर पर पाठ्य-पुस्तकों में अवधारणाओं को भारी-भरकम तरीकों से रखा जाता है और उनकी भाषा बच्चों की अवधारणात्मक समझ विकसित करने में मदद नहीं कर पाती है। सरल शब्दों में समझें तो बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार दुनिया भर में यह महसूस किया गया है कि इस प्रक्रिया में स्कूल अधिक पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों में समझ नहीं बना पाते। इसका परिणाम बच्चों पर मानसिक रूप से पड़ता है। इसी कारण श्रव्य-दृश्य माध्यम को ज्यादातर देशों में शिक्षण में जगह दी गई है। हालांकि इस प्रक्रिया की भी अपनी सीमाएं हैं।

विशेषज्ञों की राय के बाद मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जब अपने निर्णय में कहा कि 'गृह कार्य जैसी प्रक्रियाओं से बहुत छोटे बच्चों को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र में दिशा-निर्देशों का पालन करना, अलग-अलग विषय एक साथ याद रखना कठिन होता है। इसलिए यह अव्यावहारिक भी है।'

लेकिन इन सबमें केवल पुस्तक-पोषक और शिक्षा तंत्र से जुड़े लोग ही दोषी नहीं हैं, बल्कि समाज भी जिम्मेदार है। हम सबने भी अपने बच्चों को कम्प्यूटर की तरह एक यंत्र समझ लिया है। मसलन, हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा आना चाहिए, भीड़ में अलग दिखने के लिए उसका कुछ अलग बोलना या करना। बल्कि अब तो पैमाना यह बन गया है कि मेरा बच्चा कितने ट्यूशन जाता है। हम अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्वतंत्र चिंतन, ज्ञान सृजन और उन्हें खुद को बनाने से दूर कर दिया है। हमारे बच्चे एक यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं और स्कूल उस प्रक्रिया में एक प्रयोगशाला की तरह काम करने लगे हैं। दुनिया रूपी किताबें उस बच्चे के जीवन का हिस्सा नहीं हैं, जिस दुनिया में उसे अपने आपको संयोजित करना है। सभी के लिए यह पहली घंटी बजी है। जाग सकें तो हम आने वाली पीढ़ी को सूचना भार नहीं, बल्कि सृजित ज्ञान का भंडार दे पाएंगे जो उन्हें मानव यंत्र की जगह जीवंत मानव बना पाएंगे।

कुपोषण के विरुद्ध

बुधवार को राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने माताओं और बच्चों के कुपोषण पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि करीब पंद्रह मंत्रालय इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी को और सशक्त करने के लिए बजट में इजाफा किया गया है। यह बजट लगभग 19000 करोड़ का है और पूरक पोषण के लिए 8000 करोड़ से ज्यादा मौजूदा वित्त वर्ष में दिए जा चुके हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कुपोषण में कमी आई है लेकिन अब भी 19 करोड़ 44 लाख लोग कुपोषित हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुल्क को आजाद हुए सत्तर साल से ज्यादा बीत गए मगर देशवासी अब भी भुखमरी, कुपोषण, गरीबी से लड़ रहे हैं। सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है लेकिन बढ़ती आबादी और भ्रष्टाचार के चलते इन दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

इसके मद्देनजर कुपोषण से निपटने की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन मुस्तैदी से होना चाहिए। लचर रणनीति के चलते अनेक क्षेत्रों में ये योजनाए पहुंच ही नहीं पातीं। नतीजतन, अभी भी कई राज्यों में हालात जस के तस हैं। विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित माताएं और बालक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि किसी व्यक्ति को कुपोषण इस वजह से नहीं होता कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता बल्कि उसके आहार में पोषक तत्त्वों की भारी कमी होती है। इससे शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। कमजोरी और खून की कमी के चलते माताओं की प्रसव के समय मौत भी हो जाती है। अनेक बच्चों की पांच वर्ष की उम्र से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुपोषण से लड़ने के लिए आपसी सहयोग से एक सटीक रणनीति बनानी चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए ताकि वे माताओं और बच्चों की पोषण से जुड़ी समस्याओं का निदान करने में सक्षम हो जाएं और देश को कुपोषण से जल्दी मुक्ति मिल जाए।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, ग्राम कोंढाली, नागपुर*

हादसों की सड़क

बेहतर सड़कें समय की मांग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे भीषण दुर्घटनाओं की गवाह बनती रहें। जिस तरह विभिन्न एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी तरह देश के पर्वतीय इलाकों के रास्तों पर भी। आम तौर पर हर बड़े सड़क हादसे के बाद उन्हें रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ पहले की ही तरह होता हुआ दिखाई देता है।

यही कारण है कि वर्ष-दर-वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दुर्घटनाओं में मरने अथवा अपंग होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या केवल संबंधित परिवारों के लिए ही आफत नहीं बनती, बल्कि वह समाज और देश को भी कमजोर करने का काम करती है। ऐसा इसलिए कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले ज्यादातर लोग अपने घर-परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। बेहतर होगा हमारे नीति-नियंता यह समझें कि जानलेवा सड़क हादसे रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कागजों पर जंगल

वृक्षारोपण अभियान यानी पौधा रोपते हुए एक मुस्कुराती हुई तस्वीर खिंचाना और फिर पर्यावरण संरक्षण का संदेश जारी करना! दरअसल, हमें वृक्षारोपण अभियान की जगह पौधों की सुरक्षा का अभियान चलाना चाहिए। हमारा जोर पौधों की सुरक्षा करने पर होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सवाल है कि पूरे साल हम करोड़ों का बजट लगा कर पौने दो करोड़ से अधिक पौधे रोप कर करेंगे क्या यदि हमारे पास उन्हें बचाने की व्यवस्था ही नहीं होगी?

उत्तराखंड में हरेला पर्व शुरू हो गया है। यह लोक संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व है। प्रकृति के इस पर्व पर राज्य में पिछले वर्ष 4.50 लाख पौधों का रोपण किया गया था। इस वर्ष 15 जुलाई से 16 अगस्त तक के हरेला महीने में 6.25 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पूरे वर्ष में 1.89 करोड़ पौधारोपण किया जाना है।

इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि पारिस्थिकी कार्य बल द्वारा वनीकरण के लिए वर्ष 2018-19 में 460.01 लाख रुपए शासन की ओर से अनुमोदित किए गए थे। 31 दिसंबर 2018 तक इसमें से 325 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी तरह 'हमारा पेड़ हमारा धन' योजना के तहत निजी भूमि पर पौधे रोपने और तीन वर्ष बाद उन रोपित पौधों के स्वस्थ्य रहने की सूरत में तीन सौ से चार सौ रुपए प्रति पौधा दिए जाते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 103.50 लाख रुपए अनुमोदित किए गए। इसमें से 31 दिसंबर 2018 तक 32.76 लाख रुपए खर्च किए गए। गर्मियों में जंगल की आग की चपेट में बड़ी संख्या में पौधरोपण क्षेत्र के पौधे भी आए। इसमें वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 35 हेक्टेयर पौधरोपण क्षेत्र आग की चपेट में आकर खाक हो गए।

इसका मतलब यह है कि हमारे देश में बरसात के महीने में कागजों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं और गर्मियों के मौसम में वे कागजों में ही जल जाते हैं।

● *प्रियंबदा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

हमारा पानी

'जल ही जीवन है'- इस सूक्ति में कोई अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव ही जल में हुआ है। वर्षा की न्यूनाधिकता के कारण ही सूखा या बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं। देश में सघन आबादी वाले क्षेत्रों के लिए न केवल साफ पानी की अधिक आपूर्ति चाहिए, बल्कि गांव में खेती के लिए गंदा पानी भी उपयोग में लाया जा सकता है। रसायन विज्ञान के अनुसार पानी 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से बनता है जो निश्चित ही पृथ्वी के वायुमंडल में नियत हैं।

सागरों में भी 70 फीसद पानी मौजूद है लेकिन मनुष्य के नित्य कार्यों के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा, पानी को बरबाद नहीं करना चाहिए। इसे समय और जरूरत के हिसाब से ही उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे, शहरों में वर्षा के पानी का संरक्षण होना चाहिए और अन्य क्षेत्रों में भी जहां पानी की कमी हो। लेकिन चेरापूंजी में बारिश के पानी को बूंद-बूंद उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में वर्षा के पानी का खेतों में बह जाना ही उचित है जो फसलों में उपयोग आने के साथ ही साथ भूजल स्तर को भी समृद्ध करता है।

● *चंद्रकांत, एएमयू, अलीगढ़*

नई फिल्म
- अर्जुन पटियाला
- जजमेंटल है क्या

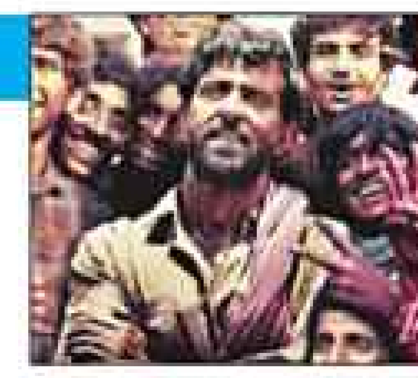

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
सुपर 30	63.8 करोड़
स्पाइडर मैन	70.25 करोड़
कबीर सिंह	257.55 करोड़
आर्टिकल15	56.9करोड़

18 जुलाई तक कमाई

जन्मदिन
- ग्रेसी सिंह 20 जुलाई
- नसीरुद्दीन शाह 20 जुलाई
- विशाल मल्होत्रा 22 जुलाई
- हिमेश रेशमिया 23 जुलाई

खुद को साबित करने में वक्त लगता है : जॉन

आरती सक्सेना

कभी देह की छवि में कैद कर दिए गए जॉन अब्राहम आज खुद को बेहतरीन फिल्मों के निर्माता और सशक्त अभिनेता के रूप में साबित कर चुके हैं जो जल्द ही अपनी नई फिल्म 'बाटला हाउस' के साथ दर्शकों से मुखातिब होंगे। इस फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। देश की सुरक्षा से जुड़ी इस फिल्म को लेकर बातचीत के दौरान जॉन खासे उत्साहित दिखे।

आमने सामने

सवाल : 'बाटला हाउस' में आपको सबसे खास बात क्या लगी?
- यह फिल्म 10 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए बाटला हाउस मुठभेड़ पर है। ऐसे ज्यादातर मामलों में पुलिस को दोषी मान लिया जाता है। मैंने जब इसकी कहानी सुनी तो तय किया कि इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिल्म की शूटिंग करते वक्त देश की पुलिस पर गर्व हुआ।

सवाल : मुठभेड़ के बाद पुलिस और आरोपी में दोषी कौन, इस पर लंबी बहस चलती है। आप इसे कैसे देखते हैं?
- मैं किसी और मुठभेड़ पर अपनी राय नहीं रख सकता। मैंने 'बाटला हाउस' के बारे में जानकारी जुटाई है तो सिर्फ उसकी बात कर सकता हूं। यह उन दो मुसलिम आंतकवादियों के साथ मुठभेड़ की कहानी है जिनका मकसद हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना था।

सवाल : फिल्म में आपकी भूमिका क्या है?
- मैं डीएसपी संजीव कुमार यादव का किरदार निभा रहा हूं जिन्हें देश के राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं। किस तरह एक पुलिसवाला देश के दुश्मन का खात्मा करता है फिल्म में यही दिखाया गया है।

सवाल : आतंकवाद की बात करें तो बॉलीवुड पर भी अंडरवर्ल्ड का आतंक छाया हुआ था। इस मामले में आपका कैसा अनुभव रहा?
- मैं जब आया तो फिल्म उद्योग में कारपोरेट का बोलाबाला था। मेरा आतंक का कोई अनुभव नही हैं।

सवाल : पिछले कुछ समय से आप और अक्षय कुमार देशहित से जुड़े मुद्दों पर फिल्में कर रहे हैं। पिछले साल भी आप दोनों की फिल्म साथ प्रदर्शित हुई थीं। इस साल भी 'मिशन मंगल' और 'बाटला हाउस' साथ आएगी। आप दोनों अच्छे दोस्त हैं लेकिन क्या फिल्में साथ प्रदर्शित होने पर कोई मनमुटाव नहीं होता?
- हम अच्छे दोस्त हैं इसलिए हमारी पसंद भी मिलती-जुलती है। हमारी फिल्मों का एक ही तारीख पर प्रदर्शित होना इत्तफाक है जो हम दोनों तय नहीं करते हैं।

सवाल : आप ने पिछले कुछ समय से पुलिस इंस्पेक्टर पर आधारित कई फिल्में की हैं जैसे, 'सत्यमेव जयते' और अब बाटला हाउस। क्या ये इसलिए करते हैं कि पुलिस पर आधारित फिल्में ज्यादा चलती हैं?
- मेरी छवि पुलिस वाले किरदार के साथ फबती है। यह जरूरी नही है कि पुलिस अफसर पर आधारित कहानी है तो हिट होगी ही। इसके लिए फिल्म की कहानी का भी अच्छा होना जरूरी है।

सवाल : क्या आपकी पिछली फिल्मों की तरह आगामी फिल्म में भी भरपूर एक्शन होगा ?
- इस फिल्म में भी एक्शन है लेकिन अलग तरह का है क्योंकि यह मुठभेड़ पर आधारित है। इसमें पुलिस और मुजरिम के बीच गोलीबारी और एक्शन के साथ लड़ाई नजर आएगी।

सवाल : आपके करिअर के शुरुआती दौर में अभिनय को लेकर आपकी बहुत आलोचना होती थी। आप अपने अब तक के सफर को कैसे देखते हैं?
- पहले लोग जॉन की बॉडी देखना चाहते थे। जब मैंने बतौर निर्माता फिल्म बनानी शुरू की तो कुछ लोग ये सोचने लगे कि अरे यह सोचता भी है। जब मैंने 'मद्रास कैफे' बनाई तो लोगों ने भरपूर तारीफ की। उसके बाद जब 'परमाणु' बनाई तो मुझे एक काबिल निर्माता मानने लगे। बतौर निर्माता मेरे लिए और भी दरवाजे खुल गए हैं। हर कलाकार को खुद को साबित करने में समय लगता है।

क्या नहीं करना, यह पता होना चाहिए : इरशाद कामिल

मांडवी मिश्रा

फिल्म को फिल्म के बाद भी जिंदा रखने के लिए संगीत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हिंदी फिल्म उद्योग को अपने लिखे गीतों के बोलों से एक नया आयाम देने वाले गीतकार इरशाद कामिल, असल जीवन में भी अपने गीतों की तरह ही आसान और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। उनके 'पटाखा गुड्डी' जैसे गानों में लोक गीत की महक है, तो 'मटरगश्ती' और 'हीर' जैसे गानों में ताजगी है। 'नादान परिंदे' में बाबा शेख फरीद के बोल हों, या कॉकटेल के 'मैं शराबी' जैसे गानों में कव्वाली से ली गई प्राकृतिक प्रेरणा नजर आती है।

लोक गीतों की सुगंध

एक दशक से भी ज्यादा समय से हिंदी गीतों में लोक गीतों की सुगंध बिखेरने वाले इरशाद का मानना है कि जब आपको क्या नहीं करना पता लग जाए, तो फिर क्या करना है वह खुद ब खुद समझ में आ जाता है। हाल ही में हिंदी फिल्म 'भारत' और 'कबीर सिंह' में मधुर गाने दे चुके इरशाद की किताबें 'काली औरत का ख्वाब' और 'एक महीना नज्मों का' को भी पाठकों ने खूब पसंद किया। करिअर में पारिवारिक सहयोग के बारे में कहते हैं, 'परिवार गैर-परंपरागत रास्तों पर सहयोगी नहीं होते। मैंने भीतरी और बाहरी काफी संघर्ष किया है और अब भी कर रहा हूं'। इम्तियाज अली के साथ 'जब वी मेट', 'रॉकस्टार', 'हाइवे' और 'तमाशा' को इरशाद के बेहतरीन कामों में गिना जाता है। इरशाद कहते हैं कि हम शायद फिल्म में गीतकारी की अहमियत समझते हुए उस पर ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। इसके साथ ही इरशाद का 'द इंक बैंड' भी श्रोताओं के दिलों पर राज कर रहा है। इरशाद का कहना है कि यह देश का पहला पोएट्री बैंड है जो एक किस्म की जुगलबंदी है शब्द, संगीत और गायकी के बीच। इस जुगलबंदी में शायरी ड्राइविंग सीट पर होती है न कि संगीत के पीछे दौड़ती हुई। बहुत जल्दी 'द इंक बैंड' अपना सीजन-2 लेकर आ रहा है जिसमें शायरी सिर्फ कल्पनाओं के आसमान पर ही उड़ान नहीं भरेगी बल्कि वास्तविकता की जमीन पर भी उतरेगी।

बात तो बिकने की है

आजकल अच्छा गीत संगीत या साहित्य नहीं बन रहा जैसे आरोपों पर इरशाद का कहना है कि लोगों की पसंद खराब है। जो बिकता नहीं वो कभी बनता नहीं। व्यवसाय ने अच्छे साहित्य, गीत या संगीत की ही नहीं अच्छी पत्रकारिता की भी गुणवत्ता छीनी है। 'साड्डा हक', 'छीन के लेंगे अपना हक', 'चल तू अपना काम कर' जैसे गीत के साथ कविताएं भी लिखता हूं।

दायरे में रहते हुए मैं जितना बदलाव लाने की कोशिश कर सकता हूं वह कर रहा हूं। शायरी और कविता के इतर गीत लिखने की चुनौती पर इरशाद कामिल कहते हैं कि यह एक ऐसी चीज है जो आप अपने लिए नहीं लिख रहे होते, अपनी मनोदशा के अनुसार नहीं लिख रहे होते, आपके पास छंद को अपनी मर्जी से चुनने की मोहलत नहीं होती और आप लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। अपने मन से कविता, गजल या शायरी लिखना आसान होता है बजाय गीत लिखने के जो किसी परिस्थिति या फिल्म के लिए होता है। फिल्मों के लिए गीत लिखने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप मानसिक रूप से एक रचनात्मक जोन में रहते है और सबसे बुरी बात ये है कि रचनात्मक क्षेत्र में रहते हुए भी व्यावसायिक सोच आपसे छूट नहीं पाती।

'मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती'

बातचीत

इरशाद कहते हैं कि मैं अक्सर भारी बातों को हल्के तरीके से कहना पसंद करता हूं। शायद इसलिए मेरे गीतों में मोहब्बत जैसी कशिश बरकरार रहती है। मोहब्बत कभी पुरानी नही लगती, हमेशा नया एहसास देती है। मैं फिल्म के लिए गाने लिखते हुए सिर्फ फिल्म का परिवेश ही नहीं बल्कि समसामयिक परिवेश भी ध्यान में रखता हूं। मैं अपनी कहानियों के किरदार को जीता हूं शायद इसीलिए वो सब गाने सच्चे और संपूर्ण लगते हैं। हर बार ऐसा कर पाना आसान नही होता। हाल फिलहाल की फिल्मों में कबीर सिंह का किरदार मुझसे काफी समय ले गया। उसके मल्टीपल भावों को 'बेखयाली' गाने में उतारना आसान नही था।

गुरु को नमन

शशिप्रभा तिवारी

शास्त्रीय नृत्य व संगीत जगत में गुरु-शिष्य का नाता अत्यंत प्राचीन होते हुए भी समीचीन है। क्योंकि आज भी विद्या का दान गुरु अपने सुपात्र शिष्य को ही करते हैं। इसकी झलक कन्फ्लुएंस समारोह में देखने को मिली। इसका आयोजन रसराज फाउंडेशन ने किया। इस समारोह में नवोन्मेष देखने को मिला। इसमें एक ओर अपने-अपने वाद्यों पर जलतरंग पर मिलिंद तालुंकर, तबले पर रामदास पलसुले व फतह सिंह गंगानी और डीजेंबे पर तौफीक कुरैशी ने संगत कर समां बांधा, वहीं कथक नृत्य गुरु राजेंद्र गंगानी ने अपने नृत्य से पेशकश को और मनोरम बना दिया।

नृत्योत्सव

समारोह का आगाज युवा नृत्यांगना ज्योतिका जोशी और निवेदिता खोट के युगल नृत्य से हुआ। उन्होंने गुरु वंदना पूजा गुरु की कीजिए से नृत्य शुरू किया। फिर, शुद्ध नृत्य ताल अष्टमंगल में पिरोया। इस अंश में उपज में पैर का काम पेश किया। उठान ता थेई थेई थेई... की प्रस्तुति में चक्कर और पलटे का सुंदर प्रयोग किया। छंद युक्त चलन को रचना तक धित धा के बोलों पर पेश किया। तिहाई में आड़े और खड़े पैर का काम प्रस्तुत किया। उनके द्वारा 21 चक्कर का प्रयोग भी सधा रहा। ज्योतिका व निवेदिता ने अपनी प्रस्तुति का समापन गुरु भजन सुमिरन गुरु चरणन का कीजिए से किया। दोनों नृत्यांगनाओं का आपसी तालमेल और नृत्य संयोजन बेहतर था। उनकी प्रस्तुति और अधिक प्रभावी हो सकती थी, अगर तबले का की आवाज संतुलित होती। जयपुर घराने के प्रतिष्ठित नर्तक पंडित राजेंद्र गंगानी ने गणेश वंदना से नृत्य आरंभ किया। यह प्रस्तुति रचना चहुं देस पूजे गुरु गणेश पर आधारित थी। उन्होंने छूट की उठान थेई थेई थेई तत तत ता के बोल पर पेश किया। इसमें चक्कर का प्रयोग मनोहर था। उन्होंने पंडित कुंदन लाल गंगानी रचित गणेश परण नाचत गणपति धा न धा, चक्रदार तिहाई, थाट को पेश किया। सूरदास की रचना माला तिलक मनोहर बाना पर भाव को पेश किया। इसमें गुरु की महिमा का बखान था।

अगले चरण में विशेष आमंत्रित कलाकारों की संगति में उन्होंने कथक नृत्य पेश किया। जलतरंग पर मिलिंद तालुंकर ने रचना नटनागर अति सुंदर का वादन व गायन किया। इसपर नर्तक राजेंद्र गंगानी भावों को अभिव्यक्त किया। बाल और किशोर कृष्ण के भावों का विवेचन मर्मस्पशी था। समारोह के दौरान जलतरंग पर मिलिंद तालुंकर ने राग पूरिया धनाश्री में आलाप, जोड़ व झाला बजाया। इसके विस्तार में मध्य व द्रुत लय में दो रचनाओं को पेश किया, जो तीन ताल में निबद्ध थे। कुल मिलाकर यह नव प्रयोग कलाकारों को जोड़ने का अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। आजकल ऐसे प्रयास कम देखने को मिलते हैं।

आनंद बख्शी (21 जुलाई 1930 – 30 मार्च 2002)

'डफली वाले' की कामयाबी से विश्वनाथ हैरान थे

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

फिल्मों के गीतकार को न सिर्फ संगीतकार को संतुष्ट करना होता है बल्कि निर्माता-निर्देशकों की पसंद पर भी खरा उतरना पड़ता है। गीतकार आनंद बख्शी के करिअर में कुछ ऐसे भी मौके आए जब इनमें से कोई न कोई उनके लिखे गीत से संतुष्ट नहीं होता था। ऐसा ही वाकया था निर्माता एनएन सिप्पी की फिल्म 'सरगम' का। 'सरगम' का गाना 'डफली वाले...' निर्देशक के विश्वनाथ ने रिजेक्ट कर दिया गया था। और जब इसने बिनाका गीतमाला में नंबर वन पायदान से प्रवेश किया, तो विश्वनाथ हैरान थे और बख्शी मुस्करा रहे थे। 21 जुलाई को आनंद बख्शी की 89वीं जयंती है।

दादासाहेब फालके पुरस्कार विजेता तेलुगू फिल्मकार काशीनाथुनी विश्वनाथ (के विश्वनाथ) और उनकी तेलुगू फिल्म 'सिरी सिरी मुव्वा' की हीरोइन जया प्रदा ने 1979 की 'सरगम' से हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया था। इस तेलुगू फिल्म को निर्माता एनएन सिप्पी हिंदी में बना रहे थे। सिप्पी और विश्वनाथ ने इसके संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल और गीत लिखने का काम आनंद बख्शी को सौंपा था।

लक्ष्मी-प्यारे और आनंद बख्शी के लिए 'सरगम' चुनौती थी। एक तो तेलुगू फिल्मों में के विश्वनाथ का डंका बज रहा था। मानवीय मनोविकारों को बहुत ही गहराई से पकड़ने में माहिर विश्वनाथ को संतुष्ट करना आसान नहीं था। मूल फिल्म देखने के बाद बख्शी ने 'सरगम' के लिए सात गाने लिखे। लक्ष्मी-प्यारे एक एक कर इनकी धुनें बना कर के विश्वनाथ को सुनाने लगे।

विश्वनाथ ने सारे गाने तो पास कर दिए लेकिन 'डफली वाले डफली बजा...' को सुनते ही रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसकी जगह पर कोई दूसरा गाना बनाओ। विश्वनाथ के कहने पर लक्ष्मी-प्यारे ने दूसरा गाना बनाया मगर विश्वनाथ ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बनाए गए गाने भी जब एक के बाद एक रिजेक्ट कर दिए गए तो लक्ष्मी-प्यारे और आनंद बख्शी परेशान हो गए। बख्शी का मानना था कि 'डफली वाले....' ही बेहतर गाना है, इसमें लोकप्रिय होने के गुण हैं। उधर विश्वनाथ ने फिल्म के दूसरे गानों का फिल्मांकन भी शुरू कर दिया। आनंद बख्शी के लिखे सबसे लंबे गाने 'पर्वत के उस पार...' ऊटी में फिल्माया गया, तो 'कोयल बोली...' राजमुंदरी में गोदावरी के किनारे। इस दौरान लक्ष्मी-प्यारे और आनंद बख्शी ने तय किया कि एक बार फिर से 'डफली वाले डफली बजा...' गाना विश्वनाथ को सुना दिया जाए, शायद पसंद आ जाए। दोनों को लग रहा था कि काफी समय बीत गया है, इसलिए हो सकता है कि विश्वनाथ के दिमाग से यह गाना निकल गया होगा। लिहाजा उन्होंने वापस 'डफली वाले...' विश्वनाथ को सुनाया तो विश्वनाथ तुरंत ताड़ गए। कहा, 'आप फिर से मुझे वही गाना सुना रहे हैं। जबकि मैंने आपको इसकी जगह पर दूसरा गाना बनाने के लिए कहा था।' चूंकि फिल्म के सारे गाने लिखे जा चुके थे। उनकी धुनें बनाई जा चुकी थी और वे फिल्माए भी जा चुके थे। सिर्फ एक गाने के कारण जब फिल्म के निर्माण में देरी होती नजर आई तो विश्वनाथ ने मजबूरी में 'डफली वाले...' का ही फिल्मांकन करना तय किया। कश्मीर में आउटडोर शेड्यूल लगा कर मुगल गार्डन में इस गाने का फिल्मांकन भी कर लिया गया।

आठ जनवरी, 1979 को 'सरगम' रिलीज हुई और इसके गानों ने धूम मचा दी। 'डफली वाले डफली बजा....' ने बिनाका गीतमाला में पहले पायदान से प्रवेश किया, तो विश्वनाथ लोगों की पसंद से हैरान थे जबकि लक्ष्मी-प्यारे और आनंद बख्शी मुस्करा रहे थे। गाना लगातार 25 हफ्तों तक नंबर एक पर ही बना रहा। फिल्म फेयर पुरस्कारों की पांच श्रेणियों में 'सरगम' नामांकित हुई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा अभिनेता और अभिनेत्री के लिए ऋषि कपूर-जयाप्रदा नामांकित हुए। लक्ष्मी-प्यारे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और जिसे विश्वनाथ ने खारिज कर दिया था उस 'डफली वाले डफली बजा...' गाने के लिए आनंद बख्शी सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में नामांकित हुए। हालांकि इनमें से सिर्फ लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल को सवश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

खबर कोना

आलिया 'सड़क दो' में गाएंगी रोमांटिक गाना

स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अपने करिअर की शुरुआत करने वाली आलिया भट्ट की गिनती बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में होती है। आलिया केवल पर्दे पर अदाकारी ही नहीं करती बल्कि उन्होंने अपना हुनर गायिकी में भी दिखाया है। वहीं खबर है कि आलिया अपनी आने वाली फिल्म 'सड़क 2' के लिए एक गीत रिकॉर्ड कराया है। इस सप्ताह की शुरुआत में संगीतकार जीत गांगुली के साथ उन्होंने यह गाना रेकॉर्ड किया। फिल्म निर्माताओं ने एक बयान में कहा, 'जीत गांगुली ने संगीत तैयार कर लिया है और गाने के बोल पर काम अभी चल रहा है। जीत दा आलिया की आवाज की लय को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गाने का हिस्सा रिकॉर्ड करने का फैसला किया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब आलिया फिल्म में गाना गाएंगी, इससे पहले वे फिल्म 'हाइवे', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और 'उड़ता पंजाब' में अभिनय के साथ-साथ गाना भी गा चुकी हैं।

'कुरुक्षेत्र' में अर्जुन की भूमिका निभाएंगे सोनू सूद

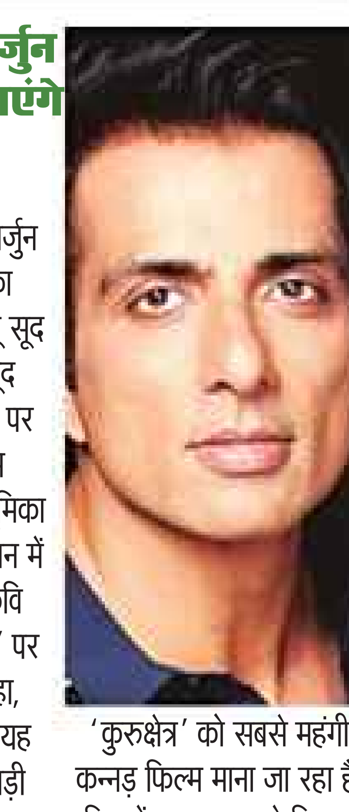

कुरुक्षेत्र' में अर्जुन की भूमिका निभाएंगे सोनू सूद फिल्म अभिनेता सोनू सूद महाभारत के एक अध्याय पर आधारित कन्नड़ फिल्म 'कुरुक्षेत्र' में अर्जुन की भूमिका निभाएंगे। नागन्ना के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म कवि रन्ना की कविता 'गदायुद्ध' पर आधारित है। सोनू ने कहा, 'कुरुक्षेत्र बहुत खास है। यह मेरे द्वारा की गई सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। मैं फिल्म में अर्जुन का किरदार निभा रहा हूं जिसे अन्य भाषाओं में भी डब किया जाएगा। मुझे यकीन है कि जब लोग फिल्म देखेंगे, तो उसकी भव्यता और निर्देशक ने जिस तरह से उसे शूट किया है, उससे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।' 'कुरुक्षेत्र' को सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म माना जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से विशाल युद्ध को पूरी भव्यता के साथ चित्रित किया गया है। निर्देशक ने इसे थ्रीडी में शूट किया है। फिल्म के कलाकारों में दर्शन और दिवंगत अभिनेता अंबरीश जैसे शीर्ष कन्नड़ अभिनेता शामिल हैं।

प्रियंका ही हैं 'देसी गर्ल' : परिणीति चोपड़ा

बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा का कहना है कि वे बॉलीवुड में कभी 'देसी गर्ल' का तमगा हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगी क्योंकि उस पर सिर्फ उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा का हक है। परिणीति की आने वाली फिल्म 'जबरिया जोड़ी' के एक गीत लॉन्च के दौरान उनके देसी अवतार की काफी तारीफ की गई। बस तभी से उन्हें बॉलीवुड की दूसरी 'देसी गर्ल' कहा जा रहा था। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि ' मुझे लगता है कि विश्व में, फिल्म जगत में केवल एक ही देसी गर्ल हो सकती है। मैं उनसे (प्रियंका चोपड़ा) मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं करूंगी।' बता दें कि फिल्म 'दोस्ताना' के गीत 'देसी गर्ल' में प्रियंका ने अपना जलवा बिखेरा था, जिसके बाद से ही उन्हें बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' कहा जाता है।

जस्सी गिल की फिल्म 'पंगा' की शूटिंग पूरी

जस्सी गिल की फिल्म 'पंगा' की शूटिंग पूरी पंजाबी अभिनेता एवं गायक जस्सी गिल ने फिल्म 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' से अपने बॉलीवुड करिअर की शुरुआत की थी। सुनने में आ रहा है कि जस्सी ने अपनी आने वाली बॉलीवुड फिल्म 'पंगा' की शूटिंग पूरी कर ली है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर जस्सी ने फिल्म की जानकारी साझा करते हुए कहा, ' आज शूटिंग का आखिरी दिन है, जब अश्विनी मैम ने मुझे झेला है। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके साथ काम करने में काफी मजा आया और मैं आप सबको बहुत याद करूंगा।' निर्देशक अश्विनी ने भी सोशल मीडिया पर गिल के साथ एक तस्वीर साझा कर उनके फिल्म की शूटिंग पूरी करने की जानकारी देते हुए उनकी सराहना की।

संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री ने कहा

जाधव को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

भारत ने पाकिस्तान से उसकी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा की समीक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, गुरुवार को पड़ोसी देश से अपने पूर्व नौसेना कमांडर को रिहा करने का अनुरोध किया। साथ ही भारत ने जाधव को यथाशीघ्र स्वदेश लाने के लिए कोशिश जारी रखने का संकल्प जताया। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ओर से दिए गए एक बयान में जाधव मामले में फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान ने काउंसलर संबंधों पर वियना संधि के तहत प्रासंगिक दायित्वों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बारे में विलंब से बताया जिससे हम उन्हें परामर्शदाता सहायता मुहैया नहीं करा पाए।

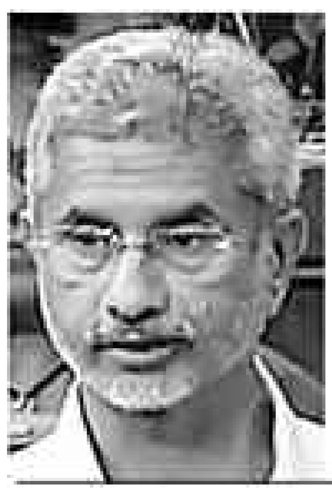

जाधव निर्दोष हैं और कानूनी प्रतिनिधित्व तथा नियत प्रक्रिया के बिना जबरन करवाए गए उनके कबूलनामे से वास्तविकता नहीं बदलेगी। सरकार जाधव की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें यथाशीघ्र भारत वापस लाने के लिए कोशिश जारी रखेगी।

रेखांकन : शुभाजित डे

जयशंकर ने कहा कि जाधव को मनगढ़ंत आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें काउंसलर सुविधा भी मुहैया नहीं कराई गई जबकि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं में इसकी व्यवस्था है।

विदेश मंत्री ने कहा कि यह भी पाया गया कि पाकिस्तान ने भारत को जाधव से बातचीत करने, उनसे जेल में मिलने और उनके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित रखा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला न केवल भारत और जाधव के लिए प्रामाणिकता का सबूत है बल्कि उन सभी के लिए भी है जो कानून व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संधियों की पवित्रता में विश्वास रखते हैं। जयशंकर ने कहा कि जाधव निर्दोष हैं और कानूनी प्रतिनिधित्व तथा नियत प्रक्रिया के बिना जबरन करवाए गए उनके कबूलनामे से वास्तविकता नहीं बदलेगी। हम एक बार फिर पाकिस्तान से जाधव को रिहा करने और भारत वापस भेजने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जाधव की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें यथाशीघ्र भारत वापस लाने के लिए कोशिश जारी रखेगी। सदन में मौजूद सभी दलों के सदस्यों ने मेजें थपथपा कर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि हमने तब भी यह स्पष्ट किया था कि भारत इस बात को गंभीरता से लेगा कि पाकिस्तान में किसी निर्दोष भारतीय नागरिक को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना और कानून एवं न्याय के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए मौत की सजा दी जा सकती है। जाधव की सुरक्षा और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ताकि उन्हें उचित राहत मिल सके। इस न्यायालय ने उनकी मौत की सजा पर रोक लगा दी थी लेकिन स्थायी राहत के लिए फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से गुहार लगाई गई।

जयशंकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सर्वसम्मति से पाया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और 15-1 के मतदान से, प्रमुख पहलुओं पर फैसला सुनाया। इस फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करने वाला एकमात्र न्यायाधीश पाकिस्तानी था। राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह यह देख कर प्रसन्न हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लेकर पूरा सदन एकजुट है। नायडू ने जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पक्ष रखने के लिए न्यायविद हरीश साल्वे की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने निःशुल्क सेवाएं दीं।

लीक हुए थे बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े : सरकार

पेज 1 का बाकी

कहा, 'हम यह नहीं कह सकते हैं कि डाटा किसने लीक किया था। लेकिन किसी ने लीक जरूर किया है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके पीछे शायद किसी का कोई एजंडा हो, यह हम कह नहीं सकते हैं। हम यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने डाटा लीक किया था।' उन्होंने सर्वेक्षण में बेरोजगारी की दर अपने अधिकतम स्तर 6.1 फीसद पर पहुंचने की वजह से जुड़े पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से उपलब्ध पहले अनुमान के आधार पर सामान्य स्थिति में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसद रही है।

सिंह ने स्पष्ट किया कि पहले पांच साल के अंतराल पर यह सर्वेक्षण किया जाता था, लेकिन अब यह सर्वेक्षण नए तरीके से प्रतिवर्ष करने की शुरुआत की गई है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की तिमाही के आधार पर किए जाने वाले इस सर्वेक्षण में नया तरीका अपनाए जाने के कारण बेरोजगारी की दर 2011-12 में किए गए पिछले सर्वेक्षण में दर्शाई गई 2.2 फीसद से अधिक आई है।

आइसीजे का फैसला पाकिस्तान के लिए बाध्यकारी : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) का फैसला भारत के रुख की पूरी तरह पुष्टि करता है और इस फैसले को लागू करना पाकिस्तान के लिए बाध्यकारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को फैसले को बिना किसी देरी के लागू करना होगा। यह फैसला अंतिम है, बाध्यकारी है और इसके खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती।

भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए आइसीजे ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान को जाधव को दिए गए मृत्युदंड पर फिर से विचार करना चाहिए और जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए। पाकिस्तान का दावा है कि आइसीजे में उसकी जीत हुई है। इस दावे पर रवीश कुमार ने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि वे किसी अन्य फैसले को पढ़ रहे हैं। मुख्य फैसला 42 पेज का है और अगर उनके पास सभी 42 पेज को पढ़ने का धैर्य नहीं है तो उन्हें फैसले को लेकर सात पेज की प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहिए। हर बात भारत के पक्ष में है। प्रेस रिलीज की शुरुआत में ही कहा गया है कि फैसला अंतिम है, बाध्यकारी है और इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती।' उन्होंने कहा कि अपने लोगों से झूठ बोलने को लेकर पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं ।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वियेना सम्मेलन के मुताबिक पाकिस्तान को बिना किसी देरी के जाधव को राजनयिक पहुंच देनी होगी। पाकिस्तान को जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में एक मुकदमे के बाद मौत की सजा सुनाई थी। उन पर 'जासूसी और आतंकवाद' का आरोप लगाया गया। सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने मई 2017 में आइसीजे में अपील की थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सजा के अमल पर रोक लगा दी थी।

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की पाकिस्तान में गिरफ्तारी पर कुमार ने कहा कि यह नाटक लंबे वक्त से चलता रहा है। उन्होंने कहा, 'हाफिज की गिरफ्तारी, रिहाई का ड्रामा लंबे समय से जारी है। कम से कम आठ बार ऐसा हो चुका है। हाफिज सईद अंतरराष्ट्रीय आतंकी है, उस पर 100 करोड़ डॉलर का इनाम है, वह मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान पर एफएटीएफ का दबाव है, उसे आतंक के खिलाफ ईमानदार कार्रवाई करनी होगी।'

शाह होंगे एअर इंडिया के विनिवेश पर पुनर्गठित मंत्री समूह के प्रमुख

पेज 1 का बाकी

बोलियां आमंत्रित की थीं। हालांकि, यह प्रक्रिया विफल रही थी और निवेशकों ने एअर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोलियां नहीं दी थीं। उसके बाद सौदे के लिए नियुक्त सलाहकार ईवाई ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार की थी कि बिक्री की प्रक्रिया क्यों विफल रही।

ईवाई ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जो वजहें बताई थीं उनमें सरकार द्वारा 24 फीसद हिस्सेदारी अपने पास रखना, ऊंचा कर्ज, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विनियम दरों में उतार-चढ़ाव, वृहद वातावरण में बदलाव व लोगों के बोली लगाने पर अंकुश आदि हैं। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) एअर इंडिया की बिक्री के लिए पहले ही नया प्रस्ताव तैयार कर चुका है। इसमें कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के मुद्दों को शामिल किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार एअर इंडिया की सौ फीसद हिस्सेदारी बिक्री की पेशकश कर सकती है। सरकार का इरादा बिक्री की प्रक्रिया दिसंबर, 2019 तक पूरा करने का है। हालांकि कितनी हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी और रुचि पत्र कब मांगे जाएंगे, इस बारे में निर्णय नवगठित एआइएसएएम करेगा।

भारत ने पाकिस्तान को अवगत कराया

भारतीय श्रद्धालुओं को उकसाया जाता है भारत विरोधी एजंडे के लिए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

भारत ने पाकिस्तान को इस बात से अवगत कराया है कि वर्ष में चार बार पाक जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों को नियमित रूप से भारत विरोधी प्रचार और खालिस्तान एजंडे के लिए उकसाया जाता है। पाकिस्तान को सौंपे दस्तावेज (डोजियर) में भारत ने कहा है कि वहां के एक संघीय मंत्री ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन के मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी की तारीफ की और सिख श्रद्धालुओं को अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सरकार सिखों और कश्मीरियों के साथ 'गुलाम' की तरह व्यवहार करती है।

यह डोजियर हाल में करतारपुर गलियारे पर बैठक के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा गया। डोजियर में कहा गया है, 'धार्मिक स्थानों पर जाने वाले 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल' के तहत भारतीय सिख जत्था वर्ष में चार बार पाकिस्तान के गुरूद्वारों की यात्रा करता है। द्विपक्षीय व्यवस्था के उद्देश्यों के विपरीत व यात्रा की भावना के खिलाफ सिख श्रद्धालुओं को लगातार भारत विरोधी प्रचार और खालिस्तान एजंडे के लिए उकसाया जाता है। इसमें कहा गया है, 'दुर्भाग्य से धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है। ये धार्मिक कार्यक्रम पाकिस्तान के विस्थापित ट्रस्ट प्रोपर्टी बोर्ड की ओर से आयोजित किए जाते हैं और धार्मिक प्रवचन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इसका इस्तेमाल खालिस्तान के एजंडे को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।'

भारत सरकार के इस डोजियर में कहा गया है कि 2016 में, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दौरान पाकिस्तान के धार्मिक मामलों और सद्भाव के संघीय मंत्री सरदार मोहम्मद यूसुफ ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब में मुख्य समारोह में अपने संबोधन में बुरहान वानी की तारीफ की और आरोप लगाया कि सिखों और कश्मीरियों के साथ भारत की सरकार 'गुलामों' की तरह पेश आती है। करतारपुर साहिब कोरिडोर पर बाघा में संपन्न हालिया बैठक में यह डोजियर पाकिस्तान को सौंपा गया।

करतारपुर सड़क का निर्माण सितंबर तक

पेज 1 का बाकी

काम पूरा हो चुका है। भारत और पाकिस्तान की तकनीकी टीमें तीन दफा बातचीत कर चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बनी सहमति के आधार पर भारत ने रावी क्रीक इलाके में पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को जल्द से जल्द बूढ़ी रावी क्षेत्र में पुल के निर्माण का काम शुरू करने को कहा गया है। शुरू में पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसी क्षेत्र में सड़क निर्माण प्रस्तावित किया था।

विदेश में आठ हजार से ज्यादा भारतीय कैदी

पेज 1 का बाकी

जानकारी तब तक साझा नहीं करते, जब तक संबंधित व्यक्ति इस तरह की जानकारी के खुलासे की सहमति नहीं देता। यहां तक की जानकारी साझा करने वाले देश भी आम तौर पर बंदी बनाए गए विदेशियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते। ऐसे में जब तक उस व्यक्ति का भारत में रह रहा कोई परिजन जानकारी नहीं देता, या कहीं और से सूचना नहीं मिलती- तब तक विदेश मंत्रालय के हाथ बंधे होते हैं। कई देश आंकड़े तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कैदियों का विस्तृत ब्योरा नहीं देते। जिन कैदियों को सजा सुनाई जा चुकी है, भारतीय दूतावासों के जरिए उनकी सजा काम कराने या उन्हें माफी दिलाने की कोशिशें भी की जा रही हैं।

आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर अभिनेता ऐजाज खान गिरफ्तार

मुंबई, 18 जुलाई (भाषा)।

मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने गुरुवार को अभिनेता ऐजाज खान को कथित तौर पर सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने वाले वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया।

'चंद्रयान 2' का प्रक्षेपण 22 जुलाई को

पेज 1 का बाकी

बजकर 43 मिनट पर होगा।' इसरो ने समर्थन के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसने 'हमें (इसरो) आगे बढ़ने के लिए एक बार फिर प्रेरित किया।' इसरो ने ट्वीट किया, 'अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचना भौतिकी और विश्वास का हिस्सा है। हम पर अपार विश्वास दिखाने के लिए शुक्रिया।' उसने लिखा, 'चंद्रयान-2 अरबों लोगों के सपने चांद पर ले जाने को तैयार है... जो अब पहले से ज्यादा मजबूत है। सोमवार 22 जुलाई 2019 को अपराह्न दो बजकर 43 मिनट पर हमारे साथ जुड़ें।' भारत की अंतरिक्ष एजंसी के वैज्ञानिक उस समस्या की गंभीरता का आकलन कर रहे थे, जिसकी वजह से 976 करोड़ रुपए की लागत वाले महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन को रोकना पड़ा था।

400 करोड़ का मायावती के भाई और भाभी का बेनामी भूखंड जब्त

पेज 1 का बाकी

सुविधाओं को विकसित किए जाने की योजना थी। इसे जब्त करने का आदेश बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24 (3) के तहत जारी किया गया था। अधिनियम की यह धारा अधिकारियों को वैसी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है, जिसके बारे में यह पता चलता है कि संपत्ति का मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति इसे बेनामी रखता है या वह इसे बदल अथवा बेच सकता है। आयकर विभाग के आदेश के अनुसार जब्त की गई संपत्ति को कुमार और उनकी पत्नी की 'बेनामी' संपत्ति माना गया है, जो 28,328.07 वर्ग मीटर अथवा लगभग सात एकड़ में फैली है। इसमें कहा गया है कि जब्त की गई संपत्ति की कीमत चार सौ करोड़ रुपए है।

जांच के निष्कर्षों के अनुसार, कर विभाग ने कम से कम छह फर्मों द्वारा शेयरधारिता के जटिल ताने-बाने का पता लगाया, जिसमें डमी कंपनियां भी शामिल थीं। वे बेनामीदार या ऐसी संस्थाएं थीं, जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है।

इस क्रम में बेनामीदार के रूप में जिन कंपनियों की पहचान की गई है, उनमें विजन टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीपीटीपी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, यूरो एशिया मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, सनी कास्ट एंड फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड, करिश्मा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एड-फिन कैपिटल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

विभाग ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों के जरिए किए गए बहुस्तरीय बेनामी लेन-देन के आनंद कुमार और विचित्र लता एकमात्र लाभार्थी हैं। बेनामी निषेध कानून के तहत परिभाषित संपत्ति के स्वामित्व के लिए कुमार और उनकी पत्नी पर वास्तव में धन के भुगतान का आरोप लगाया गया है। कर जांच के अनुसार, अवैध रूप से पैसा लगाने वाले दिल्ली के हवाला एंट्री ऑपरेटरों की सेवाओं का इस्तेमाल करने के बाद यह संपत्ति खरीदी गई थी।

विभाग ने यह माना है कि इन कंपनियों के धन का स्रोत आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं के तहत काल्पनिक और अस्पष्ट नकदी कर्ज है। देश में 1988 में बने और नवंबर 2016 से लागू बेनामी निरोधक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले को सात साल तक के कठोर कारावास और बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसद जुर्माने के तौर पर भी देना पड़ सकता है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 के तहत मामला चलाया जाता है।

कांग्रेस ने लगाया विधायक को अगवा करने का आरोप

पेज 1 का बाकी

है। पाटील का एक फोटोग्राफ सामने आया है जिसमें वे एक अस्पताल में ईसीजी से जुड़ी जांच कराते दिख रहे हैं। शिवकुमार ने कहा, 'मैं हाथ जोड़ कर अध्यक्ष से अपील करता हूं कि मेरे पार्टी के विधायकों को अगवा किया गया है। मुझे परिजन का कॉल आया था। महोदय मैं चाहता हूं कि आप उन्हें वापस लाएं। हम पुलिस संरक्षण चाहते हैं।' कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में कहा कि विधायक डर के साए में रह रहे हैं। पाटील को अगवा किया गया, एक कमरे में रखा गया,उन्हें विशेष विमान से ले जा कर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अफरा तफरी के इस माहौल में कुमारस्वामी ने कहा, 'पाटील के मामले में आपको बताना चाहिए कि उनकी फोटो वाट्सऐप पर किसने भेजी। उनके साथ कौन विमान में यात्रा कर रहा था। विधायकों की रक्षा करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है क्योंकि मतदान में संख्या का महत्त्व है।' इस पर भाजपा के सीटी रवि ने कहा कि पाटील कांग्रेस सदस्यों की हिरासत में हैं और संख्या कम होने के कारण वह उनकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं।

घटनाक्रम से परेशान अध्यक्ष ने कहा, 'क्या मैं आंख पर पट्टी बांध लूं और कहूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? हम किस ओर जा रहे हैं?'

पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए

सरकार के पास न तो कोई खाका और न ही रूपरेखा : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य नेक है, लेकिन सरकार के पास इसे हासिल करने का न तो कोई खाका है और न ही दिशा है। पार्टी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कम से कम आठ फीसद की विकास दर चाहिए जो फिलहाल नहीं है।

लोकसभा में वित्त (संख्यांक 2) विधेयक-2019 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर मौजूदा समय में भारत तीन हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है तो यह आजादी के बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सरकारों में हुए सतत विकास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के योगदान को स्वीकर किया जाना चाहिए और अतीत को 'कैंसल्ड चेक' के तौर पर नहीं देखना चाहिए।

कांग्रेस नेता चौधरी ने आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन की ओर से वित्त विधेयक के संदर्भ में परिपाटी और संसद के विशेषाधिकार का सम्मान नहीं करने के आरोप का समर्थन किया। चौधरी ने आरोप लगाया कि यह सरकार संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है। इस पर जद (एकी) के राजीव रंजन सिंह और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चौधरी इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तब, चौधरी ने कहा कि वह कल्पना में भी आसन पर सवाल नहीं कर सकते, वह सिर्फ सरकार को चुनौती दे रहे हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि वह देखेंगे और उनकी दी गई व्यवस्था के खिलाफ कोई टिप्पणी होगी तो उसे रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। बाद में चौधरी ने अपनी बात जारी रखते हुए आरोप लगाया कि सरकार उपकर और अधिभार लगाकर पैसे का संग्रह कर रही है, लेकिन इसमें राज्यों को उपेक्षित रख रही है। यह सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है।

उन्होंने 'मेक इन इंडिया' के विफल रहने का दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार में योजनाओं का सिर्फ नामकरण हुआ और उसका जमकर प्रचार हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा। चौधरी ने आजादी से पहले अंग्रेजी शासन व्यवस्था द्वारा भारत के संसाधनों की लूट और आजादी के समय देश की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत के विकास का सफर कहां से शुरू हुआ है।

दाऊद का भतीजा गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

प्रकोष्ठ ने इब्राहीम के गिरोह के सदस्य फहीम मचमच के करीबी अहमद रजा वढारिया को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया, 'पूछताछ के दौरान रिजवान कासकर का नाम सामने आया। सूचना के आधार पर एक जाल बिछाया गया और बुधवार की रात मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उसे हिरासत में ले लिया गया, जब वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था।' अधिकारी ने बताया कि विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। गुजरात के सूरत का निवासी वढारिया दुबई में कथित तौर पर 'हवाला' संचालक का काम करता है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गुप्त जानकारी के आधार पर उसे कुछ दिन पहले मुंबई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब दुबई से निर्वासित होकर वह सूरत जा रहा था। साथ ही बताया कि वह यहां और सूरत में रंगदारी वसूली रैकेट का हिस्सा था।

पंजाब में बड़े फेरबदल के बाद हरप्रीत सिद्धू फिर एसटीएफ प्रमुख

चंडीगढ़, 18 जुलाई (भाषा)।

वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू को नशे के खिलाफ बने विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के प्रमुख के तौर पर गुरुवार को फिर से कार्यभार सौंपा गया। सिद्धू को उनके व तत्कालीन डीजीपी सुरेश अरोड़ा के बीच विवाद की रिपोर्टों के बाद इस पद से हटाए जाने के करीब एक साल बाद फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के विशेष प्रधान सचिव का प्रभार संभाल रहे सिद्धू अब एसटीएफ प्रमुख होंगे। इससे पहले गुरप्रीत कौर देव यह कार्यभार संभाल रही थीं। गुरप्रीत को एडीजीपी (अपराध) के पद पर नियुक्त किया गया है। इस बड़े फेरबदल के तहत पंजाब सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और पंजाब पुलिस सेवा (पीपीएस) के 26 अधिकारियों का स्थानांतरण किया था।

सिंह ने 2017 में सत्ता में आने के बाद राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन किया था। वह उस समय केंद्रीय नियुक्ति पर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में तैनात सिद्धू को एसटीएफ प्रमुख बनाने के लिए विशेष रूप से लाए थे, लेकिन डीजीपी के साथ सिद्धू के विवाद के कारण उन्हें पिछले साल सितंबर में हटा दिया गया था। दिन में पहले गुरप्रीत को मुकदमा शाखा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया और बाद में शाम को उन्हें एसटीएफ प्रमुख के पद से हटाकर एडीजीपी अपराध नियुक्त किया गया। राज्य सरकार ने आठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला किया है। विवेकशील सोनी को एसएसपी फिरोजपुर और कुलदीप सिंह को एसएसपी मोहाली की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि आइपीएस अधिकारियों दीपक हिलोरी, गौरव गर्ग और ध्रुव दहिया को क्रमशः पठानकोट, होशियारपुर और तरनतारन के एसएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है।

दोपहर तक बहुमत साबित करें मुख्यमंत्री : राज्यपाल

पेज 1 का बाकी

विधायक महेश भी सदन में नहीं आए। उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्हें विश्वास मत पर कोई रुख तय करने को लेकर पार्टी प्रमुख मायावती से कोई निर्देश नहीं मिला है। इसलिए वे गैरहाजिर रहे। शक्ति परीक्षण से एक दिन पहले गठबंधन को थोड़ी राहत देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वे कांग्रेस के साथ रहेंगे और विश्वास मत पर मतदान के दौरान सरकार का समर्थन करेंगे। कुमारस्वामी ने जोर दिया कि कांग्रेस-जद(सेकु) गठबंधन के बारे में संशय पैदा किया गया है और इसे देश के सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमें सच बताना होगा। कर्नाटक में जो हो रहा है उसे पूरा देश देश देख रहा है।'

जैसे ही प्रस्ताव लाया गया विपक्षी भाजपा नेता बीएस येद्दियुरप्पा खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि विश्वास मत की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होनी चाहिए। इस पर कुमारस्वामी ने येद्दियुरप्पा पर तंज कसते हुए कहा, 'विपक्ष के नेता काफी जल्दबाजी में दिख रहे हैं।'

विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण रेड्डी ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के सदस्यों की नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। भाजपा नेता येदियुरप्पा ने कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर ठीक तरह से 15 मिनट भी चर्चा नहीं हुई है और सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि विश्वास प्रस्ताव पर विलंब कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूपरेखा का उल्लंघन हुआ है। येदियुरप्पा ने कहा, 'इसका विरोध करने के लिए हम यहीं सोएंगे'। भाजपा ने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि वे विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दें कि वे विश्वास मत के प्रस्ताव पर गुरुवार को ही मतदान करवाएं। भाजपा को आशंका थी कि सत्ताधारी गठबंधन कांग्रेस और जद (सेकु) मामले को लटकाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा, 'मैं, इसलिए, सदन को यह संदेश भेज रहा हूं कि (गुरुवार) दिन खत्म होने तक सदन की प्रक्रिया को पूरा करने पर विचार करें।'

गुप्ता परिवार की शादियों से पर्यावरण नुकसान पर रिपोर्ट मांगी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 18 जुलाई।

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के औली में 18 और 20 जून को हुई गुप्ता बंधुओं के बेटों की 200 करोड़ की शाही शादी के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार, जिलाधिकारी चमोली और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी.) को दस दिन के भीतर शपथ पत्र न्यायालय में पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि शाही शादी के दौरान पर्यावरण को हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाए। साथ ही न्यायालय ने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, नीम फारेस्ट रिसर्च, जीबी. पंत हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विवेकानंद इंस्टिट्यूट अल्मोड़ा व फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

याचिकाकर्ता रक्षित जोशी ने औली में हुई गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा के खंडपीठ ने चमोली के जिलाधिकारी और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शाही शादी से पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के बाद जिलाधिकारी चमोली और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी। इस जांच रिपोर्ट से न्यायालय संतुष्ट नहीं दिखाई दिया। अब न्यायाल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फिर से आदेश दिया है कि वह इस मामले की दोबारा से जांच करें और यह बताए कि औली के पर्यावरण को इस शाही शादी से कितना नुकसान हुआ है। साथ ही अदालत ने कहा कि इस जांच में जो भी खर्च आएगा, उसका बिल चमोली के जिलाधिकारी को दिया जाए।

न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह सवाल पूछे हैं कि विवाह स्थल औली से विवाह के दौरान जमा हुए 320 टन कूड़े का निस्तारण कैसे किया गया, जैविक और अजैविक कूड़े को अलग-अलग किया गया या नहीं व धौली गंगा और उसके आसपास के जलस्रोतों को इस शाही शादी से कितना नुकसान हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने न्यायालय में जो अपना पक्ष रखा उसमें बताया गया कि शाही शादी से पहले और उसके बाद औली में 200 मजदूर कार्यरत थे।

पानी के विवाद में महिला को जिंदा जलाया, हालत गंभीर

बैतूल (मध्य प्रदेश), 18 जुलाई (भाषा)।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर बडोरा में पानी भरने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक महिला को गुरुवार सुबह कथित रूप से उसी के ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। महिला 80 से 85 फीसद जल गई और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

बैतूल बाजार थाना प्रभारी भैयालाल उइके ने बताया कि बडोरा स्थित कृष्णा नगर निवासी द्वारका बाई (40) को आज सुबह केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर किया गया। पीड़ित महिला ने अपने ससुर भादिया साहू, सास, देवरानी साहू, देवर एवं भोला साहू पर उसे जिंदा जलाने का आरोप लगाया है।

DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

KAVITA FABRICS LIMITED

CIN No.: L17110GJ2005PLC046929

Registered Office: 105, Balaji Industrial Society – 1, Udhna Magdalla Road, Surat, Gujarat - 395007 Contact No: 0261-3018759 E-mail Id: info@kavitafabrics.com Website: www.kavitafabrics.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 27,08,864 (TWENTY SEVEN LACS EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED & SIXTY FOUR ONLY) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF KAVITA FABRICS LIMITED ("KFL" / "TARGET COMPANY") BY MR. GANESH NIBE ("ACQUIRER") ALONG WITH MRS. MANJUSHA NIBE ("PERSON ACTING IN CONCERT" / "PAC") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Detailed Public Statement ("DPS") is being issued by Aryaman Financial Services Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirer along with PAC, in compliance with Regulation 13(4) of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the Public Announcement (PA) dated July 12, 2019 as filed with the Stock Exchange, SEBI & Target Company in terms of Regulations 3(1) & 4 and all the other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

(A) DETAILS OF ACQUIRER AND PAC:

ACQUIRER – MR. GANESH NIBE

- Mr. Ganesh Nibe, son of Mr. Ramesh Nibe, aged 38 years residing at Flat No. 402, Violet Dream City, Agar Takli, Nashik, Maharashtra – 422 009. He has completed his Diploma in Electricals from Pravara University and having an experience of 15 years in Electricals and Other Industries. As on date of this DPS, he is not acting as a Whole Time Director in any public limited company and he is not on the Board of any listed company.
- The Net worth of Mr. Ganesh Nibe as on March 31, 2019 is Rs. 17.54 Crores as certified vide certificate dated July 04, 2019 by CA Soumitra Mukherjee (Membership No. 055585) partner of P. P. Mutha & Associates (Firm Registration No. 121529W) Chartered Accountants, having its office at 406, Samrudhi Apartment, Opp. Hotel Vaidhai, Tilakwadi, Sharanpur Road, Nashik, Maharashtra – 422 001.

PAC – MRS. MANJUSHA NIBE

- Mrs. Manjusha Nibe, wife of Mr. Ganesh Nibe, aged 38 years residing at Flat No. 402, Violet Dream City, Agar Takli, Nashik, Maharashtra – 422 009. She has completed Bachelor in Arts from Pune University and having an experience of 10 years in Electricals Industry. As on date of this DPS, she is not acting as a Whole Time Director in any public limited company and she is not on the Board of any listed company.
- The Net worth of Mrs. Manjusha Nibe as on March 31, 2019 is Rs. 5.21 Crores as certified vide certificate dated July 04, 2019 by CA Soumitra Mukherjee (Membership No. 055585) partner of P. P. Mutha & Associates (Firm Registration No. 121529W) Chartered Accountants, having its office at 406, Samrudhi Apartment, Opp. Hotel Vaidhai, Tilakwadi, Sharanpur Road, Nashik, Maharashtra – 422 001.

OTHER DETAILS OF THE ACQUIRER AND PAC:

- The Acquirer and PAC are related to each other as Husband and Wife.
- The Acquirer and PAC do not belong to any Group as such.
- As on the date of this DPS, the Acquirer along with PAC aggregately hold 23,26,477 Equity Shares constituting 22.33% of the Paid-up Capital of the Target Company.
- The entire equity shares proposed to be acquired under this Offer will be acquired by the Acquirer and no other persons / entities propose to participate in the acquisition.
- The Acquirer along with PAC undertakes that they will not sell the Equity Shares of the Target Company during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the Regulations.
- The Acquirer and PAC have not entered into any formal agreement with respect to the acquisition of shares through this open offer.
- The Acquirer and PAC have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under section 11B of SEBI Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or under any other Regulation made under the SEBI.

(B) DETAILS OF SELLERS:

Sr. No.	Name of Sellers	Part of Promoter Group (Yes / No)	Details of shares held by the Sellers: Pre Transaction – Number of Equity Shares	Pre Transaction – % of Equity Share Capital of the Target Company	Post Transaction – Number of Equity Shares	Post Transaction – % of Equity Share Capital of the Target Company
1	M/s Harish Bhagirath Chandak HUF	Yes	1,10,589	1.06%	Nil	Nil
2	Mr. Om Prakash Madanlal Daga	Yes	300	Negligible	Nil	Nil
3	Mr. Harish Bhagirath Chandak	Yes	10,86,711	10.43%	Nil	Nil
4	M/s Shaileshkumar Harishkumar Chandak HUF	Yes	300	Negligible	Nil	Nil
5	Mr. Shailesh Harish Chandak	Yes	2,56,002	2.46%	Nil	Nil
6	Mrs. Sarika Shailesh Chandak	Yes	16,27,802	15.62%	Nil	Nil
	Total	Yes	30,81,704	29.58%	Nil	Nil

- The Sellers i.e. Current Promoters / Promoter Group have entered into the Share Purchase Agreement dated July 12, 2019 with the Acquirer. The Sellers undertake not to tender any shares held by them in the Open Offer.
- The Sellers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

(C) DETAILS OF TARGET COMPANY – KAVITA FABRICS LIMITED ("KFL")

- The Target Company was incorporated as Kavita Fabrics Private Limited under the provisions of the Companies Act, 1956 on October 18, 2005 in Surat, Gujarat. Eventually, company got converted from private limited company to a public limited company vide fresh Certificate of Incorporation dated September 26, 2012. The present registered office of the Target Company is situated at 105, Balaji Industrial Society - 1, Udhna Magdalla Road, Surat – 395007, Gujarat, India. Tel: +91 – 261 – 3018 759; Email: info@kavitafabrics.com; Website: www.kavitafabrics.com CIN No.: L17110GJ2005PLC046929.
- The authorized share capital of the Company is Rs. 10,50,00,000/- (Rupees Ten Crores Fifty Lacs Only) divided into 1,05,00,000 (One Crore Five Lacs Only) equity Shares of Rs. 10/- each. As on date, the issued, subscribed and paid-up capital of the Target Company is Rs. 10,41,87,060/- (Rupees Ten Crores Forty One Lacs Eighty Seven Thousand & Sixty Only) divided into 1,04,18,706 (One Crore Four Lacs Eighteen Thousand Seven Hundred & Six Only) equity Shares of Rs. 10/- each. The entire issued, subscribed, paid up and voting equity capital of the Target Company is listed at BSE Limited ("BSE").
- Based on the information available on BSE, the equity shares of the Target Company are frequently traded on BSE (within the meaning of definition of "frequently traded shares" under Regulation 2(1)(j) of the Regulations).
- As on the date of this DPS, there are no partly paid up shares and no outstanding instruments in the nature of warrants/fully convertible debentures/partly convertible debentures etc. which are convertible into equity at any later date in the Target Company.
- The present Board of Directors of Target Company comprises of Mr. Shailesh Harish Chandak, Mr. Harish Bhagirath Chandak, Mrs. Sarika Shailesh Chandak, Mr. Govindlal Meghraj Saboo, Mr. Nitin Maheshwari and Mr. Kishan Kumar Sarda.
- The key financial information of the Target Company based on the audited financial statements for the financial year ended March 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

(Rs. in Lacs except EPS)

Particulars	31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-17
Total Revenue	230.23	495.45	335.74
Profit After Tax (PAT) including Other Comprehensive Income	(7.51)	7.80	5.03
Earnings Per Share (Rs.)	(0.07)	0.07	0.05
Networth / Shareholders Fund	1070.65	1078.17	1070.37

(D) DETAILS OF THE OFFER

- The Acquirer along with PAC hereby makes this Offer to the existing shareholders (other than the parties to the SPA) to acquire up to 27,08,864 (Twenty Seven Lacs Eight Thousand Eight Hundred & Sixty Four Only) equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten Only) constituting 26.00% of the equity share capital of the Target Company on the 10th (Tenth) working day from the closure of the Tendering Period (**"Offer Size"**).
- This Open Offer is being made at a price of Rs. 6.00/- (Rupees Six Only) (**"Offer Price"**) per fully diluted Equity Share of the Target Company aggregating to Rs. 1,62,53,184/- (Rupees One Crore Sixty Two Lacs Fifty Three Thousand One Hundred & Eighty Four Only) (**"Offer Consideration"**), payable in Cash.
- The Buying Broker will transfer the funds pertaining to the Offer to the Clearing Corporation's bank account as per the prescribed schedule. The funds received from Buyer Broker by the Clearing Corporation will be released to the Shareholder(s) / Selling Broker(s) as per secondary market pay out mechanism.
- This Open Offer is made under SEBI (SAST) Regulations, 2011 to all the shareholders of the Target Company, in terms of the Regulation 7(6) of the Regulations, other than the Acquirer, person acting in concert with Acquirer and the Sellers of the Target Company.
- As on the date of this DPS, no approval will be required from any bank / financial institutions for the purpose of this Offer, to the best of the knowledge of the Acquirer and PAC.
- As on the date of this DPS, there are no other statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Open Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable, the Open Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals also. The Acquirer along with PAC will not proceed with the Open Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within 2 (Two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE and the registered office of the Target Company.
- The Open Offer is not a conditional Offer and not subject to any minimum level of acceptance. The Acquirer along with PAC will acquire all the equity shares of the Target Company that are validly tendered as per terms of the Offer upto 27,08,864 (Twenty Seven Lacs Eight Thousand Eight Hundred & Sixty Four Only) Equity Shares constituting 26.00% of the equity share capital of the Target Company.
- The Acquirer along with PAC have not acquired any Equity Shares during the last 52 (Fifty Two) weeks immediately preceding the date of the Public Announcement.
- The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer along with PAC as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.
- This is not a competitive bid. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of shares of the Target Company.
- The Manager to the Offer, Aryaman Financial Services Limited does not hold any equity shares in the Target Company as on the date of the Public Announcement and this Detailed Public Statement. The Manager to the Offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the equity shares of the Target Company during the offer period.

(E) The Acquirer and PAC do not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two years except in the ordinary course of business of the Target Company. Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, for two years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through special resolution passed by way of postal ballot in terms of Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

(F) The equity shares of the Target Company are listed on the BSE. As per Regulation 38 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 ("SCRR"), the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding (i.e. shares of the Target Company held by the public as determined in accordance with the SCRR), on a continuous basis for listing. Pursuant to the Existing holding, SPA and Open Offer (assuming full acceptance) the Acquirer along with PAC will acquire maximum 81,17,045 Equity Shares constituting 77.91% of the Equity Share Capital of the Target Company. Thus, the public shareholding in the Target Company will fall below 25% consequent to this Open Offer. Hence, the Acquirer along PAC undertakes that they will take necessary steps to facilitate compliances of the Target Company with the relevant provisions of the Securities Contract (Regulations) Rules, 1957 as amended, provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Regulations 7(4) and 7(5) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and will reduce the non-public shareholding within the time mentioned therein.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

(A) On July 12, 2019 the Acquirer entered a Share Purchase Agreement with the Sellers ("SPA"), to which the Acquirer has agreed to acquire 30,81,704 equity shares ("Sale Shares") constituting 29.58% of the equity share capital of the Target Company. The Acquirer has agreed to purchase the Sale Shares at a negotiated price of Rs. 5.00/- (Rupees Five Only) per equity share aggregating to Rs. 1,54,08,520/- (Rupees One Crore Fifty Four Lacs Eight Thousand Five Hundred & Twenty Only), payable in cash.

(B) At present, the Acquirer and PAC does not have any plans to make major change to the existing line of business of the Target Company except in the ordinary course of business. The Acquirer and PAC would support the existing business of the Target Company.

(C) The Acquirer along with PAC holds 23,26,477 Equity Shares of the Target Company aggregately as on date. Through the SPA, the Acquirer proposes to take substantial acquisition of shares & management control of the Target Company. Proposed Shareholding after the acquisition of shares under the underlying transaction shall be 54,08,181 Equity Shares comprising of 51.91% of Equity Share Capital of the Target Company. Post Open Offer, assuming full acceptance in the Offer, the shareholding of the Acquirer along with PAC will be 81,17,045 Equity Shares constituting 77.91% of the Equity Share Capital of the Target Company. Hence this Open Offer is being made by the Acquirer along with PAC in compliance with Regulations 3(1) & 4 and other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011 as amended.

(D) The consideration for the shares accepted under the Open Offer payable to the respective shareholders shall be paid in cash.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed shareholding of the Acquirer along with PAC in Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Details	Acquirer – No. of Shares	Acquirer – In %	PAC – No. of Shares	PAC – In %
Shareholding as on the PA date	18,16,477	17.43%	5,10,000	4.90%
Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	Nil	Nil	Nil
After acquisition of Sale Shares pursuant to SPA	48,98,181	47.01%	5,10,000	4.90%
Post Offer Shareholding (assuming full acceptance, as on 10th working day after closing of tendering period)	81,17,045 (77.91%)*			

* *The Acquirer and PAC have not entered into any formal agreement with respect to the acquisition of shares through this open offer.*

IV. OFFER PRICE

(A) The equity shares of the Target Company are listed on BSE, having a Scrip ID of "KFL" & Scrip Code of 535136 and is currently underlying in Group "XT" on BSE.

(B) The annualized trading turnover in the equity shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the 12 (twelve) calendar months prior to the month of Public Announcement (July 01, 2018 to June 30, 2019) is as given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of Equity Shares traded during the 12 (Twelve) calendar months prior to the month of PA	Total Number of Listed Shares	Annualized Trading Turnover (in terms of % to Total Listed Shares)
BSE	13,80,985	1,04,18,706	13.25%

(Source: www.bseindia.com)

(C) Based on the information available on the website of BSE, the equity shares of the Target Company are frequently traded on the BSE (within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations. Hence, the Offer Price of Rs. 6.00/- (Rupees Six Only) per fully paid up Equity Share has been justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, being higher than the followings:

(a)	Highest Negotiated Price per equity share for any acquisition under the Share Purchase Agreement ("SPA")	Rs. 5.00/-
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition during the 52 (Fifty Two) weeks immediately preceding the date of PA	Nil
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition during 26 (Twenty Six) weeks period immediately preceding the date of PA	Nil
(d)	In case of frequently traded shares, the volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on BSE	Rs. 5.86/-

In view of the parameters considered and presented in table above, in the opinion of the Acquirer along with PAC and Manager to the Offer, the Offer Price of Rs. 6.00/- (Rupees Six Only) per fully paid up Equity Share is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(D) There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.

(E) As on date, there is no revision in open offer price or open offer size. In case of any revision in the open offer price or open offer size, the Acquirer along with PAC shall (i) make corresponding increases to the escrow amounts; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, Stock Exchanges and the Target Company at its registered office of such revision. The revised Offer Price would be paid to all the Public Shareholders who's Equity Shares are accepted under the Open Offer.

(F) If there is any revision in the offer price on account of future purchases / competing offers, it will be done on or before September 04, 2019 and would be notified to the shareholders.

(G) If the Acquirer along with PAC acquires Equity Shares during the period of twenty six weeks after the closure of tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer along with PAC shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in this Open Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 or open market purchases made in the ordinary course on the Stock Exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

(A) The total funding requirement for the Offer (assuming full acceptances) i.e. for the acquisition of 27,08,864 Equity Shares of Rs. 10/- each from the public shareholders of the Target Company at Offer Price of Rs.6.00/- (Rupees Six Only) per Equity Share is Rs. 1,62,53,184/- (Rupees One Crore Sixty Two Lacs Fifty Three Thousand One Hundred & Eighty Four Only) (the "Offer Consideration").

(B) The Acquirer and PAC have adequate resources and have made firm financial arrangements for financing the acquisition of the Equity Shares under the Offer, in terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations. The acquisition will be financed through internal resources and no funds are borrowed from banks or financial institution for the purpose of this Open Offer. CA Soumitra Mukherjee (Membership No. 055585) partner of P. P. Mutha & Associates (Firm Registration No. 121529W) Chartered Accountants, having its office at 406, Samrudhi Apartment, Opp. Hotel Vaidhai, Tilakwadi, Sharanpur Road, Nashik – 422001 vide certificate dated July 12, 2019 have confirmed that sufficient resources are available with the Acquirer and PAC for fulfilling the obligations under this Open Offer in full.

(C) In terms of Reg. 17(1) of the Regulations, the Acquirer have to create an escrow for an amount equal to 25% of the "Offer Consideration" i.e. for Rs. 40,63,296/- (Rupees Forty Lacs Sixty Three Thousand Two Hundred & Ninety Six Only).

(D) In terms of Reg. 17(3) of the Regulations, the Acquirer, the Manager to the Offer and IndusInd Bank Limited, a banking company incorporated under the laws of India and having one of its branch offices at Premises No. 59 & 61, Sonawala Building, 57, Mumbai Samachar Marg, Opp. Bombay Stock Exchange, Fort, Mumbai - 400001 have entered into an Escrow Agreement for the purpose of the Offer ("Escrow Agreement"). Pursuant to the Escrow Agreement, the Acquirer has deposited Rs. 41,00,000/- (Rupees Forty One Lacs Only) in cash in the Escrow Account which is in excess of 25% of the Offer Consideration.

(E) The Manager to the Offer has been duly authorised by the Acquirer to realize the value of Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(F) Based on the above and in the light of the Escrow Arrangement, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfill the Acquirer's obligations through verifiable means in relation to the Offer in accordance with the Regulations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

(A) As on the date of this DPS, no approval will be required from any bank / financial institutions for the purpose of this Offer, to the best of the knowledge of the Acquirer.

(B) As on the date of this DPS, there are no other statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Open Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable, the Open Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals also. The Acquirer along with PAC will not proceed with the Open Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within 2 (Two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE and the registered office of the Target Company.

(C) Shareholders of the Target Company who are either non-resident Indians ("NRIs") or overseas corporate bodies ("OCBs") and wish to tender their equity shareholding in this Open Offer shall be required to submit all the applicable approvals of RBI which have been obtained at the time of acquisition of Equity Shares of the Target Company. In the event such RBI approvals are not submitted, the Acquirer reserve the sole right to reject the Equity Shares tendered by such shareholders in the Open Offer. This Open Offer is subject to receipt of the requisite RBI approvals, if any, for acquisition of Equity Shares by the Acquirer from NRIs and OCBs.

(D) In case of delay in receipt of any statutory approvals as disclosed above or which may be required by the Acquirer and PAC at a later date, as per Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, SEBI may, if satisfied, that non-receipt of approvals was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approvals, grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer subject to the Acquirer along with PAC agreeing to pay interest to the Public Shareholders for the delay. Provided where the statutory approvals extend to some but not all holders of the Equity Shares, the Acquirer and PAC has the option to make payment to such holders of the Equity Shares in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Open Offer.

(E) There are no conditions stipulated in the SPA between the Acquirer and the Sellers, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirer and in view of which the Offer might be withdrawn under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER

Major Activities	Schedule
Public Announcement	Friday, July 12, 2019
Publication of Detail Public Statement	Friday, July 19, 2019
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, July 26, 2019
Last Date for a Competitive Bid	Friday, August 09, 2019
Receipt of Comments from SEBI on Draft Letter of Offer	Tuesday, August 20, 2019
Identified Date	Thursday, August 22, 2019
Date by which Letter of Offer be posted to the Shareholder	Thursday, August 29, 2019
Comments on the Offer by a Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company	Tuesday, September 03, 2019
Last Day of Revision of Offer Price / Share	Wednesday, September 04, 2019
Issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers	Thursday, September 05, 2019
Date of Opening of the Offer	Friday, September 06, 2019
Date of Closing of the Offer	Friday, September 20, 2019
Date of communicating the rejection / acceptance and payment of consideration for the acquired share	Monday, October 07, 2019

** Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owner (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer, persons deemed to be acting in concert with Acquirer and the Sellers of the Target Company) are eligible to participate in the offer anytime before the closure of the Offer.*

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES

(A) All the shareholders of the Target Company who hold the shares in dematerialized form (except the Acquirer, PAC and the parties to SPA) are eligible to participate in this Offer at any time during the tendering period of this Offer.

(B) Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.

(C) The Open Offer will be implemented by the Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited (BSE) in the form of separate window (Acquisition Window) as provided under the SEBI SAST Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 Dated April 13, 2015 read with SEBI Circular number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9th December, 2016 as may be amended from time to time, issued by SEBI.

(D) BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.

(E) The Acquirer along with PAC have appointed Buying Broker for the Open Offer through whom the purchases and the settlement of the Open Offer shall be made during the tendering period. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: Dilip C. Bagri
Address: 404, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai, Maharashtra – 400 001.
Contact Person: Ankur Bagri
Tel.: 022 – 2272 2792; **E-mail ID:** dcbagri@gmail.com

(F) The facility for acquisition of shares through Stock Exchange mechanism pursuant to Offer shall be available to the Stock Exchange in the form of a separate window (Acquisition Window).

(G) All the shareholders who desire to tender their shares under the open Offer would have to intimate their respective stock broker (Selling Broker) during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.

(H) Separate Acquisition window will be provided by the Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The selling members can enter orders for dematerialized Equity Shares.

(I) It must be noted that detailed procedure for tendering the Equity Shares in the Offer will be mentioned in the Letter of Offer.

IX. OTHER INFORMATION

(A) The Acquirer along with PAC jointly and severally accept the responsibility for the information contained in the Public Announcement and in this Detailed Public Statement and also for the obligations of the Acquirer and PAC laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof.

(B) Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer along with PAC have appointed Aryaman Financial Services Limited, Mumbai as Manager to the Offer and the Manager to the Offer issues this Detailed Public Statement on behalf of the Acquirer along with PAC.

(C) The Acquirer along with PAC have appointed Bigshare Services Private Limited as the Registrar to the Offer having its office at 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400 059; Contact Person: Ashok Shetty; Phone: +91-22-62638200; Fax: +91-22-62638299; E-mail ID: openoffer@bigshareonline.com; SEBI Reg. No.: INR000001385

(D) In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed are due to rounding off and/or regrouping.

(E) This Detailed Public Statement would also be available at SEBI's website i.e. www.sebi.gov.in

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC

ARYAMAN
FINANCIAL SERVICES LTD

ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
(CIN No.: L74899DL1994PLC059009)
60, Khatau Building, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P.J. Towers (BSE Building), Fort, Mumbai – 400 001.
Tel: 022 – 6216 6999; Fax: 022 – 2263 0434 **Website:** www.afsl.co.in **Email:** info@afsl.co.in
Contact Person: Mr. Deepak Biyani

Place: Mumbai
Date: July 19, 2019

sunjeet comm

कृषि पर बनी समिति अनुदान राशि का आबंटन सुधारों के साथ जोड़ने के पक्ष में

नई दिल्ली,18 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को दिए जाने वाले कोष और अनुदान को कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों के साथ जोड़ना चाहिए। कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव को लेकर गठित मुख्यमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। फड़णवीस उच्च अधिकार प्राप्त समिति के संयोजक हैं।

बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि और वाणिज्य मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए क्योंकि एक उत्पादन से जुड़ा है जबकि दूसरा विपणन से। उन्होंने कहा- केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला अनुदान और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कोष का आबंटन राज्यों में कृषि क्षेत्र में होने वाले सुधारों से जोड़ा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राज्यों में एक साथ सुधार हों।

फड़णवीस ने आगे कहा कि जब तक सभी राज्य एक साथ नहीं आते हैं, देश में कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव नहीं आएगा। अन्य बातों के अलावा समिति के कुछ सदस्यों ने खाद्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 की उपयोगिता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ईसीए, 1955 को समाप्त करने के पक्ष में थे। फड़णवीस ने कहा कि हालांकि, कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज वितरण 2019-20 में 13 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है, कृषि निवेश ऋण अब भी कम है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समिति के लिये नियम व शर्तों में यह भी सुनिश्चित करना शामिल हैं कि राज्यों में और किसानों को संस्थागत कर्ज मिले। उन्होंने कहा- सबसिडी के अधिकतम लाभ के लिए उसे लक्षित समूह तक पहुंचाना भी समिति के नियम एवं शर्तों में शामिल हैं। समिति ने राज्यों में ठेका खेती को बढ़ावा देने की भी वकालत की। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उपायों पर भी चर्चा की।

फड़णवीस ने कहा- कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और ठेका खेती को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समिति ने नियम व शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और राज्यों से इस बारे में सात अगस्त तक प्रतिक्रया मांगी गई है। समिति की अगली बैठक 16 अगस्त को होगी।

बैठक में हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नीति आयोग सदस्य रमेश चंद और आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखित में अपने विचार भेजे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किसानों की आय दोगुनी करने पर बल दिया और इसे हासिल करने के लिये बाजार प्रणाली में बदलाव का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय के आकलन का मानदंड उसके लाभ पर आधारित होना चाहिए और बाजार की भूमिका में बदलाव के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाना आसान होगा।

कमजोर तिमाही नतीजों से सूचकांक 318 अंक लुढ़का

मुंबई,18 जुलाई (भाषा)।

सूचकांक में तीन दिन से जारी तेजी गुरुवार को थम गई। सूचकांक 318 अंक गिरकर 39,000 अंक के नीचे रहा। येस बैंक, माइंडट्री समेत कुछ अन्य कंपनियों के तिमाही नतीजों में सुस्ती से अर्थव्यवस्था की गति बढ़ने की उम्मीदों को झटका लगा है।

कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजार में नरमी और रुपये में गिरावट से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इस बीच, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का ताजा अनुमान 7.2 फीसद से घटाकर सात फीसद कर दिया है।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 318.18 अंक यानी 0.81 फीसद की गिरावट के साथ 38,897.46 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 90.60 अंक यानी 0.78 फीसद गिरकर 11,596.90 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट येस बैंक में रही। जून तिमाही में बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में 92.44 फीसद गिरावट के बाद इसके शेयर 12.85 फीसद तक टूट गए।

इसके अलावा ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, वेदांता, बजाज ऑटो, टीसीएस, एसबीआइ और एचसीएल टेक के शेयर 4.24 फीसद तक नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर, एचडीएफसी के शेयर में सबसे ज्यादा 2.26 फीसद की बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी 0.31 फीसद तक लाभ में रहे।

सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा- कंपनियों के निराशाजनक तिमाही नतीजों और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की चिंताओं से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दौर रहा। उन्होंने कहा कि कमजोर वैश्विक रुख और तिमाही नतीजों से घरेलू शेयर बाजार करीब-करीब एक फीसद तक नीचे आ गया। पीएसयू, धातु व वाहन क्षेत्र के साथ लगभग सभी क्षेत्रीय सूचकांक नीचे रहे।

शर्मा ने कहा- हालांकि, विदेशी निवेशक भारतीय बांड बाजार में भारी निवेश कर रहे हैं क्योंकि यहां बांड का प्रतिफल विकसित बाजारों की तुलना में अब भी ऊंचे स्तर पर है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइंडट्री का एकीकृत शुद्ध लाभ 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही में 41.4 फीसद घट गया। इसके बाद गुरुवार को कंपनी के शेयर आठ फीसद तक गिर। जबकि विप्रो का मुनाफा 12.5 फीसद बढ़ा लेकिन आय में वृद्धि सुस्त रही।

इस बीच, अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे के नुकसान से 68.95 रुपये प्रति डॉलर पर चल रहा था। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.33 फीसद चढ़कर 63.87 डॉलर प्रति बैरल पर बोला गया।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:-46/2019-20/RDD(RWA)/HAZARIBAGH दिनांक :18.07.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में) अंक में	प्राक्कलित राशि (रुपये में) अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	RDD(RWA)/ HAZARIBAGH/05/ 2019-20	[illegible] (लं०- 17.825 किमी०)	2,84,15,000.00	दो करोड़ चौरासी लाख पन्द्रह हजार रु० मात्र	25 दिसम्बर 2019
2.	RDD(RWA)/ HAZARIBAGH/06/ 2019-20	[illegible] पथ मरम्मति कार्य (लं०- 12.000 किमी०)	1,29,63,400.00	एक करोड़ उनतीस लाख तिरसठ हजार चार सौ रु० मात्र	25 दिसम्बर 2019

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि- 29.07.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय- 08.08.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि- 13.08.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय- 14.08.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा० का० मामले), कार्य प्रमंडल, हजारीबाग के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्यूर्मेन्ट सेल

PR212074 (Rural Work Department)19-20*D

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: L74899DL1974GOI007417
पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-III, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, वेबसाइट: http://www.nationalfertilizers.com
फोन: 011-24361252, फैक्स: 011-24361553

सूचना

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 02 अगस्त, 2019 को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जाएगी। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिणामों की समीक्षा करने के बाद 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन कर उन्हें रिकॉर्ड में लिया जाएगा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 02 अप्रैल, 2019 के परिपत्र सं. एनएसई/सीएमएल/2019/11 और यथा संशोधित सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम 2015 के अनुसरण में, कम्पनी के शेयरों में व्यापार के लिए ट्रेडिंग विंडो दिनांक 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे अर्थात 1 जुलाई, 2019 से 04 अगस्त, 2019 तक नामित व्यक्तियों, नामित कर्मचारियों और उनके करीबी संबंधियों के लिए बंद रहेगी।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nationalfertilizers.com और क्रमशः बीएसई/एनएसई वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

हस्ता./-
(राज कुमार)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 12.07.2019

टिकटॉक और हेलो को सरकार ने भेजे नोटिस

जवाब न देने पर दी प्रतिबंध का सामना करने की चेतावनी

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

वीडियो सोशल मीडिया मंच टिकटॉक और हेलो को सरकार ने नोटिस भेजकर 21 सवालों के जवाब मांगे हैं। साथ ही इनका जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रतिबंध का सामना करने की चेतावनी दी है। हालांकि, टिकटॉक ने कहा है कि वह सरकार के साथ सहयोग करने को प्रतिबद्ध है।

- मंत्रालय ने टिकटॉक और हेलो से 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र' बनने के आरोपों पर जवाब मांगा है

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच की ओर से प्रधानमंत्री को भेजी गयी एक शिकायत पर कार्रवाई की है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन मंचों का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। इस संबंध में टिकटॉक और हेलो ने एक संयुक्त बयान में कहा- हम भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा हमें मिले अपार सहयोग के लिए आभारी हैं। भारत सबसे मजबूत बाजारों में से एक है। भारत के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम अगले तीन सालों में भारत में एक अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। भारत में हमारी सफलता हमारे स्थानीय समुदाय के सहयोग के बिना संभव नहीं होगी। हम इस समुदाय की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार के साथ पूरा सहयोग करने के इस अवसर का स्वागत करते हैं।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने टिकटॉक और हेलो से 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र' बनने के आरोपों पर जवाब मांगा है। साथ ही भारतीय उपयोक्ताओं का डाटा मौजूदा समय में और बाद में भी किसी विदेशी सरकार या तीसरे पक्ष या निजी इकाई को हस्तांतरित नहीं करने का आश्वासन देने के लिए कहा है। इसके अलावा मंत्रालय ने दोनों मंचों से भारतीय कानूनों का पालन करने और फर्जी खबर की जांच के लिए पहल शुरू करने पर भी जवाब मांगा है।

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **UCO BANK** (A Govt. of India Undertaking)

परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा, भूतल, यूको बैंक बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना

{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत}

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बैंक ने नीचे वर्णित खाते में सामने दर्शाई गई तिथि को कर्जदार/गारंटरों को मांग सूचनाएं जारी की जिसमें कर्जदार/गारंटरों को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। कर्जदार/गारंटरों के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे खाते के सम्मुख वर्णित तिथि को नीचे दी गई सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। कर्जदार/गारंटरों को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन यूको बैंक के बकाया प्रभार एवं उस पर ब्याज की राशि के भुगतान के अधीन होगा। कब्जे में ली गई सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा के तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	कर्जदार: श्री मनीष सक्सेना पुत्र श्री प्रमोद भारती सक्सेना और श्रीमती श्रद्धा सक्सेना पुत्र श्री मनीष सक्सेना	फ्लैट नं. 1801, 18वां तल, इमराल्ड टावर, प्लॉट नं. जीएच-1, ला रॉयल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी-201010 परिमाप सुपर एरिया 2615 वर्ग फीट अर्थात 242.93 वर्ग मीटर	17.11.2018	12.07.2019	31.12.2016 को रु.1,02,57,382/- के साथ 30.12.2016 से आगे ब्याज सहित उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार आदि।
2.	कर्जदार: श्री चंदन भाटिया पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार भाटिया और श्रीमती पुष्पा भाटिया पत्नी श्री चन्दन भाटिया	फ्लैट नं. 1904 19वां तल, इमराल्ड टावर, प्लॉट नं. जीएच-1, ला रॉयल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी-201010 परिमाप सुपर एरिया 2830 वर्ग फीट अर्थात 262.91 वर्ग मीटर	15.12.2017	12.07.2019	30.09.2016 को रु.83,71,852/- के साथ 01.10.2016 से आगे ब्याज सहित उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार आदि।

स्थान: गाजियाबाद तिथि: 12.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक,

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

और

डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड (यू74899डीएल1995पीएलसी075028) जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है के मामले में

आवेदक/याचिकाकर्ता कम्पनी

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो दिनांक 18 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया था।

यदि किसी व्यक्ति का हित इस कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसके कारण दोनों हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड
ह0/-
गोपाल रामदेव
कंपनी सचिव
एफ-3881

18 जुलाई, 2019
नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

{भारत दिवाला तथा दिवालिया मण्डल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत}

(इनॉक्स एफएमसीजी प्राईवेट लिमिटेड) असाधारण पार्टनर्स, के क्रेडिटरों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट ऋणधारक का नाम	इनॉक्स एफएमसीजी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	13-01-2016
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या, कार्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटि पहचान संख्या	U74999DL2016PTC289587
5.	कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	612-618, नारायन मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
6.	कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	09-07-2019 (आदेश प्राप्ति तिथि : 15-07-2019)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	04-01-2020
8.	इन्सालवेन्सी प्रोफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या के अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत है।	सत्य प्रकाश गुप्ता आईबीबीआई पंजीकृत सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00737/2017-2018/11234
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल का पता एवं ई-मेल	पताः सत्य प्रकाश गुप्ता, एफसीए, आईपी, 808, इरोस अपार्टमेन्ट, 56 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 ईमेल: spgfinance@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	पताः सत्य प्रकाश गुप्ता, एफसीए, आईपी, 808, इरोस अपार्टमेन्ट, 56 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 ईमेल: ip.inoxfmcg@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	28-07-2019 (आईआरपी के द्वारा एनसीएलटी आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि 15.07.2019 से 14 दिन)
12.	क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो धारा 21 की उप-धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडिटर के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचान किये गये इन्साल्वेन्सी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधि प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है।	वेब लिंक: http://ibbi.gov.in/downlodform.html भौतिक पताः लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक (09-07-2019) को (इनोक्स एफएमसीजी प्राइवेट लिमिटेड) के विरूद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

(इनोक्स एफएमसीजी प्राइवेट लिमिटेड) के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 28-07-2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ संबंधित वित्तीय लेनदार, जैसाकि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, संबंधित श्रेणी (श्रेणी विनिर्दिष्ट करें) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए में निदर्शित करेगा।

हस्ता./-
सत्य प्रकाश गुप्ता
अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल, इनॉक्स एफएमसीजी प्राइवेट लिमिटेड
आईबीबीआई पंजीकृत सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00737/2017-2018/11234

दिनांक: 18.07.2019
स्थानः नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः 13-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
1.	**कर्जदार:** (क) मैसर्स श्री राम मार्केटिंग मालिक- राहुल जैन, बी-2/4, मुख्य बजीराबाद रोड, मीत नगर, दिल्ली-110094 (ख) श्री राहुल जैन पुत्र श्री सत्यवीर जैन बी-549, गली नं.18, विजय पार्क, मौजपुर, गढ़ी मेन्डु, उत्तरी दिल्ली-53 **इसके अलावाः** सी-7/105, यमुना विहार, दिल्ली-110094 **गारंटर:** श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री सत्यवीर जैन बी-549, गली नं.18, विजय पार्क, मौजपुर, गढ़ी मेन्डु, उत्तरी दिल्ली-110053	(1) दिल्ली में वर्तमान एवं भावी सहित सभी स्टॉक एवं विविध देनदार। (2) श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री सत्यवीर जैन के नाम पर गांव सबोली, ए-ब्लॉक की आबादी, मीत नगर, इलाका-शाहदरा, दिल्ली-110093 में स्थित साम्यिक बंधक निर्मित सम्पत्ति सं. ए-449, एरिया परिमाप 80 वर्ग गार्ड अर्थात 66.88 वर्ग मीटर, खसरा नं. 1000/526/2 का भाग, साइट के अनुसार भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल शामिल, अंतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण के अधिकार के साथ। जो निम्नानुसार घिरी है: उत्तर: अन्य की सम्पत्ति दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति पूर्व: अन्य की सम्पत्ति पश्चिम: गली 15 फीट चौड़ी	29.06.2019 को एनपीए 03.07.2019 को बकाया रु.96,34,358/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज का दर्शाता है) प्लस भावी ब्याज, विधिक प्रभार एवं वसूली प्रभार आदि।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः दिल्ली
दिनांक: 03.07.2019
प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दरियागंज, नई दिल्ली

Punjab & Sind Bank
(भारत सरकार का उपक्रम)
एचओ आईटी विभाग,
प्लॉट सं. 151, सेक्टर-44, गुरुग्राम
ई-मेल: ho.it@psb.co.in

निविदा सूचना

"सीटीएस स्कैनरों की आपूर्ति, स्थापना, क्रियान्वयन, टेस्टिंग और रखरखाव के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंकर के रूप में प्रस्तावित समूहीकरण" के लिए बंद लिफाफों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विनिर्देशों और अन्य संबंधित विवरणों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com से आरएफपी डाउनलोड करें। उपर्युक्त निविदा से संबंधित कोई अन्य परिवर्तनों को केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रेषित किया जाएगा।

एजीएम-आईटी

FORM NO. INC-26
[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION, NEW DELHI
Company Petition No.......of 2019
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013, SECTION 13
AND
IN THE MATTER OF PARASRAMKA VINIYOGE PVT. LTD.
(CIN-U67120DL1995PTC322681)
HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT R/o 26, Barakambha Road, Room no. 1005, 10th floor Nirmal Tower, New Delhi DL 110001 IN
AND
IN THE MATTER OF PARASRAMKA VINIYOGE PVT. LTD.
.... (Petitioner)

NOTICE

NOTICE is hereby given that a petition under Section 13 of the Companies Act, 2013 will be filed with the REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION, NEW DELHI by the petitioner Company seeking confirmation of the alteration of clause II of the Memorandum of Association of the petitioner Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 18th July, 2019 to enable the petitioner company to change the situation of its Registered office from the "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the officers, REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION, B-2 WING, 2ND FLOOR,PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI - 110003 NEW DELHI within 21 days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its Registered office address mentioned below: 26, Barakambha Road, Room No. 1005, 10th Floor, Nirmal Tower, New Delhi DL 110001 IN

For and on behalf of
PARASRAMKA VINIYOGE PVT. LTD.
sd/-
HARSHVARDHAN JAIN
Additional Director
DIN: 05146124
R/o D-53 KAMLA NAGAR
AGRA 282005 UP IN

एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर सात फीसद किया

नई दिल्ली,18 जुलाई (भाषा)।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का ताजा अनुमान 7.2 फीसद से घटाकर सात फीसद कर दिया है।

एडीबी के गुरुवार को जारी रिपोर्ट में इसकी वजह विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि में नरमी आना बताया गया है जिस वजह से व्यापार योग्य सेवाओं के कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, एडीबी के अनुसार इसके बावजूद भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

व्यापार विकास व संवर्धन परिषद का व्यापार बोर्ड के साथ विलय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,18 जुलाई।

सरकार ने व्यापार विकास व संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) का व्यापार बोर्ड के साथ विलय कर दिया है। इसका मकसद निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को अधिक अनुकूल बनाना है। व्यापार विदेश महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के मुताबिक नया मंच व्यापार बोर्ड के रूप में बना रहेगा और दस संदर्भ शर्तों के साथ काम करेगा।

नया बोर्ड राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर अपना रुख रखने का मंच देगा और राज्यों को राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति की तर्ज पर अपनी निर्यात रणनीतियां विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह मंच सरकार को लघु व दीर्घकालिक योजनाओं के क्रियान्वयन और तैयारियों के लिए नीतिगत उपायों पर सलाह भी देगा। डीजीएफटी ने कहा- परामर्श प्रक्रिया को अधिक अनुकूल बनाने के लिए हमने सीटीडीपी को व्यापार बोर्ड के साथ मिलाने का फैसला किया है। नया मंच व्यापार बोर्ड के रूप में काम करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री और राज्यों के व्यापार मंत्री इसके सदस्य होंगे। आधिकारिक सदस्यों में राजस्व, वाणिज्य, स्वास्थ्य व कृषि विभाग के सचिवों के अलावा नीति आयोग के सीईओ, आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर और सीबीआइसी के चेयरमैन भी शामिल होंगे।

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015
CIN: L74899DL1993PLC056652

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य विषयों के साथ विचार तथा अनुमोदन किये जायेंगे।

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड के लिये
स्थानः नई दिल्ली मनीश कुमार
तिथिः 18.7.2019 कम्पनी सचिव

लोक निर्माण विभाग,
लो.नि.वि. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

Tender Id No. 2019_PWD_176346_1
करार सं. 04/CE(OP)/PWD2019-20

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक अभियंता (सि.), लो.नि.वि. अन्य परियोजना मंडल-2 मंडोली जेल परिसर, दिल्ली-93 (फोन नं. 011-22419925, ई-मेलः eepwddelhiop2@gmail.com) द्वारा निम्न कार्य हेतु के.लो.नि.वि. में पंजीकृत ठेकेदारों (कम्पोजिट कैटेगरी) एवं MES, BSNL, एवं अन्य राज्य सरकारी विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य अनुभवी ठेकेदारों से जिन्होंने निम्नानुसार समान कार्य कर रखा हो के लिये आनलाईन प्रतिशत दर पर द्वि-निविदा प्रणाली में निविदाएं आमंत्रित है।

कार्य का नामः 144 नग अस्थायी कोर्ट कक्षों का मौजूदा करकरडूमा (G+4), साकेत (Stilt+G+3), एवं तीस हजारी (Stilt+G+3) परिसरों में निर्माण कार्य।

1. अनुमानित लागत रु. 151,47,60,801/-
2. धरोहर राशि रु. 1,61,47,608/-
3. कार्य समाप्त करने का समय 09 महीने
4. निविदा जारी करने की अन्तिम तारीख 30.07.2019 को दोपहर 3.00 बजे
5. निविदाएं खोलने की तारीख 30.07.2019 को दोपहर 3.30 बजे

सभी कार्य शर्तों सहित निविदा दस्तावेज दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.govtprocurement.delhi.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

Pre-bid meeting मुख्य अभियन्ता (अन्य परि.) लो.नि.वि. तेरहवां तल, एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली-110002 के कार्यालय में दिनांक 23.07.2019 को 3.00 बजे अपराहन को होगी।

DIP/Shabdarth/0409/19-20

तमिलनाडु में दो सड़क दुर्घटनाओं में 16 लोगों की मौत

चेन्नई, 18 जुलाई (भाषा)। तमिलनाडु में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में झारखंड के आठ ठेका मजदूरों समेत 16 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दोनों दुर्घटनाएं बुधवार रात हुईं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पहली दुर्घटना चेन्नई से लगभग 170 किलमीटर दूर विल्लुपुरम जिले में हुई, जहां पिकअप ट्रक बस से भिड़ गया। इस दौरान ट्रक में सवार करीब दस लोगों की मौत हो गई। इनमें आठ मजदूर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई, जबकि पिकअप ट्रक में सवार पांच अन्य लोग भाग गए।

वहीं, थुथुकड़ी जिले में मध्यरात्रि के एक घंटे बाद हुई एक अन्य सड़क दुर्घटना में एक छोटी यात्री वैन 20 फुट गहरे नाले में गिर गई। इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने कहा कि नाले के निकट सड़क के दोनों ओर बैरियर लगे हुए थे, जिन्हें तोड़ती हुई वैन उसमें जा गिरी।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
मण्डल कार्यालय – जोधपुर, 43 ए & बी, प्रथम तल, 10 ई रोड, सरदारपुरा जोधपुर 342001
दूरभाष : 0291-2623583/84 ई-मेल : CO.JOD@obc.co.in

अधिवक्ताओं को बैंक के पैनल पर सूचीबद्ध करने हेतु विज्ञापन

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने पैनल पर रखने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन करने वाले अधिवक्ता, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की परिभाषा के अंतर्गत संबंधित राज्य विधिक परिषद् में पंजीकृत हों, जिनके पास बैंकिंग नियमों, ऋण वसूली अधिकरण एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण मामले/ राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण/उच्च न्यायालय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सरफेसी अधिनियम, 2002 से संबंधित मामलों, कॉरपोरेट कानून, सेवा संबंधित मामले, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष न्यायिक मामले, सिविल, उपभोक्ता एवं आपराधिक मामले, एन.आई. एक्ट 1881 (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881), मध्यस्थता एवं सुलह के मामले, वसूली के मुकदमे, संपत्ति खोज रिपोर्ट आदि का अपेक्षित अनुभव हो। इच्छुक अधिवक्ता बैंक के मण्डल कार्यालय जोधपुर जिसमें राजस्थान राज्य के जिले जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, नागोर, पाली, सिरोही शामिल हैं। अतः मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली शाखाओं के लिए के कार्यालयों/अपने आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। बैंक के पैनल पर पूर्व में पंजीकृत एवं पैनल में बने रहने हेतु इच्छुक अधिवक्ता नए सिरे से आवेदन करें। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in अवश्य देखें।

मण्डल कार्यालय उदभ्व व क्लासिक जोधपुर

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय– 43, इन्दालय, 15, बाराखम्भा रोड नई दिल्ली– 110001
CIN : L51909DL1933PLC009509
Website-www.sirshadilal.com E-mail: udsm_shamli@sirshadilal.com

सूचना

एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एल. ओ. डी. आर) अधिनियम 2015 के नियम 29 (1)(ए) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालन मंडल की बैठक दिनांक 22 जौलाई 2019 को होनी निश्चित हुई है, जिसमें 30 जून 2019 को समाप्त हुये त्रैमासिक अपरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी के अधिकारी/संचालको एवं उनके रिश्तेदारो के लिये कम्पनी की प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त कम्पनी के वित्तीय परिणामो के प्रकाशित होने के 48 घंटे तक बन्द रहेगी।

कृते सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता/-
अजय कुमार जैन
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.07.2019

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4 था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 337/2018
इंडियन ओवरसीज बैंक — आवेदक
बनाम
मै. बालाजी एप्पैरल्स एवं अन्य — प्रतिवादी

सेवा में,
1. मै. बालाजी एप्पैरल्स, द्वारा उसके प्रॉप. श्री सुमित मोंगा, टीए-96ए, प्रथम तल, गली नं. 1, तुगलकाबाद एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110019
साथ हीं: फ्लैट नं. 203, नीलकंठ अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 21 सी, प्लॉट नं. जीएस-24, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
साथ हीं: डब्ल्यू जेड-114 सी, टोडापुर, नई दिल्ली
2. श्री सुमित मोंगा, फ्लैट नं. 203, नीलकंठ अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर 21 सी, प्लॉट नं. जीएस-24, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 97,34,618.97 (रुपये सत्तानवे लाख चौंतीस हजार छः सौ अठारह एवं पैसे सत्तानवे मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 2.9.2019 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 21 जून, 2019 को दी गई।

मुहर
अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार के लिये

जेके इंटरप्राइसेस लिमिटेड
CIN L99999UP1961PLC001187
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर नगर–208001 उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष : 91-512 2371478-81 फैक्स : 91 512 2399854
Email : prabhat.mishra@jkcement.com Web : www.jaykayenterprises.com

73 वें वार्षिक आमसभा की सूचना, पुस्तक बंद होने व रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

[illegible]

स्थान : कानपुर
दिनांक : 18 जुलाई, 2019

जे.के. कॉटन लिमिटेड
सीआईएन : U17111UP1924PLC000275
पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर–208001, उ.प्र. (इण्डिया)
फोन : +91 512 2371478–81, फैक्स : +91 512 2332665
ई–मेल : harshit@jkcotton.com वेबसाइट : www.jkcotton.com

96वीं वार्षिक आम सभा की नोटिस, पुस्तक बंद होने व रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 96वीं वार्षिक आमसभा (ए.जी.एम) दिनांक 14 अगस्त, 2019 दिन बुधवार को मूर्वान्ह 11:00 बजे डा0 गौर हरि सिंहानिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च, कमला नगर, कानपुर–208005 में आयोजित की जायगी जिसमें ए.जी.एम. की नोटिस में वर्णित व्यवसायों को पारित किया जायेगा। नोटिस, वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें नोटिस डायरेक्टर रिपोर्ट (परिशिष्टियों सहित), वार्षिक वित्तीय विवरण व स्वतंत्र ऑडिटर्स रिपोर्ट, अटेन्डेन्स स्लिप, व प्रोक्सी फार्म शामिल है, को स्वीकृत माध्यमों से प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। उपरोक्त सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com व CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के साथ पठित उस के अंतर्गत बनाए गए के नियमों के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को रजिस्टर व शेयर अंतरण रजिस्टर बुधवार 7 अगस्त, 2019 से बुधवार 14 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत कंपनी अपने सदस्यों को जो कि फिजिकल या डीमैट फार्म में बुधवार 7 अगस्त, 2019 (कटऑफ डेट) को शेयर धारक है, को नोटिस में वर्णित व्यवसायों पर वोट करने के लिये CDSL द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई–वोटिंग) द्वारा ई–वोटिंग सेवा प्रदान कर रही है। ई–वोटिंग अनुदेश पत्र पहली बार ई वोटिंग उपयोगकर्ता के लिए अनोखी संख्या सहित वार्षिक आम सभा की नोटिस का अभिन्न अंग है। रिमोट ई–वोटिंग रविवार 11 अगस्त 2019 को प्रातः 9:00 बजे से प्रारम्भ होकर मंगलवार 13 अगस्त 2019 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी, रिमोट ई–वोटिंग दी गई तारीख व समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने मेसर्स बंथिया एंड कंपनी (प्रोप्राइटर श्री जी.के. बंथिया) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया / मतदान की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में की है।

[illegible]

इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग सम्बंधित जानकारी/असुविधा के लिये सदस्य व बेनिफिशियल ओनर 'सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न' ("FAQ") व ई–वोटिंग मैन्युअल www.evotingindia.com के हैल्प सेक्शन में देख सकते है या helpdesk-evoting@cdslindia.com को ई–मेल कर सकते है।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता0/–
(हर्षित मुनानी)
कम्पनी सचिव

स्थान : कानपुर
दिनांक : 18 जुलाई, 2019

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड) के नाम से विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा/सम्पर्क संख्या-+91-7838324723

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की रियाजुद्दीन रिहासुद्दीन से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 09.11.2018 को आईएनआर 2148295/- की वसूली के लिये 22.08.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. 67, खसरा नं. 307, मिर्जापुर, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक** की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
तिथि: 16.07.2019
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित)
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री अमृत पाल सिंह गिल/ सम्पर्क नं. +91-9999776185

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका **कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की मै. यू-लाइक फर्नीचर, द्वारा पार्टनर हर्ष मदान (ऋणधारक) तथा हर्ष मदान, महिन्दर कुमार मदान एवं कान्ता मदान (मृत, द्वारा सांविधिक उत्तराधिकारियों महिन्दर कुमार मदान एवं हर्ष मदान) (सह-ऋणधारक (कों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के बकाये 23.5.2017 को आईएनआर 06,29,12,931/- की वसूली के लिये 09.8.2019 को **"जैसा है जहां है"**, **"जैसा है जो भी है"** तथा **"जो कुछ भी वहां है"** आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 8,53,00,000/- (रुपये आठ करोड़ तिरेपन लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 85,30,000/- (रुपये पचासी लाख तीस हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. बी- 114/बी, ब्लॉक-बी, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
तिथि: 16.7.2019
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा/सम्पर्क संख्या-+91-7838324723

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की शिवा क्रेन. प्रॉप. शिव नाथ गुप्ता, शिव नाथ गुप्ता एवं रेखा गुप्ता से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 26.02.2018 को आईएनआर 19,69,337/- की वसूली के लिये 22.08.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 3,50,000/- (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति प्लॉट नं. 19-ए, खसरा नं. 1013, ग्राम माकनपुर, सुभाष पार्क, खोरा कॉलोनी, तहसील-दादरी, गाजियाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात www.idfcfirstbank.com में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
तिथि: 16.07.2019
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

एनटीपीसी NTPC एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, स्कोप काम्प्लैक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली-110003, फोन : 011-24360100, फैक्स सं. : 011-24361018
ई-मेल : csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइट : www.ntpc.co.in
सीआईएन : L40101DL1975GOI007966

सूचना

[illegible]

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	फोलियो सं.	शेयर सर्टिफिकेट सं.	डिस्टिंक्टिव सं.	शेयरों की सं.
1	[illegible]	NTP9501038	1380413	7737293326-7737293675	350

[illegible]

कृते एनटीपीसी लिमिटेड
(नंदिनी सरकार)
कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18.07.2019

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड
वेबसाइट: www.titansecuritieslimited.com
CIN: L67190DL1993PLC052050
फोन: 011-47020100, 27674615, फैक्स: +91-11-47619811 ई-मेल: titan.securities@yahoo.com

शेयर प्रमाण पत्र की हानि की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी उल्लिखित प्रतिभूतियों के लिए प्रमाणपत्र(ओं) को खो दिया / गुम हो गा है और उक्त प्रतिभूतियों के धारक(ओं) ने कंपनी को डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

किसी भी व्यक्ति को, जो उक्त प्रतिभूतियों के संबंध में दावा करता है, कि इस तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के साथ इस तरह के दावे को प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा कंपनी आगे के सूचना के बिना डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

धारकों का नाम	प्रतिभूतियों और अंकित मूल्य के प्रकार	प्रतिभूतियों की संख्या	डिस्टिंक्टिव नं.
[illegible]	इक्विटी शेयर (रु. 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य)	100 शेयर	69471-69570

कृते टाइटन सिक्युरिटीज लिमिटेड
हस्ता/-
आकांक्षा शर्मा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
दिनांक: 17.07.2019
स्थान: दिल्ली

FRUITION VENTURE LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC058824
Regd. office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi - 110 009
Tel: +91-11-47027878 Fax: +91-011-47561818
Website: www.fvl.co.in; Email: csfruitionventure@gmail.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the company has received one request from the following transferee relating to transfer of share in physical mode in his name in terms of the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated November 6, 2018.

Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.	Name of the Transferor	No. of Shares	Name of the Transferee
0001056	11971 to 11973	1997001 to 1997300	RAJNI SAWHNEY RAJEEV SAWHNEY	300	DHANI RAM SHARMA

In case any person has any claim in respect of the said shares/ any objection(s) for the transfer of such shares in favour of the transferee, he/she/they should lodge their claim(s) or objection(s) within 30 days of the date of publication of this notice at the aforesaid address where after no claim will be entertained. If within 30 days from the date hereof, no claim/objection is received by the Company in respect of the said shares, transfer will be affected after due verification of documents.

For and on behalf of the Board
Fruition Venture Limited
Sd/-
(Parul Bhargava)
Company Secretary
M. No. A26434
Place: New Delhi
Date: 18.07.2019

POLYCAB पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड')
पंजीकृत कार्यालय: ई-554, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली - 110048, भारत
फोन नंबर: 011-29228674, वेबसाइट: www.polycab.com
ई-मेल: shares@polycab.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29(1)(ए) के साथ पठित विनियम 47(1)(ए) के अनुसरण में, यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के दिनांक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं अनुमोदित करने के साथ ही साथ अन्य कार्यों हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को किया जाएगा।

यह सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.polycab.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड')
ह/-
सुब्रमण्यन साई नारायण
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: ए5221
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 18, 2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए सं. 30/2019/डीआरटी-III के मामले में
भारतीय स्टेट बैंक — आवेदक
बनाम
सत्यदेव शर्मा एवं अन्य — प्रतिवादी

[illegible]

PUBLICATION NOTICE
BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI 4TH FLOOR JEEVAN TARA BUILDING PARLIAMENT STREET, NEW DELHI : 110001

O.A No. 277/2018
ICICI BANK LTD. Vs MR. TAYALIYKHAN & ANR.

[illegible]

PUBLICATION NOTICE
BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI 4TH FLOOR JEEVAN TARA BUILDING PARLIAMENT STREET, NEW DELHI : 110001

O.A No. 278/2018
ICICI BANK LTD. Vs MR. ROHTASH

[illegible]

PUBLICATION NOTICE
BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI 4TH FLOOR JEEVAN TARA BUILDING PARLIAMENT STREET, NEW DELHI : 110001

O.A No. 280/2018
ICICI BANK LTD. Vs MR. ROHTASH

[illegible]

प्रपत्र आईएनसी-26

[illegible]

कृते रैवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
संदीप त्यागी
(निदेशक)
DIN: 06693535
तिथि: 19.7.2019
स्थान: नई दिल्ली

मिशका एक्जिम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जी-31, ग्राउण्ड फ्लोर, क्रास रीवर माल, सीबीडी ग्राउण्ड, शाहदरा, नई दिल्ली - 110032
CIN: L51909DL2014PLC270810
वेबसाइट: www.mishkaexim.com
ई-मेल - MISHKAEXIM@GMAIL.COM

सूचना

[illegible]

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते मिशका एक्जिम लिमिटेड
हस्ता०/-
रजनीश गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
DIN: 00132141
तिथि: 18.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, राँची

अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट सूचना

[illegible]

PR212001 Road (19-20)-D
कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, राँची

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

[illegible]

अवंथा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
ईमेल आईडी: avantha.projects@avanthaholdings.com

कृते एवं हेतु अवंथा प्रोजेक्ट्स एवं सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
संजय कुमार
निदेशक
डीआईएन: 02687490
दिनांक: 18.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

[illegible]

बंधक अचल परिसम्पत्ति का विवरण

आवासीय प्लॉट नं. डी-49, सैक्टर-50, नोएडा, परिमाप 110.25 वर्ग मीटर और उस पर सभी सुधारों के साथ निर्मित/निर्मित किये जा रहे भवन के सभी भाग एवं हिस्से जो निम्नानुसार घिरा है: उत्तर में: डी-40, दक्षिण में: रोड, पूर्व में: डी-50, पश्चिम में: डी-48

[illegible]

आज दिनांक 17 जुलाई, 2019
कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सहायक उपाध्यक्ष
(सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

वित्त विधेयक को लोकसभा ने दी मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि 2019-20 के आम बजट में कर प्रावधानों का मकसद जीवनस्तर व उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना, लोगों की परेशानियों को कम करना व न्यूनतम सरकार व अधिकतम सुशासन को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। इसके साथ ही सदन ने आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, बीजद के भतृहरि महताब के संशोधनों को खारिज करते हुए वित्त (संख्यांक 2) विधेयक-2019' को मंजूरी दे दी।

वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2019-20 का मकसद व्यापार सुगमता, युवा उद्यमियों और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा- सरकार का इरादा भारत को दुनिया का बहुत बड़ा वित्तीय हब बनने का है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मकसद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। डिजिटल भुगतान से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में अधिक पारदर्शिता आएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि कर कानूनों के सरलीकरण के लिए नई कर संहिता को अंतिम रूप देने के मकसद से एक कार्यबल काम कर रहा है। इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई तक आएगी। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक में गैर कराधान प्रावधानों के तहत सात अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि व्यवस्था को सरल किया जा सके। मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ बनाया जा सके व विनिर्माण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान की जा सके।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम कानून में 8 बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। इसमें से छह उपबंध में संशोधन किए गए हैं। इसमें एक प्रावधान को समाप्त करने और एक प्रावधान जोड़ने से संबंधित है। निर्मला सीतारमण ने निचले सदन में कहा कि वित्त विधेयक के जरिए कानूनों में संशोधन पांच मुख्य श्रेणियों में किया गया है। जिसमें माल व सेवा कर (जीएसटी), प्रत्यक्ष कर, आयकर, धन शोधन रोकथाम जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी से संबंधित पांच संशोधन किए गए हैं जो जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुरूप हैं। चूंकि यह कर संग्रह से जुड़ा विषय है, इसलिए संसद से मंजूरी जरूरी है। सेवानिवृत्त सैनिकों के पेंशन के संबंध में कर संबंधी मुद्दे के बारे में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा सशस्त्र बल हेडक्वार्टर के सुझाव पर हुआ। सरकार ने इसके माध्यम से गैर कराधान प्रावधान से जुड़े विषयों के संबंध में सात कानूनों में संशोधन करने के अलावा कर संबंधी प्रावधानों वाले सात कानूनों में भी बदलाव का प्रस्ताव किया है।

न्यायेत्तर हत्याओं की सुनवाई के लिए पीठ का होगा पुनर्गठन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट उग्रवाद की समस्या से प्रभावित मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और राज्य पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई न्यायेत्तर हत्याओं के मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ गठित करने पर गुरुवार को सहमत हो गया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के सेवानिवृत्त हो जाने की वजह से इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का पुनर्गठन जरूरी हो गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए पीठ के पुनर्गठन का प्रयास किया जाएगा।

वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने गुरुवार को कुछ याचियों की ओर से मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले साल दिसंबर में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के सेवानिवृत्त होने के बाद से इस प्रकरण पर सुनवाई नहीं हुई है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति लोकुर के साथ मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति उदय यू ललित के समक्ष इसका उल्लेख किया था। पर उन्होंने कहा कि इसे प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उठाएं।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा- हम पीठ के पुनर्गठन की कोशिश करेंगे। शीर्ष अदालत ने इससे पहले मणिपुर में सुरक्षा बलों एवं पुलिस द्वारा 2000 से 2012 के बीच हुई 1,528 कथित न्यायेत्तर हत्याओं में सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे।

यौन अपराध के लिए कड़े दंड का विधेयक पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

बच्चों के साथ यौन अपराधों की बढ़ती घटना पर काबू के मकसद से सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में विधेयक पेश किया। इसमें ऐसे अपराध में दोषी को मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों के उपयोग (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) पर काबू के लिए भी प्रावधान किया गया है।

महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। इस विधेयक में 2012 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियंता
सिविल-7
राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007
निविदा आमंत्रण सूचना

अधिशासी अभियंता, सी-7 डीयूएसआईबी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए प्रतिशत दर बोली (ऑनलाइन) दो लिफाफा प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए आमंत्रित की जाती है।
एनआईटी संख्या: 32/ ईईसी-7/डीयूएसआईबी./2019-20
कार्य का नाम: ईआईयूस
उप शीर्ष: मीर डार रोड पर जेजे क्लस्टर में मौजूदा डिफंड स्टॉर्म वॉटर लाइन की जगह और सीसी फुटपाथ उपलब्ध कराना। (पीआईडी नं. 12173)
अनुमानित लागत: रु. 53,92,547.00
धरोहर राशि: रु. 1,07,900.00
निविदा मूल्य: रु. 1000.00
समय अवधि: 180 दिन
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 23.07.2019 को अप. 15.00 बजे तक
खोलने की तिथि: 23.07.2019 को 15.30 बजे के बाद
निविदा प्रपत्र एवं विवरण वेबसाइट **https://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किए जा सकते हैं।
हस्ता./-
राजेन्द्र बंसल
कार्यकारी अभियन्ता/सी-7
DIP/Shabdarth/0398/19-20 डीयूएसआईबी

कार्यालय रक्षा सम्पदा अधिकारी, दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी
(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय)
मानेकशॉ मार्ग, दिल्ली छावनी
दूरभाष- 011-25686971, 25684006
ई-नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय रक्षा सम्पदा अधिकारी, दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी द्वारा डुण्डाहेरा, मिलिट्री स्टेशन, गुरुग्राम की बाउन्ड्री वॉल के निर्माणाधीन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्रजाति के 150 खड़े/ पड़े वृक्षों के निस्तारण हेतु इच्छुक ठेकेदारों/ नीलामीकर्ताओं/ फर्म आदि को ई-नीलामी में भाग लेने के लिये आमंत्रित किये जाते हैं। ई-नीलामी संबंधी समस्त जानकारी व नियम/ शर्तें वेबसाइट https://eauction.gov.in पर दिनांक 19.07.2019 प्रातः 10.00 बजे से उपलब्ध होगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 09.08.2019 को समय 10.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक चलेगी। (E-auction ID No. is 2019_MoD_586)
किसी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद का सन्दर्भ ग्रहण करें।
नोट: वृक्षों को दिनांक 26.07.2019 को 11.00 बजे पर मान्य पहचान पत्र की प्रस्तुति के पश्चात दिखाया जा सकता है।
हस्ताक्षर/-
संख्या: 3/175/डी.ई.ओ/वृक्ष/OS/Vol.-IX रक्षा सम्पदा अधिकारी,
दिनांक: 17 जुलाई, 2019 दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
9 संस्थागत एरिया, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित मद दर निविदा सचिव ए.पी.ऍम.सी. नरेला द्वारा आमंत्रित की जाती है:

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	ई-प्रोक्योरमेंट समाधान के माध्यम से निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी.संख्या/एन.आई.टी.
1	नई अनाज मंडी नरेला में 110 फुट ऊचे झंडे मस्तूल की झंडे सहित आपूर्ति एवं निर्माण	रु. 8,48,704/-	रु. 17,000/-	26.07.2019 को 15.00 बजे तक	2019_डी.ए.एम.बी_176288_1

निविदा के अन्य सभी विवरण वेबसाइट:- https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
हस्ता./-
DIP/ Shabdarth/0392/9-20 परियोजना अभियंता-III

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मथुरा
पत्रांक : कृ०उ०म०स०/2019-44 दिनांक 14.07.2019
सफाई कार्य हेतु अल्प निविदा आमंत्रण सूचना

क्र. सं.	मण्डी समिति का नाम	सफाई कार्यों के स्थान	09 माह की अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित	कार्य की अवधि वित्तीय वर्ष 2019-20
1	मथुरा	नवीन उपमण्डी स्थल, राया	450000.00	45000.00	1180.00	आदेश निर्गत होने के दिनांक से 31.03.2020 तक
2		नवीन उपमण्डी स्थल, वृन्दावन	450000.00	45000.00	1180.00	आदेश निर्गत होने के दिनांक से 31.03.2020 तक
3		नवीन उपमण्डी स्थल, गोवर्धन	450000.00	45000.00	1180.00	आदेश निर्गत होने के दिनांक से 31.03.2020 तक
4		नवीन उपमण्डी स्थल, सौंख	364500.00	36450.00	1180.00	आदेश निर्गत होने के दिनांक से 31.03.2020 तक

सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मथुरा — नगर मजिस्ट्रेट/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मथुरा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र — कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड — ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड / CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. — सूचना
पूर्वोत्तर रेलवे — निविदा सूचना
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड — ई-निविदा सूचना
बैंक ऑफ महाराष्ट्र — फोरेंसिक लेखा परीक्षक को पैनल में शामिल करने हेतु आरएफपी
एमएसटीसी लिमिटेड — ई-नीलामी
केंद्रीय भण्डारण निगम — ई-टेंडर आमंत्रण प्रेस सूचना
एमएमटीसी लिमिटेड — www.mmtclimited.gov.in
पंजाब नैशनल बैंक / punjab national bank — शाखा : लॉर्ज कॉर्पोरेट शाखा, टालस्टॉय हाउस, टालस्टॉय रोड, नई दिल्ली -110001, फोन.23311654, 23752604, फैक्स - 23323480 ईमेल: bo2164@pnb.co.in — परिशिष्ट IV नियम-8(1) के अन्तर्गत कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
आन्ध्रा बैंक / ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking) — टेलीफोन नं. 011-23418746, 50, ई-मेल: bm3102@andhrabank.co.in — बिक्री के विषय में ऋणधारक को जानकारी देने के लिए सूचना

जापान के स्टूडियो में आगजनी, 24 मरे

तोक्यो, 18 जुलाई (एएफपी)।

जापान में एक एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी में गुरुवार को संदिग्ध आगजनी में 24 व्यक्तियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। क्योतो शहर में स्थित इमारत जलकर राख हो गई।

पुलिस ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर आग लगाई गई लेकिन अभी इसके पीछे के मकसद के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अधिकारियों को लगता है कि कई और लोग आग से बचने में नाकाम रहे। हादसे 35 लोग झुलस गए हैं जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि घटना के वक्त इमारत में करीब 70 लोग मौजूद थे।

क्योतो के प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता ने बताया, 'एक व्यक्ति ने कुछ तरल पदार्थ फेंका और आग लगा दी।'

दमकल विभाग के प्रवक्ता ने बताया, 'बचाव अभियान चल रहा है और हम अंदर फंसे पीड़ितों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।' पुलिस ने बताया कि वे आग लगने के कारण का पता लगा रहे हैं लेकिन यह एक संदिग्ध आगजनी लग रही है। क्योतो के प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता ने बताया, 'एक व्यक्ति ने कुछ तरल पदार्थ फेंका और आग लगा दी।' सरकारी प्रसारक एनएचके ने बताया कि व्यक्ति को घटना के संबंध में हिरासत में ले लिया गया और बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

ईरान ने अमेरिका पर आर्थिक आतंकवाद का लगाया आरोप

संयुक्त राष्ट्र, 18 जुलाई (एएफपी)।

ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से अमेरिका पर 'आर्थिक आतंकवाद' फैलाने का आरोप लगाया है। कई महीने के विवाद के बाद विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सत्र के लिए न्यूयार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा की।

जरीफ ने कहा कि ईरान आर्थिक आतंकवाद का शिकार है और नाजायज राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 'गैरकानूनी, अलौकिक प्रतिबंध ईरान और हमारे कई पड़ोसियों के सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।'

ईरान ने विदेशी टैंकर किया जब्त

तेहरान, 18 जुलाई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गाड्र्स ने गुरुवार को कहा कि उसने कथित रूप से खाड़ी में ईंधन की तस्करी कर रहे विदेशी टैंकर और उसके चालक दल के 12 सदस्यों को हिरासत में लिया है। टैंकर को हर्मुज जलडमरुमध्य में लराक द्वीप (ईरानी) के दक्षिणी हिस्से में जब्त किया गया। पोत के नाम व अन्य ब्योरों की जानकारी नहीं दी गई है। (**एएफपी**)

अमेरिकी कांग्रेस ने सऊदी अरब को हथियार बेचने पर लगाई रोक

वाशिंगटन, 18 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिकी संसद ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए सऊदी अरब व अन्य सहयोगियों को हथियार बेचने पर रोक लगा दी है। इससे ट्रंप के वीटो पावर का इस्तेमाल करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

सऊदी के पत्रकार जमाल खशोगी की पिछले साल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या के बाद से ही सांसद रियाद से नाराज थे। इस साल की शुरुआत में ट्रंप द्वारा आपातकालीन उपायों के तहत घोषित विवादास्पद बिक्री को रोकने वाले तीन प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई थी।

भारत ने जाधव मामले पर पाकिस्तान को चेताया

लंदन/द हेग, 18 जुलाई (भाषा)।

भारत ने पाकिस्तान को चेताया कि उसके आचरण पर कड़ी नजर रखी जाएगी और कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के आदेश को लागू करने में किसी भी तरह के 'हास्यास्पद प्रयासों' का दावा किए जाने पर उपचार के लिए आइसीजे या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरीश साल्वे ने बुधवार को लंदन में संवाददाताओं से कहा, 'जाधव को न्याय दिलाने में मदद करने और उसकी निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में मदद करना हमारे लिए अच्छा क्षण है।' साल्वे ने कहा कि अगला कदम पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक से संपर्क करना है जिसके बाद वे सुनिश्चित करेंगे कि जाधव को पूरी कानूनी मदद मिले। यह पूछे जाने पर कि अगर पाकिस्तान आइसीजे के फैसले को पूरी तरह से लागू नहीं करता तो भारत के पास उठाने के लिए क्या कदम होंगे, इस पर उन्होंने कहा, 'अगर आदेश का उल्लंघन होता है तो हम आगे के निर्देशों के लिए आइसीजे के पास फिर से जा सकते हैं। अगर कोई देश इस तरह के आदेश का उल्लंघन करता है तो (संयुक्त राष्ट्र) सुरक्षा परिषद में प्रतिबंध और अन्य उपचार सहित अन्य प्रावधान मौजूद हैं।'

साल्वे ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, कम से कम मैं यह आशा करता हूं। उनके आचरण पर कड़ी नजर रहेगी और किसी भी तरह के हास्यास्पद प्रयास को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर कोई देश गलत तरीके का व्यवहार करने का फैसला करता है और अनुपालन नहीं करता है, तो इसके लिए उपाय मौजूद हैं।'

पाक के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी गिरफ्तार

लाहौर, 18 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान में भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने अरबों रुपए के द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात का ठेका देने से संबंधित मामले में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के दल ने लाहौर के ठोकर नियाज बेग में अब्बासी की कार को रोका और उन्हें गिरफ्तार किया। अब्बासी ने पहले अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया लेकिन बाद में वे दल के साथ चले गए।

अब्बासी अगस्त, 2017 से मई, 2018 के बीच प्रधानमंत्री रहे थे। वह इस्लामाबाद से यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने आए थे लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनएबी कतर से एलएनजी आयात किए जाने से जुड़े ठेके के वितरण में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। यह मामला तब का है जब अब्बासी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन मंत्री थे। अब्बासी ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि वह अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।

उन्हें हिरासत में लिए जाने के लिए एनएबी अदालत में पेश किया जाएगा जिससे आगे की जांच हो सके। इससे पहले ब्यूरो ने उन्हें मामले में पेश होने के लिए समन किया था लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में हैं और विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएल–एन) ने आरोप लगाया कि अब्बासी की गिरफ्तारी सीधे खान के आदेश पर हुई है। पीएमएल–एन अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा, 'हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं क्योंकि इमरान खान, नियाजी सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं।'

पाक पर दबाव रखने में सफल रहे ट्रंप : श्रृंगला

न्यूयार्क, 18 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करने के लिए दबाव बनाए रखने में सफल रहे हैं।

अमेरिका में नियुक्त भारतीय राजदूत ने कहा कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई अपरिवर्तनीय होनी चाहिए न कि परिवर्तनशील, जहां आतंकी सरगनाओं को एक ओर से गिरफ्तार किया जाता है और दूसरी ओर उन्हें छोड़ दिया जाता है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा मुद्दों के साथ–साथ बहुराष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र में मजबूत सहयोग को लेकर सवाल का जवाब दे रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले जैश–ए–मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को इसी साल मई में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था।

माल्या की अपील पर ब्रिटेन के हाई कोर्ट में सुनवाई फरवरी में

लंदन,18 जुलाई (भाषा)।

ब्रिटेन की अदालत ने कहा कि प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा ब्रिटेन के हाई कोर्ट में दाखिल अपील अगले वर्ष 11 फरवरी से तीन दिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।

ब्रिटेन हाई कोर्ट के अधिकारी ने कहा, 'अपील 11 फरवरी, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है, जो तीन दिन तक चलने का अनुमान है।' दो जुलाई को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉर्ज लेगाट और एंड्रू पोपेलवेल ने कहा, 'भारत सरकार की ओर से 'क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस'(सीपीएस) द्वारा प्रथम द्दष्टया पेश मामले के कुछ पहलुओं पर दलीलें यथोचित तरीके से रखी जा सकती हैं।' जिन सामग्रियों के आधार पर चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनॉट ने दिसंबर, 2018 के प्रत्यर्पण आदेश पर जो फैसला सुनाया था, उस पर हाई कोर्ट में पूरी सुनवाई होगी। इस आदेश पर ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने हस्ताक्षर भी किए थे। जज लेगाट ने आदेश में कहा, 'अब तक सबसे ठोस आधार यह है कि वरिष्ठ जिला जज इस नतीजे पर पहुंचने में गलत थे कि सरकार ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।' माल्या के वकील क्लेयर मोंटगोमेरी ने जज आर्बुथनॉट के खास निष्कर्ष तक पहुंचने को जबर्दस्त चुनौती दी थी।

विदेश मंत्रालय ने कहा, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को प्रतिबद्ध

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जुलाई।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की उसकी प्रतिबद्धता बेहद मजबूत है और उसे ब्रिटेन से वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

ब्रिटेन की अदालत ने कहा है कि माल्या की अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के हाईकोर्ट में दायर अपील को अगले साल 11 फरवरी से तीन दिवसीय सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगली सुनवाई की तारीखों पर फैसला अदालत को करना है। उन्होंने कहा कि मैं आपको केवल हमारी प्रतिबद्धता को लेकर आश्वस्त कर सकता हूं और हमारी प्रतिबद्धता बेहद मजबूत है कि हम उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रखेंगे।

डोकलाम में चीनी गतिविधियों की निगरानी कर रही है सेना : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

साल 2017 में डोकलाम में पैदा हुए गतिरोध के बाद भारत और चीन ने भले ही वहां अपने सैनिकों की तैनाती कम कर दी है, लेकिन भारतीय सेना इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियों की निगरानी कर रही है और किसी भी आकस्मिक स्थिति का जवाब देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। यह बात रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कही गई है।

मंत्रालय ने 2018–19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले भूभाग से गतिविधियां चलाने वाले आतंकवादियों और आतंकी समूहों का समर्थन रोकने के लिए 'भरोसेमंद और अपरिवर्तनीय' कदम उठाने चाहिए। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'मजबूत और निर्णायक' कदम उठाना जारी रखेगा। डोकलाम में 72 दिनों तक चले गतिरोध के बाद 28 अगस्त, 2017 को सैनिकों को वापस बुलाने के पश्चात भारतीय और चीनी सैनिकों को अपने–अपने संबंधित मोर्चे से दूरी पर फिर से तैनात किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार इस साल, चीनी अतिलंघन में काफी कमी आई है। इसी तरह दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव में भी कमी आई है। हालांकि, भारतीय सेना क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और किसी भी आकस्मिक स्थिति का जवाब देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। इसमें कहा गया है कि भारत–चीन सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग–अलग धारणाएं हैं। दोनों पक्ष एलएसी की अपनी संबंधित धारणाओं के अनुसार गश्त करते हैं।

राष्ट्रीय दल के दर्जे को लेकर तृणमूल, भाकपा व राकांपा को नोटिस भेजा आयोग ने

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

हालिया लोकसभा चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के खराब प्रदर्शन को देखते हुए इन पार्टियों के राष्ट्रीय दल के दर्जे पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों ने कहा कि आयोग ने उनसे इस सवाल का जवाब देने को कहा है कि क्यों न उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया जाए। उनसे पांच अगस्त तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

बिधाननगर के मेयर सब्यसाची दत्ता का इस्तीफा

कोलकाता, 18 जुलाई (भाषा)।

बिधाननगर के मेयर सब्यसाची दत्ता ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस शासित बिधाननगर नगर निगम द्वारा उन्हें हटाने के लिए जारी किए गए बैठक के नोटिस को रद्द कर दिया था। दत्ता राजरहाट–न्यू टाउन से तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी हैं। उनका पार्टी नेतृत्व के साथ गतिरोध चल रहा है, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है।

सोनभद्र हत्याकांड में 25 गिरफ्तार

सोनभद्र/लखनऊ, 18 जुलाई (भाषा)।

सोनभद्र में भूमि विवाद को लेकर बुधवार को हुए खूनी संघर्ष के सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने लखनऊ में बताया कि 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने ग्राम प्रधान के दो भतीजों – गिरिजेश और विमलेश को भी गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। कुल 61 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। इनमें 11 नामजद हैं। प्रशासनिक अधिकारी गुरुवार शाम लगभग पांच बजे शवों लेकर उभ्भा गांव पहुंचे। शवों को देखते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। शवों को दफ़नाने के स्थान को लेकर प्रशासन व ग्रामीणों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। गांव वालों की मांग है कि जहां गोली चली है, शवों को उसी ज़मीन में दफ़नाया जाए जबकि प्रशासन का कहना है कि परंपरागत स्थान पर ही दफ़नाया जाएगा। प्रशासन फिलहाल शवों को अपने कब्जे में रखे हुए है। घटना वाले स्थान पर ही शवों को दफनाने के लिए ग्रामीणों के अड़े होने के कारण प्रशासन शवों को उन्हें नहीं सौंप रहा है। पीड़ितों के परिजनों को जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए मृतकों के परिजनों को 5–5 लाख रुपए किसान सर्वहित बीमा योजना के अनुसार दिया जाएगा।

मृतकों के परिजनों की मांग के अनुसार शासन को जनपद राबर्ट्सगंज, ओबरा एवं घोरावल के विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ एक पत्र शासन को भेजा गया है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 बीघा जमीन और 5 लाख रुपए नकद व घायलों को 5 लाख रुपए नकद व 5 बीघा जमीन देने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त जिस मृतक परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य न हो उसके एक सदस्य को सफाई कर्मी की नौकरी देने की अनुशंसा की गई है।

उभ्भा गांव के निवासी रामराज ने बताया कि उसके परिवार वाले तीन–चार पीढ़ियों से विवादित जमीन पर खेती कर रहे थे लेकिन अवैध तरीके से हमें जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया गया। गांव के ही 70 वर्षीय बुजुर्ग हरिवंश ने बताया कि बुधवार की गोलीबारी में उसके पुत्र अशोक (35) की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अब उनके परिवार में कोई कमाऊ सदस्य नहीं है।

गांववासी नंदलाल ने बताया कि उसकी पत्नी बासमती (45) की मौत हो गई । रामबली के परिवार में उसके भाई और भाई की पत्नी की मौत हुई है जबकि परिवार के ही तीन अन्य सदस्य घायल हैं। गांव वालों ने एक स्वर से घटना के दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : करोलबाग, नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करोलबाग, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **16/04/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स निर्मया कॉसमेटिक्स, मालिक–धर्मेन्द्र जैन, पता: शॉप नं.164, नहरपुर, सेक्टर–7, रोहिणी, नई दिल्ली–110085**, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.73,13,349/– (तिहत्तर लाख तेरह हजार तीन सौ उनन्चास रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क**, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 15.07.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.73,13,349/– (तिहत्तर लाख तेरह हजार तीन सौ उनन्चास रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क, के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करोलबाग, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

चंदु लाल जैन एवं श्रीमती चाँद रानी जैन के नाम पर कवर्ड सम्पत्ति एम–1/66, **आत्म वल्लाह को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड**, प्लॉट नं. 14, छठा तल, सैक्टर–13, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 के सभी भाग एवं हिस्से **जो निम्नानुसार घिरी है:**
पूर्व: खुला स्थान पश्चिम: खुला स्थान एवं प्लॉट नं. एम–1–64
उत्तर: पैसेज एवं फ्लैट नं. एम–1–65 दक्षिण: खुला स्थान

स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 15/07/2019 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : करोलबाग, नई दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करोलबाग, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **22/04/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स वन्दना प्रोडक्ट्स, पार्टनर–अभिषेक शर्मा एवं विवेक शर्मा, पता:** शॉप नं.2646/47, पहली मंजिल, तलवार मैंसन, बैंक स्ट्रीट, करोलबाग, नई दिल्ली–110005, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.60,79,245/– (साठ लाख उनासी हजार दो सौ पैंतालिस रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क**, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 15.07.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.60,79,245/– (साठ लाख उनासी हजार दो सौ पैंतालिस रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क, के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करोलबाग, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

गांव घोण्डली, इलाका शाहदरा, नई दिल्ली–110031 के एरिया में आबादी गली नं. 1, राजगढ़ एक्स. में स्थित **रेशम शर्मा पत्नी राजिन्दर कुमार शर्मा** के नाम पर कवर्ड सम्पत्ति X/2051, एरिया परिमाप 71 वर्ग यार्ड अर्थात् 59.36 वर्ग मीटर प्लिन्थ/कवर्ड एरिया 59+59+59 = 177 वर्ग मीटर, तीन मंजिल शामिल, टैरेस/छत अधिकार के साथ अंतिम तल तक ऊपरी निर्माण अधिकार के साथ सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से, **खसरा नं. 559/78–76 का भाग** जो निम्नानुसार घिरी है:
पूर्व: अन्य की सम्पत्ति पश्चिम: गली
उत्तर: अन्य की सम्पत्ति दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति

स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 15/07/2019 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Bank of Baroda
(A Govt. Of India Undertaking)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(भारत सरकार का उपक्रम)
ई–नीलामी सूचना
जेडओएसएआरबी, 13वीं तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317462, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

कर्जदार /गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि (धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख)	सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय
मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (सीआईएन U25209DL 1987PTC029978) कर्जदार/ गारंटर: 1. श्री मो. कामिल 2. श्रीमती नासिरा बेगम 3. श्री मोहम्मद मोहिन 4. श्री मोहम्मद जाकी 5. श्री मोहम्मद साबिर 6. श्री शकील अहमद	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण भूतल, बेसमेंट की बनाने के अधिकार के साथ, साथ में 50% भूमि का अविभाजित, अविभाज्य और भूमि के नीचे के हिस्से में निहित फ्रीहोल्ड अधिकार के क्षेत्रफल 330 वर्ग गज, सम्पत्ति नं. 72, ... नई दिल्ली में स्थित ...	₹ 16.50 करोड़ / ₹ 1.65 करोड़ / ₹ 5.00 लाख	23-08-2019 को अपराह्न 01.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक	08.10.2018 / रु. 239.40 करोड़ दिनांक 30-09-2018 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	19-08-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 21-08-2019

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

1. नीलामी–सह–बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के ... पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
2. ... प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. ... https://bob.auctiontiger.net ...

19. ई–नीलामी से सम्बन्धित जानकारी ई–नीलामी टैब (http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm) के तहत बैंक की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।

दिनांक : 19.07.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

चयन समिति की बैठक टली, शनिवार या रविवार को हो सकती है

धोनी के भविष्य पर रहेंगी निगाहें

भारत का वेस्ट इंडीज दौरा

भारत को तीन अगस्त से शुरू हो रहे वेस्ट इंडीज दौरे पर टी-20, वनडे और दो टैस्ट खेलने हैं। अगले साल आस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखकर चयनकर्ता युवा ऋषभ पंत को मौका दे सकते हैं जिन्हें धोनी का वारिस माना जा रहा है। धोनी को पिछले साल अक्तूबर में वेस्ट इंडीज और आस्ट्रेलिया में टी-20 शृंखला के लिए नहीं चुना गया था। ऐसी पूरी संभावना है कि वह इस बार भी बाहर रहें।

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

प्रशासकों की समिति (सीओए) के नए दिशानिर्देशों के बाद चयनसमिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। इसे पूर्व कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन करना था। सीओए के नए दिशानिर्देशों के अनुसार चयनसमिति की बैठक बुलाने का अधिकार सचिव को नहीं बल्कि चयन पैनल के अध्यक्ष को होगा। बीसीसीआइ के नए संविधान के अनुसार हुए इस बदलाव के बाद कागजी कार्रवाई में आवश्यक बदलाव जरूरी था। यह बैठक अब शनिवार या रविवार को हो सकती है क्योंकि सभी खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट शुक्रवार शाम तक ही मिल पाएगी। बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियमों के बदलाव के कारण कुछ कानूनी तौर तरीके हैं जिनका पालन करना जरूरी है और इसमें कुछ समय लगता है। इसके साथ ही बीसीसीआइ को इस बैठक के लिए कप्तान की उपलब्धता के बारे में भी बताना होगा।

चयन समिति की चुनौतियां

टीम चयन के दौरान सभी की निगाहें विराट कोहली की उपलब्धता और महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य पर टिकी होंगी। अड़तीस बरस के धोनी अब बल्ले से 'मैच फिनिशर' की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने संन्यास के बारे में कुछ नहीं कहा है लेकिन इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कइयों का मानना है कि आगे लंबे घरेलू सत्र को देखते हुए विराट कोहली को आराम दिया जाना चाहिए और ऐसे में रोहित शर्मा छोटे प्रारूप में कप्तानी कर सकते हैं। दोनों टैस्ट चूंकि आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं तो कोहली टैस्ट टीम में रहेंगे।

चयन समिति मध्यक्रम के संयोजन पर भी बात करेगी जो विश्व कप सेमी फाइनल से भारत के बाहर होने का अहम कारण रहा। चौथे नंबर को पक्का करना बेहतर जरूरी है। समझा जाता है कि मध्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची होगी। चयनकर्ताओं के पास कर्नाटक के मयंक अग्रवाल और मनीष पांडे व मुंबई के श्रेयस अय्यर के रूप में विकल्प हैं जो घरेलू सर्किट पर लगातार अच्छा खेल रहे हैं।

पांडे ने वेस्ट इंडीज 'ए' के खिलाफ भारत 'ए' के लिए 100 रन बनाए थे। अंबाती रायुडू के रिटायर होने और विजय शंकर के नाकाम रहने से उनके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। चयनकर्ता युवा शुभमन गिल और पृथ्वी साव के नाम पर भी विचार कर सकते हैं हालांकि साव कूल्हे की चोट से जूझ रहे हैं। दिनेश कार्तिक और केदार जाधव के नाम पर विचार की संभावना नहीं है। केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल का चयन तय है। नए चेहरों में राहुल चाहर और नवदीप सैनी के अलावा खलील अहमद, दीपक चाहर और आवेश खान पर भी विचार किया जा सकता है। टी-20 मैच तीन से छह अगस्त तक खेले जाएंगे। वनडे आठ से 14 अगस्त व टैस्ट 22 अगस्त से तीन सितंबर तक खेले जाने हैं।

कोहली की उपलब्धता भी मसला

एक मसला कोहली की उपलब्धता का होगा जो लंबे समय से खेल रहे हैं। कइयों का मानना है कि आगे लंबे घरेलू सत्र को देखते हुए कोहली को आराम दिया जाना चाहिए और ऐसे में रोहित शर्मा छोटे प्रारूप में कप्तानी कर सकते हैं। दोनों टैस्ट चूंकि आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं तो कोहली टैस्ट टीम में रहेंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में भी यही फैसला लिया जा सकता है।

अब सचिव नहीं, चयन समिति के अध्यक्ष बुलाएंगे चयन बैठकें

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने की दिशा में प्रशासकों की समिति (सीओए) ने गुरुवार को नया निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब बीसीसीआइ सचिव नहीं बल्कि चयन समिति का अध्यक्ष चयन संबंधी बैठकों का समन्वयक होगा। विदेश दौरों के लिए बैठक प्रशासनिक प्रबंधक बुलाएंगे।

निर्देश में साफ तौर पर कहा गया कि अब से सचिव किसी चयन बैठक में भाग नहीं लेगा और ना ही उसकी सहमति की जरूरत टीम में विकल्प को मंजूरी देने के लिए रहेगी। पुराने संविधान के तहत चयन समिति सचिव के कार्यक्षेत्र में आती थी लेकिन इस फैसले के बाद सचिव के अधिकार सीमित रह जाएंगे। सीओए ने कहा कि प्रशासकों की समिति को बताया गया है कि बीसीसीआइ का नया संविधान लागू होने के बावजूद चयन समिति की बैठके माननीय सचिव ही बुला रहे थे। इसमें कहा गया कि यह भी पता चला कि टीम में किसी बदलाव के लिए चयन समिति सचिव की मंजूरी लेती रही है। इसके अलावा चयनकर्ताओं के क्रिकेट मैचों के लिए जाने संबंधी यात्रा बंदोबस्त के लिए भी सचिव की मंजूरी लेनी पड़ती थी। बीसीसीआइ का कामकाज न्यायालय के आदेश और बीसीसीआइ के नए संविधान के अनुसार चलाने के लिए ये निर्देश जारी करना जरूरी था।

सीओए के निर्देश

1. विदेश दौरों के अलावा चयन समिति का अध्यक्ष ही चयन समिति की बैठक बुलाएगा जिसमें पुरुष चयन समिति, जूनियर चयन समिति और महिला चयन समिति शामिल है। विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन बैठक बुलाएगा। कोई भी पदाधिकारी या सीईओ किसी क्रिकेट समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।
2. संबंधित चयन समितियों या प्रशासनिक प्रबंधन को बैठक का विस्तार से ब्यौरा तैयार करना होगा। टीम चयन या बदलाव की घोषणा के बाद अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर के साथ सचिव को यह ब्यौरा देना होगा।
3. चयन समिति को किसी चयन या बदलाव या विकल्प के लिए सचिव या सीईओ से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।
4. सीईओ चयनकर्ताओं के मैच देखने के लिए यात्रा और अन्य बंदोबस्त करेगा। इस संबंध में ईमेल सीईओ को भेजे जाएं।

ओलंपिक के लिए मौका मिलता है तो जरूर जाऊंगा : विजेंदर

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

भारतीय स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह का पेशेवर सर्किट में सफर अब तक शानदार रहा है। डेढ़ साल बाद रिंग में उतरकर लगातार 11वीं पेशेवर जीत से वह थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। पेशेवर सर्किट में इतनी सफलता के बाद ओलंपिक खेलने के बारे में अब भी उन्होंने मन नहीं बदला है। इस मिडिलवेट मुक्केबाज का कहना है कि अगर दोबारा देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो जरूर जाऊंगा।

फिल्मों, राजनीति और टीवी शो की एंकरिंग में हाथ आजमाने वाले विजेंदर का कहना है कि भले ही वह किसी अन्य क्षेत्र में काम करते रहें लेकिन मुक्केबाजी से वह कभी भी दूर नहीं होने वाले। ओलंपिक में फिर से देश का प्रतिनिधित्व करने के संबंध में विजेंदर ने कहा कि देखिए अभी मेरे प्रायोजक टॉप रैंक के साथ दो मुकाबले बचे हैं और मेरा ध्यान इन्हीं पर लगा है। ओलंपिक के दौरान परिस्थितियां कैसी होती हैं, मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। अगर दोबारा मौका मिलता है तो जरूर जाऊंगा।

विजेंदर ने कहा कि अमेरिका में इस पदार्पण मुकाबले में प्रतिद्वंद्वी के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था और उसने पहले दौर में मुक्का जड़ा तो मैं सन्न रह गया। इसके बाद मैंने खुद को कहा कि ऐसे नहीं होगा। फिर मैंने चार राउंड में उसे नॉकआउट कर दिया। यह पूछने पर कि पेशेवर और एमेच्योर में कितना फर्क है, विजेंदर ने कहा कि मैं सीधा स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता। दोनों की अपनी महत्ता है और दबाव दोनों में ही होता है। मैं इसका घुमाकर ही जवाब दूंगा।

अमेरिका में पदार्पण के बारे में उन्होंने कहा कि डेढ़ साल के बाद वापसी कर रहा था। मैं शत प्रतिशत देना चाहता था। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। उनका पहला जोरदार घूंसा खाने के बाद मैंने सोचा कि अब दूर रहकर ही खेलूंगा और इससे सफलता मिली। मैं खुश हूं। 2020 में विश्व खिताब के लक्ष्य के बारे में हरियाणा के 33 साल के मुक्केबाज का कहना है कि उनकी निगाहें इस 11-0 के रेकार्ड में नंबर को बढ़ाने की है और शून्य को बरकरार रखने की है।

इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में सिंधू

जकार्ता, 18 जुलाई (भाषा)।

भारत की चोटी की शटलर पीवी सिंधू ने डेनमार्क की मिया बिलिचफेल्ट के खिलाफ तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मैच में जीत दर्ज करके गुरुवार को इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधू ने दूसरे दौर में एक घंटे दो मिनट तक चले मैच में बिलिचफेल्ट को 21-14, 17-21, 21-11 से हराया। किदांबी श्रीकांत पुरुष एकल से बाहर हो गए।

● पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधू ने दूसरे दौर में एक घंटे दो मिनट तक चले मैच में बिलिचफेल्ट को 21-14, 17-21, 21-11 से हराया।

सिंधू की विश्व में 13वें नंबर की बिलिचफेल्ट के खिलाफ यह इस साल तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने डेनमार्क की इस खिलाड़ी को इंडियन ओपन और सिंगापुर ओपन में हराया था। सिंधू का अगला मुकाबला मलेशिया की सोनिया चेह और जापान की नाओमी ओकुहारा के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। सिंधू की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बिलिचफेल्ट ने 6-3 से बढ़त बना ली। इसके बाद भारतीय ने वापसी की और स्कोर बराबर किया। सिंधू ने लगातार बेहतर खेल दिखाकर पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन बिलिचफेल्ट ने दमदार वापसी की। उन्होंने पहले 9-5 और फिर 10-7 से बढ़त हासिल की। सिंधू ने इसके बाद लगातार तीन अंक बनाकर स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया। डेनमार्क की खिलाड़ी ने सिंधू की गलतियों का फायदा उठाकर वापसी की और दूसरा गेम अपने नाम किया। निर्णायक गेम में हालांकि बिलिचफेल्ट की सिंधू के आगे एक नहीं चली और भारतीय ने यह गेम आसानी से जीतकर मैच अपने नाम किया।

इस बीच सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी को दूसरे दौर में इंडोनेशिया के शीर्ष वरीय मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजय सुकामुल्जो से 15-21, 14-21 से हार झेलनी पड़ी।

जिमनास्टिक्स में भारतीय मूल की बच्ची को पदक

तेल अवीव, 18 जुलाई (भाषा)।

भारतीय मूल की 11 वर्षीय एक बच्ची ने 'इजराइल रिदमिक जिमनास्टिक्स' सालाना चैंपियनशिन में इस वर्ष एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। इजराइल के उत्तर होलोन शहर में शनिवार को आयोजित सालाना चैंपियनशिप में रानी बंगा 'रोप एक्सरसाइज' में प्रथम आई और 'क्लब्स एक्सरसाइज' में दूसरे स्थान पर रहीं।

भारतीय कलाकार चंचल बंगा की बेटी रानी को उम्मीद है कि वह एक दिन ओलंपिक में इजराइल का प्रतिनिधित्व करेगी और पदक जीतेंगी। उनकी मां सिंगाल मानोर इजराइल की नागरिक हैं और प्रतिष्ठित बेन जिवी इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता हैं। रानी ने कहा कि मैं वास्तव में ओलंपिक खेलों में जाना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि मुझे वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं प्रयास करना चाहती हूं।

देश में 40 से अधिक रिदमिक जिमनास्टिक क्लब हैं। रानी ने महज आठ वर्ष की उम्र में रिदमिक जिमनास्टिक सीखना शुरू कर दिया था और इजराइल व विदेशों में अनेकों प्रतियोगिताओं में पदक जीत कर उन्होंने लगातार लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय मूल की यह बच्ची भारत की यात्रा करने और जमशेदपुर में अपनी दादी से मिलने के लिए उत्सुक है। अगले वर्ष उनका 'बाट मित्जवा' (12 साल की उम्र में इजराइल की लड़कियों के लिए उत्सव) है और इस अवसर पर पूरा परिवार भारत यात्रा का कार्यक्रम बना रहा है।

पूर्व एथलीट पीटी उषा आइएएएफ के 'वेटरन पिन' के लिए नामित

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

भारत की महान ट्रैक और फील्ड एथलीट पीटी उषा को खेल में उनके असाधारण योगदान कि लिए अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के 'वेटरन पिन' के लिए मनोनीत किया गया है। भारत की सर्वश्रेष्ठ फर्राटा धाविकाओं में शुमार उषा को 'उड़नपरी' भी कहा जाता है। उन्होंने 1985 जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़ और चार गुणा 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे।

आइएएएफ के सीईओ जॉन रिजोन ने उषा को एक पत्र में बताया,'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके क्षेत्र के संघ ने आपको आइएएएफ वेटरन पिन के लिए मनोनीत किया है जो विश्व एथलेटिक्स में बरसों से आपके योगदान के लिए है। उन्होंने सितंबर में कतर में होने वाली आइएएएफ की 52वीं कांग्रेस में आने का उषा को न्यौता भी दिया।'

उषा 1984 लॉस एंजीलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में पहुंची थीं लेकिन सेकंड के सौवें हिस्से से कांस्य से चूक गई थीं। उषा ने ट्वीट किया,' आइएएएफ वेटरन पिन।

विश्व कप की हार लंबे समय तक भुला नहीं सकूंगा : बोल्ट

आकलैंड, 18 जुलाई (भाषा)।

चौकों छक्कों की गिनती के आधार पर विश्व कप से वंचित रह जाने का गम न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए भुला पाना आसान नहीं है। सब अपने-अपने तरीकों से इससे उबरने की कोशिश में लगे हैं। मसलन तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट अपने कुत्ते के साथ सागर किनारे टहलकर दिल हल्का करेंगे। विश्व कप में 17 विकेट लेने वाले बोल्ट इन सवालों के बीच स्वदेश लौटे हैं कि लगातार दूसरा विश्व कप फाइनल हारने की पीड़ा से वह कैसे उबरेंगे।

टॉम मूडी की जगह सनराइजर्स के मुख्य कोच बने बेलिस

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कोच ट्रेवर बेलिस अब आस्ट्रेलिया के टॉम मूडी की जगह आइपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के नए कोच होंगे। बेलिस अगले महीने होने वाली एशेज शृंखला के बाद इंग्लैंड टीम से नाता तोड़ लेंगे। आस्ट्रेलिया के हरफनमौला मूडी पिछले सात साल से सनराइजर्स के साथ थे और 2016 में खिताब भी जीता था।

टीम ने एक बयान में कहा कि काफी सोच समझकर हमने फैसला किया है कि टॉम मूडी अब टीम के साथ नहीं होंगे। ट्रेवर के रूप में टीम के पास नया कोच होगा। ट्रेवर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ दो आइपीएल खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स को खिताब दिलाया। उम्मीद है कि उनका अनुभव सनराइजर्स के काम आएगा। उनके कार्यकाल के बारे में खुलासा नहीं किया गया।

टीम ने मूडी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम टॉम मूडी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने टीम को सात साल में पांच बार प्लेऑफ में पहुंचाया और 2016 में खिताब भी दिलाया। इस बार सनराइजर्स एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स से हारने के बाद चौथे स्थान पर रही थी।

भारतीय महिला टीम के स्पिन सलाहकार होंगे हिरवानी

नई दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा)।

भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के स्पिन कोच नरेंद्र हिरवानी देश की महिला टीम के साथ सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। भारत के लिए 17 टैस्ट और 18 वनडे खेल चुके हिरवानी चुनिंदा दौरों पर टीम के साथ जाएंगे। भारत की टी-20 कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हाल ही में टीम के लिए स्पिन कोच की जरूरत पर जोर दिया था। भारतीय टीम में पूनम यादव, एकता बिष्ट और दीप्ति शर्मा जैसे स्पिनर हैं।

RAMNATH GOENKA EXCELLENCE IN JOURNALISM AWARDS

INDIAN EXPRESS GROUP

INDIA'S MOST PRESTIGIOUS AND COVETED JOURNALISM AWARDS

CALL FOR ENTRIES

Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness 2018

Award Categories

Print/Digital & Broadcast
- Reporting from Conflict States
- Hindi
- Regional Languages
- Environment, Science and Technology Reporting
- Uncovering India Invisible
- Business and Economic Journalism
- Reporting on Politics and Government
- Sports Journalism
- Investigative Reporting

Print/Digital
- Reporting on Arts, Culture and Entertainment
- Foreign Correspondent Covering India
- Editorial Commentary and Cartoons
- Books (Non-Fiction)
- Prakash Kardaley Memorial Award for Civic Journalism
- Photo Journalism
- Best Student-Run Newspaper, Magazine and Digital News Portal

Apply Online: rngfoundation.com/awards

LAST DATE FOR ENTRIES | JULY 31, 2019 | Entries are invited for the year 2018 only.

Ramnath Goenka Memorial Foundation, Express Building, B-1/B, Sector-10, Noida-201 301, Uttar Pradesh, India; rngf@expressindia.com

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 243, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।